राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौंतीसवां दिवस [संख्या : 21

शनिवार,

24 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

सिंचाई शुल्क में की गयी कमी

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पांइट ऑफ क्लैरिफिकेशन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शुरु ही नहीं हुआ है।

श्री रामप्रताप : माननीय वित्त मंत्री जी ने सिंचाई शुल्क में कमी की है इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। लेकिन कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जिन फसलों पर आपने कम किया है वह सिंचाई क्षेत्र में कितने एरिये में बोई जाती है, इससे राजस्थान सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा और 15 करोड़ रुपये के बजाय अब आप कितना सिंचाई शुल्क लेंगे? राजस्थान का किसान आपसे बड़ी उत्सुकता से इस बात की जानकारी चाहता है, माननीय वित्त मंत्री जी, बताने की मेहरबानी करें।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, वित्त मंत्री जी का उत्तर आ गया, अब आप गढ़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं।

श्री रामप्रताप : इसका बताइए आप, कितना कम किया? गढ़े मुर्दे नहीं हैं। आप जानकारी दीजिए, कितना कम किया?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको जानकारी दे दी है, सदन में जानकारी दे दी है (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : हमारी फसल बरसात से होती है और आपने इनका सिंचाई शुल्क कम कर दिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : यह कमाण्ड एरिया में, किसान के एरिया में बोई जाती ही नहीं है..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : किसान के साथ अन्याय करोगे आप। बाजरा, ग्वार, जौ, चने ये सब बोये जाते हैं... (व्यवधान) राजस्थान का किसान आपसे जानना चाहता है कि आपने जो... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई की दर कम की है उसकी वजह से कमाण्ड एरिया में किसानों. . .(व्यवधान) यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आज ऐसा है कि अभी तक सिंचाई मंत्री जी आई नहीं हैं।

श्री रामप्रताप : यह तो वित्त मंत्री जी ने किया है, इनको जानकारी है। इनके ऊपर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इस बात की जानकारी चाहिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : 15 करोड़ की आमदनी हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : किसानों को केवल बेवकूफ बनाने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सिंचाई की दरें बढ़ाने से 15 करोड़ की अतिरिक्त रेवेन्यू बढ़ेगी। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने मक्का, बाजरा, इनके ऊपर माफ किया है, हम तो जानकारी चाह रहे हैं कि कमाण्डर एरिया में ये फसलें बोई जाती हैं क्या? दूसरा...

श्री अध्यक्ष : कल उस विधेयक पर चर्चा हो गई है,

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फसलें सिंचित एरिया में बोई ही नहीं जाती हैं, किसानों को गुमराह करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्यों ने बधाई दे दी वित्त मंत्री जी को। आप ही कल बधाई दे रहे थे और आज वित्त मंत्री जी से मांग रहे हो दोबारा। कल तो बधाई दे रहे थे आप ही लोग वित्त मंत्री जी को कि बहुत अच्छा किया आपने, टैक्स वापस ले लिया आपने, किसानों का भला कर दिया आपने और आज आप वित्त मंत्री जी से मांग करने लगे, दोबारा। कल कुछ कह रहे थे और आज आप कुछ कहने लगे। आपको किसानों के प्रति सहानुभूति है ही नहीं। किसानों के प्रति सहानुभूति कांग्रेस को है, हमारे वित्त मंत्री जी को है जिन्होंने टैक्स वापस लिया, जिन्होंने किसानों का भला किया है। आप चाहते ही नहीं हो किसानों का भला हो। आपको तो किसानों के नाम पर अपनी रोटी सेकनी है, सेको अपनी रोटी खूब।

श्री रामप्रताप : ... जब आपने करों में कमी की है तो सरकार को पता होगा कि इतनी रिलीफ हमने इस इस चीज में दी है। सिंचाई दर कम करने से 15 करोड़ रुपये की...(व्यवधान) यह किसानों का मामला है, क्यों + + + रहे हो? आपका भी है, मेरा भी है। जो एक-एक पाई का हिसाब रखते हैं, कम से कम यह बताने की मेहरबानी करें कि कितना पैसा कम किया गया है। 15 करोड़ रुपये में से कितना कम किया है, इसकी जानकारी होनी चाहिये।

श्री सांवर लाल : आपने माफ किया होगा तो वित्तीय प्रभार कितना आपने घटाया-बढ़ाया, यह तो जानकारी देने की मेहरबानी कीजिए आप। इससे कितना फर्क पड़ेगा?

श्री रामप्रताप : अब कुल कितना बोझ पड़ा, यह बताने में क्या दिक्कत है? आपको तो एक-एक हैड में बताना चाहिये कि इतनी हमने कर में रियायत दी है।

श्री रामस्वरूप : आप सुनिये, मंत्री जी बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप, कृपलानी जी आप जो हैं...

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के अदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल का मौका था आप मुझे यह बात पूछते। अब आफ हैण्ड कोई बात ये उठा लें, कोई कह दें कि फलाने कर से आपको कितनी आमदनी हो रही है, कितनी कम हो गई, सारी चीजें तो मुझे जबानी याद नहीं रह सकतीं, तो मैं एक मिनट में कैसे बता दूं ये सारी बातें? मिनटों में तो ये बातें नहीं बता सकता मैं।

श्री रामप्रताप : इतना बड़ा मसला है.(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : I require notice

श्री रामप्रताप : अखबारों से पता चला कि किस में आपने कम किया.(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय वित्त मंत्री जी, नाराज होने की बात नहीं है, यह सदन को अधिकार है।

श्री रामप्रताप : आपने जो किसानों के साथ मजाक किया है उसको आप छुपाना चाहते हो।

श्री सांवर लाल : आपने किसानों के साथ क्या भला किया, यह आपको बताना चाहिये, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने केवल यह कह दिया उससे काम नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन है, आज सदन का अंतिम दिन है, इसके पश्चात् हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे। आपका बहुत-बहुत आभार कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने इस सदन को चलाया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सदन पांच महीने बाद वापस आहूत होगा, इस तरह की चीज हमारे खुद के समझ में नहीं आई और पूरे राजस्थान में भ्रांति फैल गई कि वित्त मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा कि पचास फीसदी सिंचाई दर में कमी कर दी। अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति यह है कि सिंचित क्षेत्र में जिन चीजों को किसान बोता ही नहीं है उनकी दरों में कमी की है। आपके माध्यम से निवेदन इतना ही है कि थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए ताकि हम भी जहां जाएं स्थिति किसान के सामने रख दें। इसमें नाराज होने की बात नहीं है, वित्त मंत्री जी। इसमें शक नहीं कि आपको नोटिस नहीं दिया परन्तु वित्त मंत्री जी, यह छोटा मसला नहीं है, यह राजस्थान के लगभग ढाई करोड़ लोगों से जुड़ा मसला है। आपने उस दिन खुद ने पढ़ा उस सारे मामले को, आपने उस पर नीतिगत निर्णय भी लिये हैं, आप हमें इतना ही बता दें कि आपने सिंचाई शुल्क के नाम पर जो किसान को झुन्झुना दिया है उसके तहत आपने किन-किन चीजों पर सिंचाई की दर को कम किया? आप अच्छी तरह जानते हैं जो चीजें सिंचित क्षेत्र में होतीं नहीं उनकी दरों को कम करने का कोई मकसद नहीं। माननीय विधायक उसी क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने बड़े विनम्र शब्दों में आपसे पूछा है, आप नाराज मत होइए। अध्यक्ष महोदय, हम कोई और चीज नहीं चाहते, हम मात्र स्पष्टीकरण चाहते हैं और,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वित्त मंत्री जी, स्पष्टीकरण लेना मैं समझता हूं इनका अधिकार है, आप सरकार में बैठे हैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल संख्या 4 जब सदन में विचारार्थ चल रहा था तो वित्त मंत्री जी ने सिंचाई की दर 50 फीसदा करने की घोषणा की, अभी आज ये अकेले हैं, उस दिन पूछ लेते आप। आज कोई नोटिस नहीं, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा...

श्री रामप्रताप : 50 फीसदी कम कर दिया, यह तो अखबार पढ़ने से पता चला।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि मैं आफहैण्ड कोई कैलकुलेशन कर अभी सूचित करने की स्थिति में नही हूं। आज बिल्स चल रहे हैं, कई विधेयक हैं इसलिए आप इस विषय को अभी जिस तरह से सदन में ला रहे हैं, सदन की कार्यवाही में कोआपरेशन की बात कह रहे थे राठौड़ साहब, आज सदन का आखिरी दिन है, आप सहयोग कीजिए। अभी वे इस स्थिति में नहीं हैं कि आपको कैलकुलेशन कर बता सकें कि कितना अमाउंट बनेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम अपने क्षेत्रों में जाएंगे, हमको भी देना पड़ेगा कि कितना फायदा हुआ, कहां-कहां पर यह फसल बोई जाती है। जब फसल बोई ही नहीं जाती है तो फिर छूट किस बात की?

श्री रामप्रताप : जो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं इन्होंने भी नहीं माना था कि 50 प्रतिशत कम कर लिया गया। यह तो हमने अखबारों को उठा कर देखा जब पता चला कि...

श्री सांवर लाल : यह बात ठीक है कि नोटिस नहीं दिया पर जब हमने जानकारी चाही है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : 50 प्रतिशत कम कर दिया, यह पता नहीं था कि इन्होंने इन-इन पर कम कर दिया, यह तो अखबारों से पता चला। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, कैलकुलेशन करने वाले अधिकारी हैं, आपके पास आ जाएगी सारी जानकारी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है। माननीय मंत्री जी उत्तर दें उसके पश्चात् हम पूछते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल पर जिस रफ्तार से आपने उत्तर दिया उसके बाद तत्काल ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, हम अपनी बात, अपनी जिज्ञासा को रख नहीं सके। अध्यक्ष महोदय, हम मात्र स्पष्टीकरण चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा है। हम चाहते हैं मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इस सदन के अंदर इस तरह की परम्परा रही है कि कई ऐसे विषय जो जनहित से जुड़े रहे, जिन विषयों पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाऐ, जिन विषयों पर स्पष्ट बात सामने आये ही नहीं तो सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से उस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चीज को स्पष्ट किया गया है। इसलिए इसमें कोई जिद की बात नहीं है, वित्त मंत्री जी।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, कल इसके बारे में चर्चा हो गई थी उसमें 50 प्रतिशत कर दिया था। आपने भी तालियां बजाई थीं, आपने भी तालियां पीटी थीं खूब, धन्यवाद दिया था मंत्री जी को। आज आप बात कर रहे हो।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जब ही तो हम जानकारी चाह रहे हैं कि कितना फायदा किसानों को होगा आधा करने से। इतनी-सी जानकारी देने में मेरे ख्याल से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यह जानकारी आ सकती है अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाह रहे हैं कि किन-किन वस्तुओं पर इन्होंने टैक्स कम किया है? उससे मामला क्लीयर हो जाएगा कि इसकी मानसिकता क्या है? किसानों का भला करने की मानसिकता है या किसानों में भ्रम फैलाने की मानसिकता है, यह क्लीयर हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में पांच महत्त्वपूर्ण विधेयक हैं। शनिवार को प्रश्नकाल नहीं होता लेकिन आज सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाएगा। ये पांचों बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक हैं और इन पर विचार करना अति आवश्यक है, इसलिए आपने आज शून्य काल भी नहीं रखा। (व्यवधान)... आप मेरा निवेदन सुन लीजिए।

श्री सांवर लाल : हमने भी ताली बजायी (व्यवधान) जनता के टैक्सों के बारे में जानकारी लेना हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम अपने-अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि कितने एरिया में किस-किस फसल पर क्या किया है। (व्यवधान) तो इनको क्या परेशानी आ रही है? (व्यवधान) वित्त मंत्री जी क्या इसका जवाब देंगे? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कि विनियोग विधेयक पारित किया जा रहा था...

श्री रामप्रताप : जहां किसानों की बात होती है वहां आप अड़ जाते हैं, किसानों को बिलकुल नहीं सुना जाता। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको बोलने का पर्याप्त अवसर था, आपने इस टैक्स का अपनी तरफ से विरोध भी दर्ज करवा दिया। उसके बाद में माननीय वित्त मंत्री जी के जवाब में मुख्य फसलों पर सिंचित क्षेत्र में किसान से वसूल की जाने वाली सिंचाई दरें आधी कर दी गयीं उस समय आप मेजें थप-थपा रहे थे।

श्री रामप्रताप : आपके पास सक्षम अधिकारी बैठे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे बाद में इसकी सूचना दे दो। कौन रोक रहा है

(श्री राम प्रताप)

आपको इस बात से? लेकिन कम से कम पता तो चलना चाहिए। राज्य सरकार का यह दायित्व है। अगर हम सूचना नहीं मांगें तो भी आपको बतानी पड़ेगी कि जो करों की आपने रियायत दी है उस पर कितने करोड़ की रियायत दी है। (व्यवधान) वह आपको बतानी चाहिए। हम सूचना नहीं मांगें तो भी आपको बतानी चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सदन का हर मुद्दा महत्वपूर्ण हुआ करता है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : इसमें क्या ऐसी बात है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हर काम महत्वपूर्ण हुआ करता है। अब इसमें आप एक-एक करके पूछेंगे कि इसके क्या-क्या इम्प्लीकेशन होंगे, आपने आम बजट में बढ़ोत्तरी की है टैक्स में, या घटोत्तरी की है तो इसके क्या प्रभाव होंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिंचाई की दरों में बिना स्पष्ट किये ही (व्यवधान) लेकिन उसको क्लासिफाई कर दिया, चने के ऊपर, बाजरे के ऊपर अलग-अलग रखा है। (व्यवधान) वही तो किया इन्होंने और क्या कम कर दिया? (व्यवधान) करना नहीं करना बराबर हो गया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना-सा निवेदन है कि आपने जो शर्तें उसमें लगायी हैं (व्यवधान) यह कहा कि इन इन को छूट इम्पोज करेंगे। (व्यवधान) इस पर कितने किसानों को उसका लाभ मिलेगा? (व्यवधान) इसमें लाभ देने की बात ही नहीं है। (व्यवधान) केवल मूर्ख बनाने का काम किया गया है। (व्यवधान) अगर लाभ देने की बात थी तो क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए था। हम तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केवल इतनी ही बात वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपने जो शर्तें लगायी हैं कि उन पर बोएंगे उस पर छूट होगी, उन शर्तों को खत्म कर दो और 50 परसेंट छूट सभी काश्तकारों को दे दो ताकि काश्तकारों को आपकी छूट का, रियायत का लाभ तो मिल सके। इतना ही तो निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पर दो दिन चर्चा हो गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, वह समझ में ही नहीं आयी, सदन को स्थगित एकदम से कर दिया।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पारित हो गया। (व्यवधान) पारित होने से पूर्व वित्त मंत्री जी ने करों के सम्बन्ध में जो भी संशोधन उचित समझे उसकी यहां पर घोषणा कर दी। अब आप वापस उस वक्त के दिन क्या किया, उसका स्पष्टीकरण मांग रहे हो। नहीं, यह कोई समय नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हम तो इतना जानना चाह रहे हैं कि 50 प्रतिशत जिन पर छूट दी गयी है (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजस्थान की सरकार देखें कि कितना फायदा मिल रहा है, किसानों को। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : छूट दी गयी है उससे कितना उस 15 करोड़ में असर पड़ेगा, यह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : कहीं पर बाजरा लिखा है, कहीं पर आपने चना लिखा है, कहीं पर ज्वार लिखा है, उनमें कोई इर्रिगेशन नहीं होता। कामर्शियल क्रॉप जो हैं जिसको किसान बहुतायत में करता है, उनका तो आपने टैक्स माफ किया ही नहीं। यह एम्बीग्यूटी पैदा कर दी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, बार-बार कहने से ज्वार कामर्शियल क्रॉप नहीं है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जिसका किसान को मालूम ही नहीं है। (व्यवधान) इस पर 50 परसेंट आप बराबर कर दीजिये ताकि इनको भी परेशानी नहीं हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसी न किसी का बाद में यहां पर नाम लो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका और माननीय सदस्यों का यह आग्रह नहीं है कि उस बिल के अन्दर जो अब एक्ट बन चुका, कोई परिवर्तत लाओ। वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई और स्वागत किया था माननीय सदस्यों ने। उसके बाद यह तथ्य उजागर हुआ कि उन्होंने बहुत टैक्टफुली कुछ क्रॉप्स के ऊपर 50 परसेंट कर दिया जो कि कमाण्ड एरिया में होती ही नहीं है। हो सकता है अभी भी हमको भ्रांति हो तो, अध्यक्ष महोदय, उसमें क्लैरिफिकेशन कतई अनुचित नहीं है जो उससे ताल्लुक रखता हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : भ्रांति क्या है? जो फसल बोयी जाती है उस पर मिलेगा, अगर नहीं बोयी जाती है तो उस पर नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय कोई नई रियायत नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि थोड़ा स्पष्टीकरण आप कर दें। आपने जो कलाकारी की है वह थोड़ी हमें बता तो दो। औरों को भी पता लग जाएगी, हम उसी भाषा में बता देंगे लोगों को। थोड़ा-सा आप बता ही दो। उसके लिए कहते हैं हमें मालूम है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम माननीय वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण आप उस बिल के सम्बन्ध में जो आलरेडी इस सदन द्वारा पारित किया जा चुका है...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्लैरिफिकेशन उस समय किया नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए वित्त मंत्री जी इसको पूरा कैलकुलेट करके आफ हैंड कोई बात सदन के अन्दर कहना नहीं चाहते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप दोपहर के बाद करवा दो, एक स्पष्टीकरण आ जाए।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण तो यही है कि अभी वे स्पष्टीकरण करने की स्थिति में नहीं हैं। वे इस पोजीशन में नहीं हैं कि उस बिल की जो उन्होंने घोषणा की थी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्पष्टीकरण यह आ जाए, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय वित्त मंत्री जी ने किन लोगों को कृतार्थ किया है।

श्री अध्यक्ष : उसका अभिप्राय क्या था? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने दो तरीके से किसान के साथ ठगी की है। जो फसल लाखों एकड़ सिंचित क्षेत्र में से कोई सौ, पचास बीघा में होती है उसको तो आपने माफ किया। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, एक ठगी और की है इन्होंने, सबसे कम जिसका लगान है उस फसल को इन्होंने चुना है। आप जांनबूझकर इस तथ्य को छिपाना चाहते हैं। आपके पास बहुत सक्षम अधिकारी बैठे हैं, आपको घंटे, दो घंटे में इसकी सूचना देने में क्या दिक्कत आ रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी की बात है कि जब सदन में इस बात की घोषणा की गयी तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही तरफ के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इस बात का स्वागत किया, लेकिन जब सुबह हमने अखबार उठाकर देखा तब उसमें हमको जानकारी मिली। जिस तरीके से आपने ट्रेक्टर को घसीटा, मोटर वाहनों वाले मामले में, इस तरीके से कितनी ही चतुराई के साथ किसान के साथ आप किस हद तक जा सकते हैं अन्याय करने में। अन्याय करिये लेकिन कम से कम उनके साथ धोखा मत करिये। पिछले साल के बजट में 15 करोड़ रुपये जो किसानों को मुआवजे के रूप में देने थे, उसका प्रावधान था उसको आप खा गये, उसका जिक्र नहीं किया आपने। आपने खालों की किश्तें माफ की थीं उसका आपने कोई प्रावधान नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कह चुके हैं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप किसान हैं...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हमको भ्रम में रखने की कोशिश की गयी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसान को वित्त मंत्री जी से लेना-देना नहीं है पर आपका तो किसान से बहुत नजदीक का लेना-देना है, अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करें। (व्यवधान) आज सत्र के आखिरी दिन तो कृपा रखिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो घंटे में हाउस को बता दो। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी : आपने जो घोषणा की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थोड़ा स्पष्टीकरण दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सदन एडजोर्न होने के पहले पहले स्पष्टीकरण दे दें। (व्यवधान) कहां दिक्कत है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप जरा मेहरबानी करें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वित्त मंत्री जी यह कह दें कि हम किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना चाहते, वरना क्लैरिफिकेशन देने में कहां सरकार को दिक्कत है, वित्त मंत्री जी को दिक्कत है ? हाउस एडजोर्न होने से पहले दे दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से इस बात की जानकारी चाह रहे थे...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सदन को भ्रम में रखा है। (व्यवधान) जब तक स्पष्टीकरण वित्त मंत्री जी नहीं देंगे, तब तक सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सिंचित क्षेत्र का किसान आज ऐसे दिख रहा है जैसे...(व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया उन्होंने। उन्होंने कह दिया कि मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूं कि आफ हैंड इसका यहां पर उत्तर दे सकूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आफ हैंड क्या नहीं दे सकते, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, पांच घंटे का समय दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्फोर्ट घोटाले की भी जांच करवा दो, इसमें भी किसानों को पीसा गया था। (व्यवधान) फर्जी ट्रैक्टरों के इनके जुलूस ले गये थे। एम्फोर्ट घोटाला भी किसानों के साथ ही हुआ था, उसकी भी आप जांच करवा दो मेहरबानी करके। हमने एक साल तक उसका धरना दिया था, आपकी सरकार थी उस समय हमने धरना दिया था एम्फोर्ट का, उसकी भी जांच करवायी आपने। वह भी किसानों का ही मामला है, एम्फोर्ट घोटाले की जांच करवा दी जाए। एक साल तक धरना दिया था हम लोगों ने। वही सरकार आज किसानों की हिमायती बनी हुई है। एम्फोर्ट घोटाले पर भी किसानों के साथ धोखा किया गया है। (व्यवधान) अब ये बात करते हैं किसानों की। (व्यवधान) ये किसानों के हिमायती नहीं, किसानों के दुश्मन हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्री जी आप किसान नहीं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एम्फोर्ट घोटाला किया था, इनका खुद का हाथ था इसके अन्दर। मुख्य मंत्रीजी का था, रिश्तेदारों का था, सबका हाथ था एम्फोर्ट घोटाले में। (व्यवधान) इसकी मेहरबानी करके जांच करा लें। (व्यवधान) एम्फोर्ट घोटाला भी किसानों का था।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वित्त मंत्रीजी इन्फार्मेशन दे देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कुल दलाली मिली है क्या रामस्वरूपजी ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, इनके घोटालों की जांच करवाएं। (व्यवधान) आप एम्फोर्ट घोटालों की जांच करवाएं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : किसानों को लाखों रुपये (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन है कि यह जो विषय उठा है, बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बहुत महत्वपूर्ण है (व्यवधान) आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय यह भी सही है कि उत्तर तुरन्त दे सकते हैं। (व्यवधान) लेकिन आप 4 बजे उत्तर दिला दीजिए। (व्यवधान) 4 बजे उत्तर दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आज तक ऐसा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आज स्पष्टीकरण की जो आप बात कह रहे हैं, उस सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी को मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं। बाध्य इसलिये नहीं कर सकता कि उनके पास कैलकुलेट करने के लिये फिगर्स नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पूछ तो लें।

श्री अध्यक्ष : इसलिये आप कार्य सूची को व्यवस्थित रूप से चलने दीजिए। यह कोई इश्यू नहीं था, कोई नोटिस नहीं था, कोई बात नहीं। जीरो आवर आज है नहीं।

श्री रामप्रताप : जीरो अवर को आप मना नही कर सकते। जीरो अवर को आप कैसे निकाल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मना कैसे नहीं कर सकता हूं।

श्री रामप्रताप : नहीं, यह ऐसे नहीं निकाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बिलकुल मैं कर सकता हूं। यह अध्यक्ष के प्राधिकार में है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह अध्यक्ष महोदय का अधिकार है। (व्यवधान) इस पर तो आप कुछ कह हीं नही सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिलकुल निश्चित तोर पर कर सकता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इस सदन को संचालित करने के लिये अध्यक्ष महोदय के पास असीमित अधिकार हैं। (व्यवधान) यह अध्यक्ष महोदय का अधिकार है।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : चेयर को धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान) चेयर को धमकी दे रहे हैं आप। (व्यवधान) यह कोई तरीका है ? (व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : आप धमकी नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह किसान विरोधी सरकार है। (व्यवधान) किसान विरोधी सरकार है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : यह कोई तरीका है? यह धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह आसन नियमों से चलेगा। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : चेयर को धमकी दे रहे हैं आप, हम चुप नहीं बैठेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसान विरोधी है। कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी है। (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कोई धमकी नहीं है।

श्री परसादी लाल : कैसे नहीं है? चेअर को धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, सदन दबाव में आकर चलाना चाहते हैं। (व्यवधान) ऐसी परम्परा कभी नहीं रही। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आप धमकी नहीं दे सकते हैं। यह धमकी नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान) कोई जीरो अवर नहीं होगा।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, इतना कहना चाहता हूं कि . . . (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, ये दबाव में लाकर आपसे सदन चलवाना चाहते हैं। (व्यवधान) ऐसी परम्परा कभी सदन के अन्दर नहीं रही। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : चेयर को धमकी हीं दे सकते हैं। क्या समझ रखा है हाउस को? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कोई धमकी नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) धमकी दे रहे हैं। कोई नोटिस नहीं, कोई कार्य सूची में नहीं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, हम आसन का पूर्ण सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आसन का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान) आसन सर्वोच्च है। (व्यवधान) आसन हमेशा नियमों से चलता है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आप किसान विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आपकी दुर्दशा हो गयी जो आप यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एम्फोर्ट का घोटाला किया था जो आज किसान की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : आसन को चुनौती नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके भरोसे हैं क्या हम? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो। (व्यवधान) यह हाउस का अपमान है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : हाउस को ऐसे कैसे कर दिया? हाउस में इस तरह से कर दिया...(व्यवधान) नहीं तो आपका विश्वास कौन करेगा? सारे बोलेंगे मिलकर कि जीरो अवर नहीं होगा और...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : लूट कर खा गये लोगों को। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : सारे किसानों को लूट कर खा गये, अब आप किसानों के हितैषी बन गये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले आप माफी मांगिये। पहले माफी मांगो। (व्यवधान) किसानों के नाम पर आसन को धमकी देना चाहते हैं। (व्यवधान) पहले माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह धमकी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : धमकी देकर सदन को चलाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : बहुत ही अनुचित व्यवहार है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसानों के नेता हैं और किसानों पर दी हुई व्यवस्था...(व्यवधान) जीरा आवर यहां पर नहीं किया, उसके खिलाफ यहां बोले तो किसानों के हितैषी कहां गये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षपीठ को कार्य-सूची में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार है। आज क्वेश्चन-आवर भी नहीं है और जीरो आवर का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। लेकिन एक अवसर देते हैं। जीरो आवर का कौनसे रूल में प्रावधान है? (व्यवधान) लेकिन कई माननीय सदस्य, अपनी बात कहना चाहते थे तो मैंने एक अनुमति दी कि 10-15 मिनट में जो कुछ बात आप कहना चाहते हैं, वह कह दें और फिर सदन की कार्य सूची चले। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी विराजे हैं, स्पष्टीकरण, आकंड़े तो बताएं। (व्यवधान) हम परिवर्तन की मांग नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) ये परिवर्तन करने वाले नहीं है। अगर 4 बजे तक वित्त मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस कर में रियायत दी है, यह रियायत दी है। इसमें कितने किसानों का, कितने एकड़ जमीन का फायदा...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सम्भव नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। कि सदन में बजट पारित होने के बाद में उस पर किसी तरह के क्लैरिफिकेशन की मांग की जाएं। 48 बजट हो गये, किसी भी बजट के ऊपर ऐसा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कौनसी नई परम्परा कायम कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं, बैठिये आप।

श्री रामप्रताप : क्या आसन पैरों पर नहीं है, वे उधर से बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बारबार आसन के प्राधिकार को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : नहीं, चुनौती नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसी कोई मंशा नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : इतना आदर देते हैं, कहना मानते हैं कि इतना तो कोई नहीं मानता इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आसन का कहना नहीं मानते? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिस तरह की भाषा का आपने उपयोग किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्वायत्त शासन मंत्री। अभी भी आप यूं-यूं करके बोल रहे हैं। यह तरीका है क्या आपके बोलने का?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप चमकीली शर्ट दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है।

श्री रामस्वरूप : मूंछों से डराना चाहते हैं, मूंछों से डरने वाले नहीं हैं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 95-96

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री भीखा भाई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में कर लीजिएगा।

श्री भीखा भाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, एक मिनट। बाद में रैगूलर बिजनस चलेगा। (व्यवधान) एक महत्वपूर्ण बात है, कल गृह मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भीखाभाई जी रुकिये।

श्री भीखा भाई : लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कल गृह मंत्रीजी ने यह सूचना सदन के अन्दर उपलब्ध कराई थी कि सरमथुरा के अन्दर, जिसके लिये कहा कि जगदीश गुर्जर का एन्काउंटर के अन्दर...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : हमारे वाले मुद्दे का क्या हुआ, साहब? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जो मुद्दा हमने उठाया था उस मुद्दे की कोई व्यवस्था नहीं हुई, (व्यवधान) आसन का आदेश तो शिरोधार्य है लेकिन हमारी यह मांग है कि माननीय वित्त मंत्रीजी इसका 4 बजे . . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देंगे, देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : आया कहां है? आया नहीं है वह। 4 बजे दे दें, यह हमारी मांग रही है। अभी जानकारी नहीं है तो जानकारी मांग लें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, कितने किसानों का फायदा होगा, इस जानकारी के अलावा कुछ नहीं मांग रहे हैं।

श्री रामप्रताप : किस जिंस में दिया है, बता दें। दिया है तो बता दें, किस-किस में दिया है।

श्री हीरासिंह चौहान : आप 4 बजे का निर्देश दे दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सारे सक्षम अधिकारी हैं, आपके पास तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, यह बता दें कि आप स्पष्टीकरण देंगे या नहीं देंगे। हां और ना में ही बता दो खाली। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पांच मिनट की बात है, अध्यक्ष महोदय, हम तो केवल स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, जिस बात पर हमने...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो केवल स्पष्टीकरण चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। क्लैरिफिकेशन देना है। स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, यह तो कम से कम हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वित्त मंत्रीजी ने सूचित नहीं किया है इसलिए यह बताएं कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात पर जानना चाह रहे हैं। (व्यवधान).

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो यह जानना चाह रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पूरी गम्भीर घटना को ध्यान में रखकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने का मैंने अवसर दिया था, वे क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इसकी हो जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। हो गये हैं।

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी-सी बात की सूचना अगर राज्य सरकार नहीं दे सकती तो, लोकतंत्र के अन्दर बहुत गम्भीर बात है। किसान विरोधी सरकार है। (व्यवधान) इस बात के खिलाफ मैं वाक-आउट करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खाना खाना चाहते हैं। आप पधारिये साहब, खाना खा आओ। रोजाना का नियम है इस समय, हमें क्यों खाते हो? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : वापस मत आना।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

सरमथुरा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये व्यक्ति के संबंध में दिया गया शासकीय वक्तव्य

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कल सदन में सरमथुरा थाने के अन्तर्गत कोई एन्काउण्टर में जगदीश गुर्जर नाम के डकैत से किसी को मार दिया वह जगदीश गुर्जर नहीं था। नहीं था, इस प्रकार की चर्चा आयी थी। माननीय गृह मंत्रीजी ने सदन में खड़े होकर यह सूचना उपलब्ध करायी थी कि उसके साथ कोई 12 पाइंट की बंदूक मिली और वाकायदा रैगुलर डकैत था, जिसे आथेंटिकली उन्होंने...

श्री परसादी लाल : यह कहां से आ गया मामला? कल इस पर चर्चा हो गयी, गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परसादीलाल जी। आपने ठेका ले रखा है क्या? मैं अध्यक्षजी की अनुमति से बोल रहा हूं। क्या आप मानिटरिंग कर रहे हैं, बैठे-बैठे? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : अध्यक्षजी ने किसानों के मामले में बोलने के लिए कहा है न कि इस मामले में कहा है। नहीं-नहीं, इस मामले में नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अध्यक्षजी की अनुमति से बोल रहा हूँ, आप बैठिये। जबरदस्ती आप...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आप अध्यक्ष जी की परमिशन से नहीं बोल रहे हैं।

श्री परसादी लाल : नहीं, आपका कोई नोटिस नहीं है। इनका कोई वह है क्या? दूसरे मामले में बोलने लग गये। अध्यक्ष महोदय, दूसरे मामले में रोज ही चर्चा, क्या चाहते हैं उसमें आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई चर्चा नहीं चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप : तो फिर क्या है?

श्री रामस्वरूप : कल गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री बाबूलाल नागर : आप अध्यक्षजी से इस मामले में परमिशन लें और फिर बोलिये। दूसरे मामले में नहीं बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस मामले में बचा क्या है, जो बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : इसमें नहीं दी है अनुमति आपको, आप पूछ लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कल गृह मंत्रीजी से सारा जवाब दे दिया, स्पष्ट कर दिया इसमें बिलकुल, कोई कमी नहीं रही, किसी प्रकार की।

श्री परसादी लाल : अध्यक्षजी। आपने दूसरे मामले में बोलने के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : फिर वही मुद्दा दुबारा आ गया। नहीं, एम्फोर्ट घोटाले की जांच करो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वह दिया है या नहीं दिया है, यह अध्यक्षजी का (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नहीं दिया तो एम्फोर्ट घोटाले की जांच करो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : नहीं, नहीं दिया है। पूछ लो न अध्यक्ष जी ने किस में दिया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्षजी से अनुमति लेकर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्षजी बता देंगे कि किस मामले में दिया है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति है, आप कैसे मना करेंगे? अनुमति है, बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आसन की अनुमति से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : हां, पूछ लीजिए अध्यक्षजी से।

श्री अमराराम (धोद) : यह आप कोई कैसे कह सकते हैं? बोलें या नहीं बोलें, यह निर्णय तो अध्यक्षजी करेंगे। आप कौन होते हैं, बीच में बोलने वाले? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी कल वक्तव्य दे चुके हैं और अब आज आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात कहना चाहता हूं। आज जो केस में डवलपमेंट हुआ है, अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ उससे अवगत कराना चाहता हूं। एस. पी., धौलपुर ने यह बात स्वयं ने कहीं है कि वह आदमी जो मरा है, वह निर्दोष है। यह एक बहुत बड़ा कोण्ट्राडिक्शन खड़ा हो गया, अध्यक्ष महोदय, और यह बड़ा गम्भीर विषय हो गया। राज्य का गृह मंत्री एक बात कहता है और वहां का मौके का एस. पी. एक बात कहता है तो यह साधारण घटना नहीं है। हम कल गृह मंत्रीजी के वक्तव्य को फेस-वैल्यू पर लें, खैर, लेना भी चाहिए जब गृह मंत्री कोई बात कहता है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन जब एस.पी. कोण्ट्राडिक्ट करता है गृह मंत्रीजी को तो यह क्लैरिफिकेशन जरूर आना चाहिए कि आखिर एस. पी. गलत कहता है या गृह मंत्री गलत कहते हैं। उन्होंने खुद ने कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : अब आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज यह निर्विवाद रूप से है कि वह आदमी निर्दोष था जिसको पकड़ा है, वह आदमी नहीं था और गलतफहमी में हमने उसको मारा है। यह बात कही है तो यह एक बहुत गम्भीर मसला हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सत्र का अन्तिम दिन है, आप कृपाकर इस बात पर हस्तक्षेप करेंगे कि जो कुछ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

भी बात कहनी हो, आज समापन हो जाएगा, अब कोई महत्वपूर्ण बात जो आपका दृष्टिकोण है, सर्वथा उचित है। अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों को अनुमति दे रहे हैं। अब एक कालूराम खटीक (व्यवधान) आप बैठो। आप क्यों, एक मिनट मुझे...

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं, नहीं-नहीं। नहीं वे बोल रहे हैं, बीच में आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरे को जानकारी है। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। एस. पी., धौलपुर ने यह कहा है कि निर्दोष आदमी मारा गया है पुलिस की गोली से। अध्यक्ष महोदय, एस.पी., धौलपुर का बयान इसमें रिकार्ड है। आपकी इजाजत हो जाए...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : तो मैं इसको सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। गृह मंत्रीजी ने पूरे हाउस को कल गुमराह किया है। निर्दोष व्यक्ति मारा गया है। एस. पी., धौलपुर का बयान, अध्यक्ष महोदय, इसमें रिकार्ड है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि व्यासजी ने जिस मामले को उठाया है, मुठभेड़ में...

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये किस नियम से बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मुठभेड़ में जिस व्यक्ति को मारा है, वह पूर्णतः फर्जी मुठभेड़ है और उस फर्जी मुठभेड़ में इन्होंने ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मारा है जो अपने गांव जा रहा था। उसका किसी गैंग से कोई लेना-देना नहीं था। धर्मसिंह गुर्जर नाम के व्यक्ति को पुलिस ने मार गिराया है। कल गृह मंत्रीजी ने तोड़-मरोड़कर नाम दिये थे और (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, कल इस विषय में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। यह विषय दो बार उठाया गया। आसन से व्यवस्था दी गयी कि पूरा बयान इसका शाम को गृह मंत्रीजी देंगे। गृह मंत्रीजी ने बयान दे दिया, बयान देने के बाद में प्रश्न पूछ लिये गये और फिर यह मामला पूर्णरूप से समाप्त हो गया। मैं आपसे दूसरा और अनुरोध कर रहा हूं कि इस सदन में टेप आदि बजाने का या प्रोड्यूस किये जाने का कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : कौन बजा रहा है? अध्यक्षजी की इजाजत मांगी है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दूसरा और अनुरोध कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक नहीं अनेक डिसीजन्स हैं, जिसमें टेप रिकार्डर की कोई एविडेंशल वैल्यूज नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह कोई कह नहीं सकता कि यह वॉइस जो अपन सुनते हैं क्या वह एस. पी., धौलपुर की वॉइस है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें एस. पी. की विज्ञप्ति जारी हुई है। एस. पी. की विज्ञप्ति जारी हुई है, एस. पी. की विज्ञप्ति छपी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि conclusively and finally, it was decided yesterday. It should not be opened and re-opened today. यह मेरा आसन से अनुरोध है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : टेप रिकार्डर का नहीं कह रहा हूं। मुख्य सचेतक महोदय, मैंने टेप रिकार्डर का हवाला नहीं दिया है, मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य ने हाथ में ले रखा है। आप बताओ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मेरी अर्ज सुनें आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप बताइये कि यह सदन की परम्परा रही है, यहां पर टेप आते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सचेतक महोदय, कृपाकर मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : It is highly objectionable, whether it is a tape or a bomb. कल को कोई यहां पर बम लेकर आएगा। What is this? क्या तरीका है यह ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं कहां बोल रहा हूं ? क्या आब्जेक्शनेबल है ? एक मिनट, क्या आब्जैक्शनेबल है ?

डा. किरोड़ी लाल : निर्दोष लोगों को मरवा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि राज्य के गृह मंत्रीजी एस.पी. को कोण्ट्राडिक्ट करते हैं, यह कैसे महत्त्वपूर्ण नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं, वह सही है ? अध्यक्ष महोदय, जो भी मैंने यहां स्टेटमैंट दिया, एस.पी. की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस हैडक्वाटर के अन्दर स्टेटमैंट बना वह स्टेटमैंट मैंने उस हाउस के अन्दर दिया है। इस सदन में सरकार के मंत्री जो कुछ भी कहते हैं वह सरकारी तंत्र के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करायी जाती है, उसके आधार के ऊपर देते हैं। जिस वक्त तक मुझे नाम नहीं पता था, मैंने इस सदन को नाम नहीं बताया। जब शाम को उन लोगों के द्वारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, नाम बताया था, नाम दिया। ये कहते हैं विज्ञप्ति, विज्ञप्ति जो पहले जारी हो गयी थी, वह विज्ञप्ति आ गयी, अध्यक्ष महोदय तब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ, कल शाम को, उसके बाद मैंने यहां जानकारी दी। फैक्ट्स को ट्विस्ट करना, कोई टेप-रिकार्डर ले आता है; कोई कुछ ले आता है। वामनवास से आने वाले माननीय सदस्य को विस्तार से कल मैंने यहां पर उत्तर दिया है। अब राजनैतिक लाभ के लिए उठाना चाहें तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुझे कहना था वह कल मैंने कह दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें क्या राजनैतिक लाभ है ?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी के स्टेटमैंट के बाद की प्रेस

(डा. किरोड़ी लाल)

विज्ञप्ति है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमैंट दिया, उसके बाद का स्टेटमैंट दे रहे हैं। (व्यवधान) एस. पी. का...

श्री सुरेन्द्र व्यास : गृह मंत्रीजी, आपने वक्तव्य दिया...,

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार और इस सदन के द्वारा स्थापित परम्पराओं के अनुसार सदन की कार्यवाही का संचालन होता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री महोदय को काल कर लिया और माननीय भीखा भाई ने समिति का प्रतिवेदन रख दिया। कार्यवाही विधिवत् चालू हो गयी। उसके बाद न तो कोई नियम का हवाला है, न कोई परम्परा का हवाला है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात उठा दी और मंत्री महोदय ने खड़े होकर जवाब देना शुरु कर दिया। किस नियम के तहत तो माननीय सदस्य ने यह बात उठायी और किस नियम के तहत गृह मंत्री ने जवाब देना शुरु कर दिया? अब यह नया इश्यू खड़ा हो गया, अब इस पर बहस होगी। मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उस पर इधर से बोलेंगे, उधर से बोलेंगे। चारों तरफ से बोलेंगे। यह किस नियम के तहत सब हो रहा है? मान्यवर, कौनसी परम्परा है यह, आप निर्णय कीजिए। मान्यवर, व्यवस्था कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिनिस्टर बोलता है, वह स्टेटमैंट होता है। मिनिस्टर जो बोलता है, वह स्टेटमैंट होता है और स्टेटमैंट होता है तो क्लैरिफिकेशन करने का हमको राइट है। इसमें क्या दिक़्कत है?

श्री रामनारायण चौधरी : आपने बिजनस ले लिया। आपने बिजनस ले लिया, मान्यवर, उस पर, आपने भीखाभाई का नाम पुकार लिया...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप किस नियम और व्यवस्था के तहत, माननीय सदस्य, बोल रहे थे? आप अनर्गल आरोप लगाएंगे मेरे ऊपर? आप अनर्गल आरोप लगाएं तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस नियम के तहत आप उत्तर दे रहे थे, उस नियम से बोल रहे थे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : भीखा भाई ने सदन की मेज पर पत्र रख दिया। कार्य प्रारम्भ हो गया हो...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, सिर्फ एक वह, अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, अब मैं कुछ नहीं...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी ने यहां वक्तव्य दे दिया, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री हरजीराम बुरडक

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति के दो प्रतिवेदन (नवां व दसवां)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 के द्वारा प्राधिकृत करने पर कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार

(श्री हरजीराम बुरडक)

समिति के निम्न दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92) से सम्बन्धित समिति का नवम् प्रतिवेदन, एवं

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93) से सम्बन्धित समिति का दशम् प्रतिवेदन।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई गम्भीर मामला हो गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय सदस्य कुछ कहना चाह रहे हैं, उस पर, अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर मामला क्या हो सकता है कि सीधे-सीधे निरपराध व्यक्ति को गोली से उड़ा दिया गया।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री हीरासिंह चौहान, श्री रामसिंह कस्वां।

याचिकाओं का उपस्थापन

सोजत पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालय दोनरड़ी का क्रमोन्नयन

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय दोनरड़ी, पंचायत समिति सोजत, जिला पाली को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम सिंह कस्वां।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित दो याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं—

राजगढ़ तहसील के राजस्व ग्राम नूहन्द से पिलानी रोड का डामरीकरण

(1) जिला चूरू तहसील राजगढ़ के राजस्व ग्राम नूहन्द से पिलानी मैटल रोड का डामरीकरण करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

रडवा ग्राम से कानूरूणा अधूरी सड़क को पूर्ण किया जाना

(2) कृषि मण्डी समिति सादुलपुर जिला चूरू द्वारा ग्राम रडवा से कान्दराणा तक बनी अधूरी सड़क को पूरी कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खिलौरा गांव में अवैध खनन हो रहा है, उसको रुकवाने के क्रम में याचिका थी, अभी पेपर उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने तीन याचिकाएं दी हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां, जी।

श्री अध्यक्ष : तीनों को ही प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक तो खनन से सम्बन्धित है, एक आवास विकास से सम्बन्धित है.. (व्यवधान) तीन लोगों द्वारा खनन के बारे में, अवैध खनन हो रहा है और खनन करने वाले गुंडागर्दी करें। आवास विकास संस्थान के लोग ..(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये याचिकाएं ज्ञानचन्द पारख की हैं और यह ज्ञानदेव आहूजा बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, लिखा ही गलत है ये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : याचिका है, दूसरी है। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका नहीं है। यह गलत टाइप हो गया था। यह ज्ञानचन्द पारख का है। श्री ज्ञानचन्द पारख। (अनुपस्थिति)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपको खुशी होगी कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कितने जागरूक हैं। आपने नाम पुकारा, विषय का पता नहीं है तो इस पर 15 मिनट का भाषण दे दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इनको जागरूक रहना चाहिये ही।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह गलती से टाइप हो गया था। (व्यवधान) श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित तीन याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं:—

चौमूं में बंधे से सामोद रोड तक पानी की पाइप लाइन

(1) चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में बन्धे से सामोद रोड़ पर पानी की पाइप लाइन डालने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग को अधिक चौड़ा किये जाने बाबत

(2) जयपुर-बीकानेर नेशनल हाई-वे संख्या–11 को चौड़ा करने एवं मार्ग विभाजक बनवाये जाने बाबत एवं तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित

चौमूं से वीर हनुमानजी तक रोड की मरम्मत

(3) चौमूं से वीर हनुमानजी तक जाने वाली सड़क की मरम्मत करवाये जाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। श्री चन्दन मल बैद, प्रभारी मंत्री।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने मोटर यान पर प्रवेश कर, विधेयक को डैफर करने के लिये प्रार्थना की थी और हाउस ने इसको डैफर किया था। मैंने यह कहा था, विचार-विमर्श करके आज के लिये डैफ़र कर दिया जाए। विचार-विमर्श अभी पूरा नहीं हुआ है इस वास्ते मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इसको और डैफर कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो आखिर में है। आपका..(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हां, यही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, यह कहिये। वह मैंने पूछा आखिर में क्या करने जा रहे हैं। वह तो पांचवां बिल है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह तो पांचवां है।

श्री अध्यक्ष : आप तो राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियम और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को लें।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने मोटर यानों पर प्रवेश कर, विधेयक को वापस लिया है पांचवें नम्बर पर।

श्री चन्दन मल बैद : वापस नही लिया है, डैफर करने की बात कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज तो नहीं आएगा, न सदन में यह लिस्टेड है। यह सूची में पांचवें नम्बर पर यह लिस्टेड है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कार्य सूची के पांचवें नम्बर पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मैंने देख लिया कि पांचवें नम्बर पर है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह तो उसका वक्त आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने पहले प्रस्ताव कर दिया न डैफर के लिये तो डैफर हो गया, तो फिर पांचवें नम्बर पर नहीं आएगा न आज।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पांचवें नम्बर पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कह रहे हैं न आप?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आसन पर है।

श्री अध्यक्ष : यह पांचवें नम्बर पर है। वित्त मंत्रीजी के और मेरे बीच में बातचीत हुई थी कि मैं डैफर करना चाहूंगा इसको, वह डैफर आलरेडी आखिरी बिल है वह।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, आज के लिये डैफर किया था। मैं यह निवेदन कर रहा था आपसे।

श्री अध्यक्ष : हां, आज के लिये ही है। कार्य सूची में आ गया है वह।

श्री चन्दन मल बैद : मैंने कहा आज के लिये डैफर कर दिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वापस ही ले लो न, वित्त मंत्रीजी, बात खतम हुई। डैफर क्यों करवा रहे हैं, वापस ही ले लो।

श्री चन्दन मल बैद : आपकी मर्जी से काम करूंगा कि मेरी मर्जी से काम करूंगा मैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैंने तो राय दी है आपको। आपको राय देने का मुझको अधिकार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी राय को हम नहीं मानते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस अधिकार से आप रोक नहीं सकते। इस जन्म में तो रोक नहीं सकते, अगली बार कोई दूसरी बात हो तो देखेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राय तो बुजुर्ग दिया करते हैं, आप तो बच्चे हो, आपकी राय से क्या लेना-देना ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब कलयुग का जमाना है, संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : राठौड़ साहब, आप एक ही जिले के निवासी हैं, और एक ही तहसील के हैं। आप दोनों मित्र हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, साहब, मेरे दादाजी के मित्र हैं।

श्री अध्यक्ष : दादाजी के मित्र हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मेरे दादाजी के मित्र हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : दादा-पोता हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय वित्त मंत्री महोदय, कल के डैफर बिल को आगे डैफर करने के लिये जो प्रस्ताव रखा और सदन ने माना, मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, डैफर वाला नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, साहब मैं, दूसरी बात कहना चाहता हूं। उनको धन्यवाद दिया है मैंने तो और अब इस बिल पर आ रहा हूं मैं। वह धन्यवाद तो मैंने बैदजी को दिया कि इसे डैफर कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, आज सदन के सामने राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 विचारार्थ के लिये आया है। मैं तहेदिल से इस बिल की भावनाओं का स्वागत करता हूं। अध्यक्षजी, सरकारी कार्यालयों में, सरकार से नियन्त्रित संगठनों में और सब जगह इस प्रकार की आपा-धापी मची हुई थी कि कोई अपने जानकार को, अपने रिश्तेदार को किसी भी रूप में राज्य सेवा में या उन बोर्डों की सेवा में जहां भी उसको मौका मिलता था, डोर से एण्ट्री कर लेता था। कराने के बाद वे सरकार को एक जोंक की तरह से जिन्दगी भर चूसते थे। इसको नियन्त्रित करने के लिये माननीय वित्त मंत्रीजी यह विधेयक लाये हैं, इसके लिए बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत आपको बधाई।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में कुछ इस प्रकार के प्रोवीजंस

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं, जो प्रोवीजंस यदि ठीक ढंग से नहीं किये गये और इसी प्रकार से प्रजेंट फार्म में रहे तो मेरे ख्याल से बहुत हार्डशिप

(11.48 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

होगी और जिसकी सेवाओं में हम यह कार्यवाही करना चाहते हैं वह भी हम नहीं कर पाएंगे। उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत समय नहीं लेकर तीन-चार क्लाजेज की तरफ माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 4(4) 'Prohibition of daily wage appointments and regulation of temporary appointments.' उपाध्यक्षजी, डेली वेजेज पर पाबन्दी आपने लगायी है, आवश्यक है। टैम्परेरी वेजेज पर भी आपने पाबन्दी लगायी है। लेकिन ये बातें इस रूप में हो गयीं कि कहीं हमें इन पाबन्दियों के कारण बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी हार्डशिप भुगतनी नहीं पड़े। आपने इस बिल की परिधि में जिन संस्थाओं को लिया है, ग्राम पंचायत भी आ गयी उनमें नगरपालिका भी आ गयी, सब कुछ आ गयी। आपने इस बिल के माध्यम से प्रावधान किया है कि कोई भी किसी प्रकार का टैम्परेरी या डेली वेजेज का कोई भी काम नहीं रखा जा सकता। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक समस्या रखना चाहता हूं। अचानक बाढ़ आ गयी, गांव में पानी भर गया, सड़क टूट गयी। उसके लिये अर्जेन्सी है ऐसी, ग्राम पंचायत की मजबूरी हो गयी, नगरपालिका की मजबूरी हो गयी कि यदि पानी बाहर नहीं निकाला, रास्ता ठीक नहीं किया, मजदूर नहीं लगाये, चाहे चार घण्टे के लिये ही मजदूर लगाने पड़ें, जो इस बिल के प्रावधानों के रहते हुए नहीं लगा सकते हैं तो बड़ी भारी दिक्कत और यदि किसी ने लगा दिया, चैयरमैन ने लगा दिया या सरपंच ने लगाकर उस रास्ते को ठीक किया, पानी निकाल दिया तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, जो 6 महीने से कम की नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रावधान जो आपने रखे हैं वे विचार करने के योग्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्लाज पांच (2) में अदालतों में जाने से रोका गया है। इस बिल के कानूनी रूप लेने के बाद जो भी टैम्परेरी या डेली वेजेज के कर्मचारी पहले थे सेवाएं उनकी समाप्त हो जाएगी, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा और वे किसी अदालत में जा नहीं पाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, साल में इतने दिन तक, 80-90 दिन तक यदि उसने सेवा की है तो हमारे यहां डेलीवेजेज का एक कायदा है, आज का कानून है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं कि उस आदमी को परमानेंट सेवा में रहने का अधिकार है। आपने इन सब सेवाओं पर पाबंदी लगा दी, कैसे हो सकता है? जहां कानून पास होने से पहले अधिकार उसको मिल चुका है उस अधिकार को आप उससे ले नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आपने एक प्रावधान किया है क्लाज 7

(श्री शिवनाथ सिंह)

का। "Where recruitment of appointment otherwise than in accordance with clauses(a) and (b) is permissible, from the candidates having the requisite qualifications." यह आपने उसमें प्रावधान किया है कि एक कैटेगरी, एक लिस्ट वह चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, चाहे कोई काम्पीटैंट आथोरिटी हो, जिसने रिजर्व लिस्ट कायम कर दी है उस लिस्ट से ही आप एपाइंटमैंट कर पाओगे। सरपंच के पास न तो पी. एस. सी. का कोई सलैक्टेड कैंडिडेट है न किसी प्रोपर आथोरिटी का कोई सलैक्टेड कैंडिडेट है व गांव के मजबूर को लगा नहीं सकता और लगा लेगा तो 6 महीने की सजा उसको हो जाएगी मिनिमम।

इसी तरह से आपने एक क्लाज रखा है कि हाई कोर्ट में वह व्यक्ति जा नहीं सकेगा जिसको कि उसके पहले से अधिकार मिल चुके हैं। क्लाज II-ए, उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज में आपने रखा है। "Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority, the claims for regular appointment of all daily wage employees and persons appointed on an urgent temporary basis, shall stand abated." किसी कोर्ट का फैसला हो चुका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला हो चुका कि यह डेली वेजेज पर था और इसको परमानैंट होने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमैंट दे दिया है और आपने उस क्लाज के माध्यम से उस डिक्री को उस जजमैंट को अबेट कर दिया।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपने एक प्रोविजन रखा है कि अपाइंटिंग आथोरिटी कोर्ट के द्वारा जो सजा होगी वह तो होगी ही होगी, इस बिल के एक्ट बनने के बाद काम्पीटैंट आथोरिटी इस्तगासा पेश करेगी और उसको इसके लिए दूसरी सजा होगी। एक ही ऑफिस के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह जूरिस्प्रूडैंस का नियम है कि एक ऑफिस के लिए दो सजा नहीं हो सकतीं, लेकिन आपने इसमें प्रावधान दिया है कि उसको दो सजाएं होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत-से क्लाजेज इसमें और हैं जिनके लिए गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। बिल की भावना का स्वागत करता हूं होने चाहिए प्रोविजंस लेकिन इस प्रकार के जो हार्श क्लाजेज इसमें रख दिये हैं उनसे हमारा काम ही खतम हो जाऐगा। हम कोई काम कर ही नहीं पाते हैं, कर भी नहीं पाएंगे। न ग्राम पंचायत, न नगरपालिका न और कुछ कर पाएंगे। आपके पास है, इसमें प्रोप्रिएट अमैंडमैंट आप लाना चाहें, मेरी इंच्छा है कि आप लाएं। और लोगों को अनावश्यक पीड़ा नहीं हो, इस प्रकार से प्रोविजंस आप डालें इसीलिए मैंने यह अपना प्रस्ताव रखा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन बातों को सोच कर कुछ न कुछ अमैंडमैंट इसमें पेश

(श्री शिवनाथ सिंह)

करने की चेष्टा करेंगे। मेरा तो प्रस्ताव यह है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए, लेकिन मैं इसमें कोई स्ट्रिक्ट नहीं कहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि क्लाजेज जो हार्श हैं, उसको ठीक किया जाए इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टॉफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 जो हमारे विचारार्थ प्रस्तुत किया है, उसको देखने के बाद मैं उनके इरादे, उद्देश्य और मकसद से पूर्णतया सहमत हूं लेकिन इस कानून के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गयी हैं और कानून का जो स्कोप रखा गया है वह बहुत विस्तृत है। मान्यवर, इसमें डेफिनिशेन देखिये।

"In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context; (i) competent authority (ii) daily wage employee (iii) Government Company, (iv) local authority, (v) public service; any other body established by the State Govt. or a society registered under any law relating to the registation of societies for the time being in force and receiving funds from the State Govt. either fully or partly for its maintenance, or any aducational institution."

श्री भंवरलाल शर्मा : हिन्दी में भी है।

श्री रामनारायण चौधरी : दोनों में ही दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनमें आप अवलोकन कीजिये, मुलाहिजा फरमाइये। ग्राम सेवा सहकारी समिति, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोलाइटीज और उनके द्वारा संचालित तमाम संस्थाएं-एडेड, पार्शली एडेड, फुल्ली एडेड, 90 परसेंट एडेड सब इसमें कवर होती हैं मेरी समझ के हिसाब से। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इनका इरादा है, इंटेंशन है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं कि इन्होंने प्रथम बार राजस्थान के अन्दर अब तक जो कुछ होता आया है, 8-9 वर्षों में क्या 1985 के बाद जो इनको टाइम मिला उसमें जो इन्होंने चिन्तन और मनन किया और जो गड़बड़ी और आपाधापी समाज के अन्दर मची, स्टेट एक्सचेकर और पब्लिक फंड्स के दुरुपयोग की जो समस्याएं सामने आयीं उसका पूरी तरह से अध्ययन, मनन और चिन्तन कर ये व्यवस्थाएं की हैं। (व्यवधान) हां, इस पीरियड का लाभ इन्होंने भी लिया है और समाज को और प्रदेश को भी इन्होंने देने की चेष्टा की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन, मान्यवर, इसमें आप आगे चलते, "Regulation of recruitment, abatement of claims, offences and punishments and penalities." इन सब को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

इसके अन्दर क्या-क्या काम्प्लीकेशंस होंगे। मान्यवर, सार्वजनिक जीवन के अन्दर जो लोग कार्यरत हैं, आगे जो एक्टिविटीज को प्रारम्भ करना चाहते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से इसमें प्रभावित किया है। मैं परेशानी की बात नहीं कहता हूं, वे सब प्रभावित होंगे। वे फेवरेबली भी प्रभावित होंगे और एडवर्सली भी प्रभावित होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने प्रस्ताव दिया है जनमत जानने का, वह मैंने जल्दबाजी में दे दिया।

(12.00 बजे)

मुझे देना चाहिए था सलैक्ट कमेटी में भेजने का। क्योंकि जनमत जानने हेतु देंगे तो जनमत तो आ जाऐगा, कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लेकिन इसमें सलैक्ट कमेटी का भी प्रस्ताव है और आपने दोनों को साथ ही दे रखा है। यहां की परम्परा और नियमों के हिसाब से कोई माननीय सदस्य बोलता है वह दूसरे प्रस्तावों पर भी अपनी राय वयक्त कर सकता है। मेरे प्रस्ताव से ज्यादा सलेक्ट कमेटी वाला जो प्रस्ताव है वह ज्यादा वजनदार है, वह ज्यादा सूटेबल है। मेरे प्रस्ताव पर ही मैं तो जोर दे रहा हूँ।

ऑफिसेज वाई कम्पनी। मान्यवर, अपाइन्टमैन्ट्स में पावर टू मेक रूल्स हैं, स्टेट गवर्नमैंट को। ये रूल्स हैं जानने के। अब, मान्यवर सजा का जो प्रोविजन किया गया है तो ग्राम सभा सहकारी समितियों के अन्दर, ग्राम पंचायतों के अन्दर, हर सोसाइटी पर और गांव के अन्दर एक छोटा-सा एन. जी. ओ. भी है तो वह भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि वह एन.जी.ओ. या तो कम्पनी एक्ट के तहत या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। उसके जो भी फण्ड्स हैं, वे पब्लिक फण्ड हैं, पब्लिक मनी है, उसके यूटिलाइजेशन के अन्दर और अपाइन्टमैंट्स में इनका वायलेशन हुआ है तो वह भी इसके परव्यू के अन्दर आएगा। आना चाहिए। मैं नहीं कहता कि नहीं आएं। लेकिन जो प्रैसक्रिप्शन आफ पनिशमैंट एण्ड दूसरी सजाओं तक का, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत हार्डशिप होगी। मैं आपको कह सकता हूं इन नटशैल, कि पूरे राजस्थान का जन और जीवन, संस्थाएं और संस्थाओं में कार्य करने वाले आफिस वियरर्स और पब्लिक के लोग सब इससे प्रभावित होंगे। मैं इसके सिद्धान्तों से एम्स एण्ड आब्जैक्ट्स से सहमत हूं लेकिन जो प्रोविजंस अन्दर रखे हैं, जो पैनल क्लाज डाले हैं और जो कवरेज किया गया है। इन सारी चीजों के बारे में मेरी राय है, मेरा प्रस्ताव है कि जनमत जानने हेतु इसकी पब्लिसिटी के लिए तमाम संस्थाओं में एक्ट को भेजा जाना चाहिए। लोअर लेबल पर कन्सर्न्ड लेबल पर इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में, लोकल वाडीज में, को-आपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में, अदर रजिस्टर्ड सोसाइटीज में और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जो भी संस्थाएं और व्यक्ति इस कानून से प्रभावित

(श्री रामनारायण चौधरी)

होते हैं उन सबको इस पर विचार करने के लिए और उसमें राय देने के लिए इसे भेजा जाना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है।

इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनमत जानने हेतु इन तमाम संस्थाओं के अन्दर भेजें। जनमत जानने का मतलब, मान्यवर, बाकायदा सरकार की तरफ से यह ड्राफ्ट जाए और इससे उठने वाली समस्याओं की तरफ उनका ध्यान जाए। सलैक्ट कमेटी को दें तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा प्रस्ताव तो जनमत जानने का है, तो मैं उसका भी करता हूं और मेरे वाले का भी करता हूं कि जनमत में भी भेजेंगे तो बड़ा व्यापक असर होगा। हर संस्था इससे प्रभावित होगी। कोई ऐसी संस्था राजस्थान के अन्दर नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं होगी। फेवरेबली भी होगी और एडवर्सली भी होगी। बहुत इसके व्यापक असर होंगे। इस पर आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। अगर इसको आप लागू करेंगे, इसको इम्प्लीमैंट करेंगे, एक्जीक्यूट करेंगे रिट्रक्टिली एकार्डिंग टू, तो इसका बहुत व्यापक असर होगा। इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर आपसे आग्रह करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनिमयन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को कम से कम एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, का मेरा प्रस्ताव है। इस कानून में इस तरह का इन्तजाम किया जा रहा है कि चाहे ग्राम पंचायतों में चाहे जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास, चाहे आर.एस.ई.बी. के अन्दर छोटे-छोटे काम पर अचानक आदमी रखे बिना इमरजैंसी तौर पर पब्लिक के सामने भारी दिक्कत आ सकती है और उन आथोरिटीज के सामने भी तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए हमारा यह प्रस्ताव है कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी के पास विचारार्थ भेजा जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष, 1952 के बाद शायद ही ऐसा कोई वर्ष होगा जब राज्य सरकार के अधीन किसी न किसी विभाग में आवश्यकता के आधार पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, तदर्थ सेवाओं में लगे हुए कर्मचारी या टैम्परेरी कर्मचारी नहीं हों। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी जो विधेयक लेकर आ रहे हैं वह प्रतिपक्ष के लिए तो सोने पर सुहागा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता उनके मित्र हैं, मैं समझता हूं जिस तरह के कानून...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वे किसी के मित्र हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं।

जिस तरह के कानून वित्त मंत्रीजी एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं, इसके क्या परिणाम निकलेंगे वह तो समय की धारा बताएगी परन्तु वित्त मंत्रीजी, जिस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चुनाव घोषणा पत्र को लागू किया गया था, आपने भी अपनी तस्वीर साथ में खिंचवाई थी, उसमें लोगों को रोजगार देने की बात आपने कही थी। इस अधिनियम में धारा चार में आप क्या कहते हैं कि "दैनिक वेतन पर नियुक्ति किसी भी संवर्ग में कोई नहीं करेगा" उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह लगता है कि इस अधिनियम को लाने के पीछे वित्त मंत्रीजी का मकसद एक ही है। अगर हम आकलन करें तो राजस्थान के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से लेकर अनुदानित संस्थाओं को हम इसके परव्यू में ले रहे हैं। आज की तारीख में उन संस्थाओं में वे कर्मचारी जो तदर्थ रूप में काम कर रहे हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है, दो-तीन लाख ऐसे कर्मचारी हैं। आप इस कानून को पास करवा लेंगे, निश्चित तौर पर प्रचण्ड बहुमत है। वित्त मंत्रीजी के तेवर के सामने सत्तापक्ष के कुछ साहसी लोगों ने, मैं तो बधाई देना चाहूंगा कि कल जब किसानों की कार कहें, किसान का हवाई जहाज कहें, ट्रेक्टर को जब टैक्स की परव्यू में ले रहे थे तो कुछ नौजवान और क्रांतिकारी लोग सत्तापक्ष के खड़े हो गये...

श्री शिवनाथ सिंह : इस वहम में मत रहना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ... तो उनका तो मैं स्वागत करता हूँ परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनके तेवर के सामने कुछ ऐसे लोग जो पीछे तो हमें कहते हैं कि इस कानून को किसकी संज्ञा दें, उन लोगों की जुबान नहीं खुल रही है, इसलिए मैं मेरी बात सदन के सम्मुख रख रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल की तरह मुखरो और मुखर होकर मन के भावों को इस पवित्र सदन में प्रकट करो। आपने इस अधिनियम की धारा चार में परिभाषित किया है कि इस अधिनियम के परव्यू में क्या-क्या चीजें आएगी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी विभाग तो हैं ही इसमें, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं, अनुदानित शैक्षणिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय और सारे भी हैं। इसका अर्थ यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, बरसात के मौके पर शहर के निचले हिस्सों में पानी भर जाता है, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में तो आये बार भरता ही है। तो पानी भर जाए और लोगों के घर गिरने चालू हो जाएं, नगरपालिका के पास नियमित सेवाओं में लगे हुए लोगों की संख्या कम रहती है। जिला कलैक्टर तदर्थ रूप से कुछ कैजुअल लेबर को लगाकर सफाई करवाते हैं, अब इस अधिनियम के बाद वे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज सरकार जिस तरह का प्रबन्ध करने जा रही है, अकाल के प्रति जो संवेदनहीनता है, कल को कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई और पानी ट्रांसपोर्ट करना चालू किया और उसके लिए अगर आपको वैकल्पिक लोगों को मजदूरी पर लेना पड़े तो उस दूर दराज के क्षेत्र में पानी का इन्तजाम करने के लिए वह नहीं लगा पाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें रोक कहां है, माननीय सदस्य?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें रोक है। मैं निवेदन करुंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको पढिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने पूरा पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले पढ़िए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : .. इसमें सैक्शन चार के अन्दर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति पर रोक है।

4 (2) के अन्दर ये कहते हैं कि सक्षम प्राधिकरण के अनुमति लेने के पश्चात्, यानी उपाध्यक्ष महोदय आज नगरपालिका के चेयरमैन को, स्वायत्तशासी संस्था के अध्यक्ष को और उस स्कूल के प्रधानाध्यापक को जो मात्र सरकार के कुछ एड लेकर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है उसको बच्चों की परीक्षा करवानी है वह पहले एप्रोप्रिएट आथोरिटी के पास जाएगा और वे उसे भी गुणावदोष पर देखेंगे। इसके अलावा इसका सैक्शन 5 यह कहता है कि कोई भी नये पदों का सृजन कोई संस्था नहीं कर पाऐगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसका सैक्शन 9 आप पढें। इस तरह का कानून मैंने तो मेरी लाइफ में देखा नहीं। वित्त मंत्रीजी, आपने इसके अन्दर लिखा है, "सेवाओं का नियमितीकरण का वर्जन", कोई भी व्यक्ति जो दैनिक मजदूर या कर्मचारी था या अस्थाई आधार पर नियुक्त था, अधिनियम के लागू होते ही किसी भी न्यायालय में सेवा नियमितीकरण करने का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा। एक नोटिस से उसकी सेवाएं समाप्त। ऐसा कभी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, संवैधानिक अधिकार है किसी को भी। न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा पाऐ, इसके लिए इन कानून के अन्दर ऐसे प्रावधान किये हैं।

और तो और धारा 11 आप देखें। धारा 11 में कह दिया कि अगर किसी न्यायालय या किसी अभिकरण ने किसी भी अस्थाई कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या पीड़ित पक्ष के पक्ष में उसके अधिकार को उचत मानते हुए पूरी सुनवाई के बाद उसके पक्ष को न्यायसंगत मानते हुए कोई निर्णय दिया है या कोई डिग्री दी है तो वह भी लागू नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, कितनी बड़ी संख्या में लोग न्यायालय से आदेश लेकर आते हैं, आज एक तरह से हमारी न्यायिक प्रणाली पर वित्त मंत्रीजी प्रश्नचिन्ह लगा दिया। आप इस अधिनियम के द्वारा यह कहना चाहते हो कि आपका जो प्राधिकृत अधिकारी है वह तो ठीक न्याय करेगा परन्तु न्यायालय की डिक्री जिसके पक्ष में है, जिसने बरसों तक न्यायालय के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, न्यायालय ने जिसके पक्ष में निर्णय दिया आज वह उस डिक्री को, उस निर्णय को लागू नहीं करा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका 11(क) क्या कहता है? किसी भी न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अपनी सेवाओं में नियमितीकरण के लिए। 11 (ख) में है कि पूर्व में कोई न्यायिक निर्णय या डिग्री हुई है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो वह भी लागू नहीं होगी। और 11 (ग) यह कहता है, उपाध्यक्ष महोदय, आज हजारों की संख्या में सेवाओं के नियमितीकरण के लिए अलग-अलग, न्यायालयों में, अभिकरणों में जो वाद लम्बित हैं, वे सारे के सारे इसके लागू होते ही समाप्त। सरकार कह रही थी बेरोजगारों को रोजगार देगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। आज सदन में निश्चित तौर पर प्रस्ताव पारित भी होगा, वित्त मंत्रीजी प्रफुल्लित मुद्रा के अन्दर अपने बंगले पर पधारेंगे। लेकिन राजस्थान के एक-दो नहीं लाखों लोग जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अस्थाई रूप से किसी संस्था में काम कर रहे हैं, आज शाम को उनके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे। जब उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि एक ऐसा कानून पारदर्शी और जलकल्याणकारी सरकार, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार ने पास किया है। राजस्थान के गरीब के हाथ में रोटी का निवाला था, वह रोटी का निवाला छीनने का काम आज होगा।

इसके अलावा जब आप एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब दे रहे थे, बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि 16 हजार विद्यालय खोलेंगे, उनके अन्दर पदों का सृजन करेंगे, ग्राम सेवकों के पदों को भरेंगे। परन्तु इसमें इन्होंने क्या कहा है, उपाध्यक्ष महोदय? 12 में कहते हैं कि रिव्यू कमेटी बनाएंगे प्रत्येक विभाग में उस विभाग के सैक्रेटरी की अध्यक्षता में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य रामनारायणजी, आपने जमाना देखा है और आप कानून के मर्मज्ञ भी हो परन्तु ऐसा कानून आपने नहीं देखा होगा, जिसके अन्दर एक तरफ पदों के सृजन करने वाली बात हो। ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य, जिस सरकार के लिए आप कहते हो कि यह सरकार बेरोजगारी को मिटाने का संकल्प लेकर आई है वह सरकार न केवल लोगों के हाथ से रोटी का निवाला छीन रही है बल्कि सैक्शन 12 में एक रिव्यू कमेटी बना रही है सारे विभागों में कि कहीं कोई रह नहीं जाऐ नौकरी में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 14 में पैनल्टी, 2 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना। और वह भी किस पर? कोई भी नगरपालिका का चेयरमैन, कोई भी प्रधान, कोई भी सरपंच, जिला प्रमुख, कोई भी विश्वविद्यालय का कुलपति कोई भी शैक्षणिक संस्था का प्रधानाध्यापक अगर सोचे कि आवश्यकता है, आपातकाल की स्थिति है और मुझे कुछ लोगों को कुछ समय के लिए नौकरी पर रखना है उसको सजा का प्रावधान है। इस सजा के साथ साथ सैक्शन 15 में निर्वाचित प्रमुख अगर यह निर्वाचित कोई भी व्यक्ति रख लेता है तो वह अयोग्यताधारी भी हो जाएगा। सैक्शन 16 में आपने अबेटर भी ले लिया परन्तु आपने किया क्या है? वित्त मंत्रीजी, अब ब्यूरोक्रेसी आप पर कितनी हावी है! मैं तो समझ रहा था कि पूरा विभाग आपके निर्देशन पर चल रहा है परन्तु इस तरह के कानून आ रहे हैं तो मुझे लगने लग गया है कि यह पूरा विभाग उन्हीं लोगों के हाथ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में है जो हमारे समय में इस विभाग को चलाया करते थे। उन्हीं अधिकारियों के हाथ में है। अगर उन अधिकारियों के हाथ में नहीं होता तो आप सैक्शन 18 में उन अधिकारियों को बचाने का प्रावधान नहीं करते। सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही, अधिकारी कोई कार्यवाही करेगा सदभावनापूर्वक? निर्वाचित सदस्य कोई कार्यवाही करेगा अयोग्य हो जाऐगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस तरह से कल बोले हमें यह लगा कि उपाध्यक्ष की भी वाणी है। कल आप बोल रहे थे जब किसानों के हितों पर कुठाराघात हो रहा था ट्रैक्टर के मामले में। उपाध्यक्ष महोदय, आप उसी रूप को दुबारा धारण कर इन वित्त मंत्रीजी, को कहो और इन्हें निर्देशित करो वित्त मंत्री जी, आज आखिरी दिन है, आपको भी पधारना है और सारे सदस्य अपने-अपने निर्वाचित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सबको छुट्टी करो और खड़े होकर कह दो कि यह कानून वाहवाही लूटने के लिए जबरदस्ती अधिकारियों ने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। आपकी केबिनेट के अन्दर आपके हाथ से रखे हुए कानून पर केबिनेट ने ठप्पा लगा दिया, परन्तु जब आपने कानून को पढ़ा आपने देखा कि इस कानून के द्वारा राजस्थान के एक-दो नहीं लाखों अस्थाई कर्मचारी जो किसी न किसी सेवा मे काम कर रहे हैं उनकी सेवाएं समाप्ति का काम होगा, लाखों वे कर्मचारी न्यायालय ने जिनकी सेवाओं के नियमितीकरण को उचित माना है, उन न्यायालय के निर्णय के ऊपर यह कानून आऐगा, निर्णय लागू नहीं होंगे। कोर्ट की डिक्री लिये घूमने वाले व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, आपने न्याय पालिका का गला घोट दिया। इसलिए मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि इस कानून को तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाए और जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय सदस्यों ने रखे सारे माननीय सदस्य उससे सहमत होंगे कि इसमें जो व्यवस्था की गई है इस सारे काम को देखने के लिए एक काम्पीटेंट आथोरिटी बनाई गयी है। इस एक्ट की पालना करने के लिए आपने अधिकार दिया है एक आथोरिटी को जिसको कहते हैं काम्पीटेंट आथोरिटी। यह काम्पीटेंट आथोरिटी का आपने तय नहीं किया कि इसका फंक्शन कैसे होगा, किस प्रकार के लोग इसमें होंगे, किस प्रकार के अधिकारी इसको देखेंगे। एक काम्पीटेंट आथोरिटी यह सब बात तय करेगी, परमिशन देगी तो वह देगी, पोस्ट क्रीएशन होगा तो वह देगी। आपके जो नगरपालिका के सदस्य हैं, स्वायत्तशासी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं उनको क्या रैमुनरेशन मिलेगा, क्या आनेरियम मिलेगा ये सब बातें तय करने के लिए आपने काम्पीटेंट आथोरिटी बनाई है। उसमें आपने यह तय नहीं किया कि उस काम्पीटेंट आथोरिटी के किस प्रकार के अधिकार होंगे या उसका कम्पोजीशन आप कैसे करेंगे क्योंकि सारा अधिकार उसके पास रहेगा।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अब सबसे बड़ी विडम्बना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी परिभाषा देखें आप। इसमें डिफाइन किया है लोकल आथोरिटी और पब्लिक सैक्टर्स को अब पब्लिक सैक्टर कौन-कौन से आएंगे? जो आदमी स्टेट गवर्नमैंट में सर्विस करता है वह आऐगा जो लोकल आथोरिटी में काम करते हैं वे आएंगे। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उसमें आएंगे और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी—

Any other body established by the State Government or a society registered under any law relating to the registration of societies for the time being in forec and receiving funds from the State Government either fully or partly for its maintenance, or any educational institution whether registered or not but receiving aid from the State Government.

वे शिक्षण संस्थाएं चाहे रजिस्टर्ड हों या नहीं हों, यदि आपने उनको 5 परसेंट 10 परसेंट भी अनुदान दिया है तो वे भी इसके परव्यू में आ जाएंगी। यानि छोटे-छोटे विद्यालय जिनको आप थोड़ी-सी भी मदद देते हैं, परव्यू में आ जाएंगे। यदि उनको अपनी संस्था को चलाने के लिये किसी चौकीदार की जरूरत है, किसी और अध्यापक को लगाना है, अनुदान तो आपका दो टीचर के लिए ही है, उसके अलावा जो स्टाफ है यदि वह भी लगाएंगे तो उस पर भी लागू कर दिया आपने। क्या अधिकार है आपका उस पर? आप जितना उसको अनुदान देते हैं, दो अध्यापकों का दे रहे हैं उस पर पाबंदी लगा दीजिये जिसका आपसे अनुदान लेता है उस पद के लिये तो ठीक हो सकता है लेकिन जिसका अनुदान आपको देना ही नहीं है, अपने बलबूते पर वे चला रहे हैं तब भी एक चौकीदार या कोई छोटा-सा आदमी वे नहीं रख सकें, यह पाबंदी लगाने का मतलब क्या हुआ? आपने अगर 10 परसेंट दे दिया तो वे भी इसके परव्यू में आ जाएंगे और उसकी संस्था चलेगी नहीं। इतना व्यापक बनाया आपने वह, वह तो ठीक है। आप जितने भी कानून बनाते है व्यापक बनाते हैं ताकि उसमें कोई बचे नहीं कहीं भी। (व्यवधान) सब आएंगे, इसमें बचा कोई नहीं है। यही नहीं वह शिक्षण संस्था कोई स्कूल चला रही है, आप दो टीचर के अनुदान दे रहे हैं लेकिन तीसरा टीचर नहीं लगा सकता वह, चपरासी नहीं लगा सकता वह...

श्री चन्दनमल बैद : आपको भ्रम फैलाने की ही इच्छा है तो खूब फैलाइये। जितना भ्रम आप फैला रहे हैं ना उतना फैलाइये आप, क्योंकि आपने तो जिम्मा ले लिया भ्रम फैलाने का।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो आगे कुछ कहूं या नहीं कहूं।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं-नहीं, जरूर कहिये। जितना भ्रम फैला सकते हैं, सब फैलाइये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर मेरे...

श्री छोगाराम बाकोलिया : इसीलिये तो इनके पीछे कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय मंत्रीजी Let him say. ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बोलिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, मेरे पास मेरे पीछे कोई है कि नहीं है लेकिन मेरे सामने तो हो ना आप सब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप अगर मेरी बात को केवल इतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं कि मैं भ्रम फैलाने के लिये बात कर रहा हूं तो मुझे बहुत ही खेद है। इसमें क्या भ्रम फैल रहा है? यह नहीं लिखा है इसमें कि कोई भी शिक्षण संस्था रजिस्टर्ड चाहे नहीं होगी, और आप उसको पार्थली अनुदान भी देते हो उस पर यह लागू होगा। यह नहीं लिखा इसमें आपने? क्या भ्रम है इसमें?

श्री चन्दन मल बैद : जिस पोस्ट के लिये हमसे अनुदान मांगेगा वह पोस्ट काम्पीटेंट आथोरिटी जो हम नियुक्त करेंगे उसकी इजाजत के बगैर वे नहीं नियुक्त करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही मैं कह रहा हूं आपको...

श्री चन्दन मल बैद : तो वही ना मैं कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप जिसको जितना पैसा देंगे...

श्री चन्दन मल बैद : हां, वही तो मैं कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्लीयर करिये।

श्री चन्दन मल बैद : होता क्या है कि शिक्षण संस्थाएं अध्यापकों की नियुक्ति कर लेती हैं और काम्पीटेंट आथोरिटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे अनुमति नहीं लेती हैं। अनुमति नहीं लेती हैं तो उस नियुक्ति के लिये हम अनुदान नहीं देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, मत दीजिये।

श्री चन्दन मल बैद : यही मतलब है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, अनुदान नहीं देंगे।

श्री चन्दन मल बैद : इसका मतलब यही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकिण्ड, मैं मानता हूं...

श्री चन्दन मल बैद : अब आप उसको भ्रम फैलाने के लिये चपरासी नहीं रख सकेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, नहीं रख सकेगा।

श्री चन्दन मल बैद : उसमें अगर उसके पानी आ गया तो पानी साफ नहीं कर सकेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं कर सकेगा।

श्री चन्दनमल बैद : उस मिट्टी को साफ नहीं कर सकेगा...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, नहीं कर सकेगा।

श्री चन्दनमल बैद : ये सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, कानून में यह लिखा हुआ है कि वह अध्यापक या कोई भी कर्मचारी रख नहीं सकेगा और यदि रख लेगा तो पैनल क्लाज है उसको। पैनल क्लाज आगे है, कम से कम 6 महीने की सजा भोगेगा। कम से कम 6 महीना या दो साल, वह मैं आगे बताऊंगा। आप इसको क्लीयर कर देना जब आप भाषण करो तब। मैं जो समझ पाया हूं वह तो यह समझ पाया हूं कि कोई भी शिक्षण संस्था जिसको आपने थोड़ा भी अनुदान दिया है तो वह जो अनुदानित धनराशि है उसके अलावा भी अगर कोई रखना चाहेगा तो नहीं रख पाएगा। जो मैं समझ पाया हूं वह तो यह है। अब आप कुछ और समझे हों तो वह समझा देना मुझे आप। (व्यवधान) फिर यह सैक्शन फोर आया। (व्यवधान) आप तो क्या कहना चाहते हो। अगर मान लो मैं दब भी गया तो क्या बुराई है इसमें? (व्यवधान) बहुत है, साहब, समझदारी। (व्यवधान) इसमें बहुत ही होती है, एक बहुत होते हैं।

फिर सैक्शन फोर है, प्रोहिबिशन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी किसी भी परिस्थिति में डेली वेजेज पर भी आदमी नहीं रखेगा। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, मान लीजिये भूकम्प से कोई नुकसान हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए, अब अकाल राहत के काम चलेंगे आपके, अकाल राहत में आप भर्ती कहां से करोगे? अकाल राहत के जो काम चलाएंगे उसमें आप कहां से लोगे मस्टररोल पर? फिर आप कहेंगे अगर लगाना हो तो काम्पीटेंट आथोरिटी से आप इजाजत लीजिये। अब राजस्थान में एक काम्पीटेंट आथोरिटी होगी और राजस्थान भर में जो काम है वे कहां से कर पाएंगे? कितनी जल्दी परमिशन देगी वह, कितनी जल्दी काम कर देगी वह और कब तक वह इंतजार करेगा?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : अकाल राहत कार्यों पर पाबंदी नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अब ये भ्रम फैलाने में लगे हैं तो फैलाने दीजिये इनको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह लाइन आप पढ़ दीजिये। I will correct myself.

श्री चन्दनमल बैद : फैला लीजिये। भ्रम फैलाना चाहते हैं तो फैलाने दीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मस्टररोल पर आदमी लगाने पर प्रतिबंध नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने तो पढ़ा ही नहीं इसको अभी तक।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, नहीं पढ़ा यह तो वास्तव में सही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप मुझे बता दीजिये, कहां है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लेकिन इसमें कहां लिखा हुआ है कि अकाल राहत कार्यों पर मस्टररोल नियुक्ति नहीं की जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वह मैं आपको बताता हूं सब आएंगे। स्टेट भी आएंगे, सब आ गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, बताइये।

श्री चन्दनमल बैद : आप भी उनके साथ हो जाइये। आप भी उनके साथ हो जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप, मंत्री महोदय, सुन लीजिये। The appointment of any person in any public service to any post in any class, category or grade as a daily wage employee shall be prohibited. आप कहां से बच गये इसमें से? आप कैसे बचे, बताओ मेरे को आप? The appointment of any person......(inteuiption)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : डेली वेजेज तो दूसरे डिपार्टमैंट के लिये लागू है, हमारे पर लागू नहीं है। हम तो समझ रहे हैं उसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या, मुझे बताइये ना।

श्री चन्दनमल बैद : हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना यह तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने कहा। इसमें कहां है कि आप पर लागू नहीं होगा यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इसके सैक्शन 2 का (2) पढ़ें। 'Daily wage employee' means any person who is employed in any bublic service on the basis of payment of daily wages and includes a person employed on the basis of nominal musterroll.

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राम पंचायत का सरपंच जो मस्टररोल भरेगा उसमें यह कानून लागू होगा। आप फेमिन का पैसा ग्राम पंचायत को ही दे रहे हो, पंचायत समितियों को दे रहे हो। वे इसमें अपाइंटमैंट देंगे, बाबू रखेंगे, जो भी रखेंगे, सब पर यह लागू होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो यह लागू हो गया ना? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बोल लीजिये, मंत्रीजी क्लैरीफाई कर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, कर दें, ठीक बात है। माननीय अकाल राहत मंत्री साहब, आपने नहीं पढ़ा हो तो अच्छा किया लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूं, समझ लीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा है कि मेरे यहां तो लागू है ही नहीं और ये मजदूर चलते रहेंगे जब तक अकाल है तब तक।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप इस कानून को नहीं मानेंगे तो अलग बात है और यदि आप यह करते रहेंगे तो आगे एक प्रोवीजन है इसमें जिसमें कम से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा दो साल की सजा है। (व्यवधान) इसके आगे सैक्शन 6 है। इस 6 में इन्होंने क्या किया है? No revision of pay, allowances, perquisites, honorarium, compensatory allowances etc. in respect of any employee or elected or nominated member.... यानि इलैक्टेड और नामिनेटेड जो मैम्बर होगा, उसको क्या आनरेरियम दिया जाए, भत्ते क्या तय किये जाएं, अभी आपने हाउसिंग बोर्ड में एक माननीय सदस्य को चेयरमैन बनाया है, उनके भत्ते वह काम्पीटेंट आथोरिटी तय करेगी कि उनको क्या भत्ता दिया जाए, उनके पास जाना पड़ेगा उनको। जो इलैक्टेड लोग हैं उन पर भी आपने यह पाबंदी लगा दी। वह भी जो काम्पीटेंट आथोरिटी होगा उसके साथ दरवाजे में, हमारा भत्ता बढ़ाओ, ये कुछ करते रहेंगे, इससे क्या मतलब था आपको? आप अधिकारियों पर लगायें वह तो ठीक है, लेकिन जो इलैक्टेड लोग हैं, आप और हम जीतकर आते हैं, अपना क्षेत्र तो बड़ा है लेकिन जो बाकी जीतकर आते हैं वे भी आते चुनाव से ही हैं, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, कोई भी हो। उनके भत्ते तय करने का अधिकार भी एक काम्पीटेंट आथोरिटी नाम की छोटी-सी संस्था को आपने दे दिया। It is the most derogatory at the part of the Govt.

इसी तरह से आपने कहा है कि मुकदमा अगर किसी के पक्ष में तय हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किया हो उसको भी आप नहीं मानेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय कर दिया कि अमुक व्यक्ति की नौकरी वाजिब है, इसको रैगुलर किया जाए, इसको निकाला नहीं जाए, उस पर भी आपने लिख दिया कि उसको हम नहीं मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की बात को आप नहीं मानेंगे तो, माननीय वित्त मंत्री जी really you are great. यह आपने लिख दिया कि उनका भी नहीं मानेंगे और जो मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में, सेवा विवादों को लेकर जो कर्मचारी-अदालतों में गये हैं, इस कानून के पास होने के बाद वे मुकदमे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे बंद हो जाएंगे या अवैध हो जाएंगे। तो आप आखिर ऐसा क्या कानून बनाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई अधिकार आप लेकर जाना चाहते हैं।

अब कहते हैं कि मैं यहां भ्रम फैला रहा हूं। आप भ्रम मानते हैं। तय हो गया उसको भी नहीं मानेंगे, कोई डिक्री हो गयी उसको नहीं मानेंगे और अदालतों में कोई मुकदमा चल रहा है वह भी इस कानून के पास होते ही अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको बन्द कर दिया। अब जो रह गया है वह सुनें आप, परसादी लाल जी। Any person or authority who contravenes the provisions of this Act shall, apart from the penalities otherwise provided for

(श्री भंवरलाल शर्मा)

on conviction by a competent court having jurisdiction be punishable with imprisonment for term which shall not be less than six months.

यानि छह महीने में। वे कर ही नहीं सकेंगे। प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट में जिस प्रकार की धाराएं हैं, आपने उसको इतना बड़ा अपराधी बना दिया कि वह अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाऐ दरख्वास्त करने के लिए कि, साहब, सजा कम करो तो 6 महीने से कम नहीं हो सकती। इतनी बड़ी सजा हो गयी। तो यह ऐसा क्या है कि उसको 6 महीने की सजा आप देंगे? आप जुर्माना रख दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो ठीक है लेकिन...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वहीं कह रहा हूं। सोच में तो मुझे आपत्ति नहीं है, सोच बहुत ठीक है लेकिन सोच के बाद में, आपने मंतव्य के बाद में जो व्यक्त किया है कि इसका इम्प्लीमैंटेशन कैसे होगा, इसकी अनुपालना कैसे हो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत है।

अगर किसी व्यक्ति ने इमरजेंसी में किसी बात पर रख भी लिया, एक दिन भी एक कर्मचारी रख लिया किसी ने अकाल राहत काम चलाने के लिए भी तो, शक्तावत साहब, उस गरीब को कम से कम 6 महीने की सजा होगी। Not less than six months सजा होगी। इतना स्टिक्ट बनाने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूं यह भी आपने बहुत जबरदस्त किया है।

फिर आपने कह दिया कि यदि इलैक्टेड आदमी है तो उसको निष्कासित करने की भी कार्यवाही करेंगे और उस कर्मचारी ने जिसका अपाइंटमैंट हुआ है, जो वेतन लिया है वह भी उससे वसूल करेंगे। व्यक्तिगत करिये लेकिन यह सजा का प्रोविजन कर दिया। उसको मैम्बरशिप से हटा देंगे, प्रधान से हटा देंगे, जेल भिजवा देंगे। यह सारा काम ही क्या कर देंगे अगर एक कर्मचारी रख लिया तो। फिर आपने अमैंडमेंट कर दिया। मैं माननीय सदस्यों को आगाह करना चाहता हूं कि इस अमैंडमैंट में आप बहुत लोग आओगे, अमैंडमैंट में आप बहुत लोग आओगे।

आपने एक चिट्ठी लिखी कि इसके पिताजी की डैथ हो गयी है, गरीब है, विधवा है इसको नौकरी दे दें और मान लें, आपके उस पत्र से प्रभावित होकर किसी पंच ने, प्रधान ने एक नौकरी दे दी, उसको चपरासी बना दिया तो वह तो जेल जाऐगा ही, आपने पत्र लिखा है आप भी जाओगे। तो यह पत्र लिखना बंद करें। आप पत्र लिखते हो रोज। अब किसी गरीब की मदद मत करना।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने आपको कभी नहीं लिखी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, नहीं लिखी। आप बैठे रहे बाहर की बाहर। अब आप किसी गरीब की मदद करना बंद कर दें। यदि किसी की आपने सहायता की, किसी को लिख दिया कि यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गरीब है, यह विधवा है या कोई भी प्रकार से इसकी सहायता करने के लिए चाहे आप नौकरी के लिए कहीं चौकीदार ही लगा दें...

श्री रामनारायण चौधरी : आप मौखिक कह दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह मौखिक भी साबित हो जाता है। मौखिक भी साबित होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का यह जो कानून लाये हैं इसकी मंशा के बारे में जैसे अभी माननीय सदस्यों ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सद्‌भावनापूर्ण हो तो अच्छा है लेकिन आपने इसके इम्प्लीमैंटेशन के लिए जो कानून बनाया है, जो व्यवस्था की है उस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि आपकी मंशा भी पूरी हो जाए। इसके कारण कई प्रकार के व्यवधान खड़े हो गये हैं, काम करने से लोगों के हाथ आपने टाइट कर दिये। गलती से भूल से कोई काम हो भी गया तो उसको जेल के सींखचे आप दिखा देंगे। इस प्रकार की जो व्यवस्था आपने इसमें की है उसको आप सरल कर दीजिये तो इसकी जो मूल भावना है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

इसलिए आप भ्रम की बात मत कहिये और जब आपका उत्तर आप दें तो मुझे बताइये। अगर भ्रम है तो दूर कर देंगे भ्रम। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जो आपका भ्रम है वह तो आप इसको पढ़कर दूर कर लीजिये।

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसलिये यही निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप समझते हैं कि इसको बहुत बड़ी संस्था को न दें तो सलैक्ट कमेटी को दे दीजिये। उसको भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप विधान सभा के माननीय सदस्यों को दे दीजिये, वे उस पर विचार करके दुबारा रख देंगे, ताकि इसकी जो मंशा है वह भी पूरी हो जाए और उसके कारण होने वाली जो दुविधाएं हैं, विसंगतियां हैं, वे भी समाप्त हो जाएं। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है। आपने पहले कह दिया कि मैं भ्रम पैदा कर रहा हूं तो आप मेरी बात तो मत मानें, शिवनाथ सिंह जी बोले, रामनारायण जी ने कहा इनकी बात मानकर ही पुनर्विचार इसका रख दीजिये कहीं न कहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे एक बहुत आवश्यक सूचना आपको देनी है कि आप बहुत ही आकर्षक आर्मी डैजर्ट कोर का 30 बैण्ड का कार्यक्रम 6.00 बजे है और इसमें आर्मी के सभी माननीय कैडर ने यह आशा व्यक्त की है कि आप सब लोग उसमें सम्मिलित हों और उनकी हौसला अफजाई करें। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विचार बहुत संक्षेप में रखें माननीय सदस्य जिस प्रश्न को उठा चुके हैं उसका माननीय मंत्री जी जवाब देंगे ही

(श्री उपाध्यक्ष)

देंगे, उसका रिपिटीशन नहीं हो तो मैं समझता हूं यह सारा कार्य 5 बजे तक समाप्त हो जाऐगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मजदूरों का बैण्ड बज रहा है उसका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : जो बजा रहे हैं, जो भी मजदूर हैं मेरी आपसे प्रार्थना है कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप अपने विचार रखें।

माननीय किरोड़ी लालजी। (अनुपस्थित) माननीय हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक संख्या 13 को लाने का सरकार का क्या उद्देश्य रहा, इस बारे में मैंने इस विधेयक का पूरा अध्ययन किया। करने के बाद भी यह समझ में नहीं आया कि यह सरकार इस विधेयक को लाकर किस प्रकार की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। इसमें जो प्रावधान किये गये हैं उन प्रावधानों से यह स्पष्ट लगता है कि पिछले सालों में जो लोग सेवाओं पर लगाये गये हैं, और जो प्रचलित कानून या राजकीय आदेश के तहत सर्विस कर रहे हैं, अब उन पर भी इस विधेयक के लाने के बाद में एक खतरे की तलवार लटकेगी, सर्विसेज में जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको निकालने के प्रावधान किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कल्याणकारी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किये थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज में लगाया जाऐगा, सरकारी सेवाओं में लगाया जाऐगा। लेकिन इस बिल के द्वारा तो मस्टररोल पर लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गयी है। काम्पीटैंट आथोरिटी है, काम्पीटैंट आथोरिटी कौन होगी? मान लीजिये, एकदम में एपिडेमिक फैल गयी, मलेरिया फैल गया या तत्काल किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था करनी है तो इस विधेयक के अनुसार तो डेली वेजेज पर एक दिन भी किसी आदमी को नहीं लगाया जा सकता। ऐसी स्थिति में आपकी काम्पीटैंट आथोरिटी से कब तो उसकी अनुमति ली जाऐगी और कब उसको सेवाओं में लगाया जाऐगा। यह सारी एक प्रकार की डाउटफुल स्थिति इस बिल के द्वारा पैदा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इसमें बाहर किया गया है। हमने हमारे समय में, पिछली सरकार ने इस प्रकार की सर्विसेज में लगे हुए थे 23 हजार तो जलदाय विभाग के कर्मचारियों को नियमित किया था और 19 हजार जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में लगे कर्मचारी थे, उनकी सेवाएं नियमित की थीं। लेकिन यहां पर उलटा हो रहा है। जब आप सर्विसेज देने के लिए वचनबद्ध हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना तो इसमें बिलकुल समाप्त कर दिया गया है। इसके विपरीत जो सेवाओं में आलरेडी लगे हुए हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जाएगी, उनकी भी छंटनी की जाएगी। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई भी स्थान खाली नहीं रखा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

(श्री हीरासिंह चौहान)

के अधीन स्थापित कोई पंचायती राज संस्था है, अब उसमें कई जगह तो महिलाएं सरपंच हैं, कई जगह अनपढ़ सरपंच हैं। किसी भी समय उनकी सेवाएं ले लें तो उसके लिए काम्पीटैंट आथोरिटी के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार नगर पालिकाओं का भी दिया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के अधीन गठित कोई नगर पालिका और कोई भी राजकीय संस्था जो सरकारी खज़ाने से एड प्राप्त करती है, सहायता प्राप्त करती है, ईवन कोई शिक्षण संस्था जो मामूली-सी एड प्राप्त करती है, उसको भी इस परिधि में लाया गया है। मैं सोचता हूं...

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्य, आप बोल रहे हैं कि कई जगह तो महिलाएं सरपंच हैं और कई जगह अनपढ़ सरपंच हैं। मतलब महिलाएं तो पढ़ी हुई होंगी तो भी वे अनपढ़ के बराबर ही हैं, क्या मतलब है आपका?

श्री हीरासिंह चौहान : हम ऐसा नहीं मानते। ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा विचार नहीं है। हम तो सब नारी की पूजा करते हैं। यत्र नारी पूजयन्ते, यह तो भारत में सदा रहा है शुरु से ही। इसलिए राम से पहले सीता का नाम आता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, शिवजी से पहले पार्वती का नाम आता है। इस प्रकार की विचारधारा नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि कोई भी संस्था, किसी भी कर्मचारी को ईवन इन डेली वेजेज, भी नहीं लगा सकती। लोक सेवक की उन्होंने डेफिनिशन दी है, राज्य सरकार का कोई लोक सेवक, कोई स्थानीय प्राधिकरण में कोई सरकारी नौकर, सेवक, राज्य सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियन्त्रित सरकारी कम्पनी या उपक्रम को उसमें शामिल किया गया है। राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय सहित कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या कोई रजिस्टर्ड को-ओपरेटिव संस्था, राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी अन्य निकाय या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अपने अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से या तो पूर्णतः या भागतः निधियां प्राप्त कर रही कोई सोसाइटी या कोई भी शैक्षिक संस्था, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं हो किन्तु जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रही हो।

किसी भी संस्था में किसी भी कर्मचारी का रिटायरमैंट होता है, रिटायरमैंट होने के बाद तत्काल पद भरना पड़ता है। अब वह काम्पीटैंट आथोरिटी से जब तक अनुमति नहीं लेंगे तब तक उसमें किसी को भी नौकर नहीं लगा सकते। काम्पीटैंट आथोरिटी, काम्पीटैंट आथोरिटी, अब आप किस विभाग में किसको काम्पीटैंट आथोरिटी बनाएंगे? इसमें तो यहां तक है कि राज्य सरकार को भी किसी प्रकार की काम्पीटैंट आथोरिटी, आप क्या बनाना चाहेंगे, वह तो सारा आपके नोटिफिकेशन

(श्री हीरासिंह चौहान)

के बाद लागू होगा। कोर्टों को बिलकुल डिबार कर दिया, कोर्ट इसमें किसी प्रकार का इन्टरफियर नहीं कर सकता। इसके अलावा भी कोर्टों द्वारा जो डिक्रीयां हो रखी हैं और निर्णय हो रखे हैं, उनको भी रोक दिया कि न तो कोर्टों का निर्णय लागू होगा, न कोर्टों की कोई डिक्री लागू होगी। ऐसा इस बिल को फ्रेम किया गया है जिससे लगता है कि पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आजादी के 50-51 साल बाद इस कानून को लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या सरकारें पहले नहीं चल रही थीं, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी? आजादी के 51 साल बाद, इस कानून को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, मंशा क्या है, मैं नहीं जान सकता। सरकार इस बिल को लाकर क्या सोच बना रही है, किस प्रकार के नौकरों की छंटनी करेगी, किसे निकालेगी? हो सकता है कि आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए कटौती भी की जाए, लेकिन कुल मिलाकर इस बिल को देखा जाए तो इसकी जो फ्रेमिंग की गई है, जिस प्रकार के सैक्शन इसमें इण्ट्रोड्यूस किए गए हैं, उससे तो यह लगता है कि किसी के सिविल जूरिडिक्शन को इण्टरफियर करने का एम्पल पॉवर दिया गया है। आप किसी को किसी भी समय निकाल सकते हैं और वह कर्मचारी या अधिकारी किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट की अब तक जो डिक्री पास हो रही थीं, अब वे भी किसी प्रकार से लागू नहीं होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे से पहले माननीय सदस्य क्या बोले, मुझे पता नहीं, उस समय में बाहर था, इसलिए क्षमा चाहूंगा, कहीं रिपिटीशन भी हो रहा होगा। दैनिक मजदूरी-नियुक्तियों का प्रतिषेध और अस्थायी नियुक्तियों का विनियमन, किसी भी लोक सेवा में, किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड के किसी भी पद पर दैनिक-मजदूरी कर्मचारी के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिसिद्ध होगी। किसी भी लोक सेवा में किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में से किसी भी पद पर कोई आवश्यक अस्थाई नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं की जाएगी और ऐसी नियुक्तियां ऐसी शर्तों के संगत भी होंगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएं।

मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार का आपने किया है, वित्त मंत्रीजी, आपको इसमें कहीं न कहीं छूट देनी पड़ेगी। शासन की मौजूदा परिस्थितियों में, स्वायत्त शासन की मौजूदा परिस्थितियों में जितनी भी संस्थाएं चलती हैं उनमें सरकारी कर्मचारी बीमार पड़ जाते हैं, किसी की डैथ हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है, कोई लेडी मैटरनिटी लीव पर जाती है तो उसको 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, तो उस समय, आप कह रहे हैं कि किसी को अपाइन्टमैंट नहीं दे सकते, नियुक्ति नहीं दे सकते। जो पद आलरेडी सृजित हैं, आपने उन सृजित पदों पर भी बैन लगा रखा है। कम से कम आप इतनी दया तो करते कि

(श्री हीरासिंह चौहान)

जो आलरेडी सृजित पद हैं, जो आलरेडी स्वीकृत हैं, राज्य सरकार से, उन पदों पर लेने के लिए तो कम से कम काम्पीटैंट आथोरिटी के पास जाने की मनाही करते। लेकिन आपने तो दैनिक मजदूरी से लेकर जो सर्विसेज में आलरेडी क्रीएटेड पद हैं, उनके लिए भी बैन लगा दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए प्रसारित किया जाए और वापस इस पर अध्ययन किया जाए कि इस बिल को किस उद्देश्य से क्यों लाए हैं। अन्यथा इस बिल को जल्दबाजी में पास करेंगे तो इसके कंसिक्वैंसेज आगे जाकर मेरी राय में बहुत खराब होंगे। पहले अध्यापकों वाला झगड़ा चला, हाई कोर्ट ने रोक दिया। आज पंचायत समितियों में हजारों पोस्टें अध्यापकों की खाली पड़ी हैं। ठीक कह रहे हैं कि 16 हजार एक अध्यापकीय विद्यालयों को चालू करना चाहते हैं और शिक्षा देना चाहते हैं। आज प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। टीचर्स नहीं होने के कारण से गांव का पांचवीं क्लास वाला किताब नहीं पढ़ सकता है, लैटर नहीं लिख सकता है। ऐसी स्थिति आज गांवों की बनी हुई है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मेरा विचार है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करें। ठीक प्रकार से आप लाना चाहते हैं तो इसमें सुसंगत बिलकुल ठीक नियम हों, ठीक प्रकार की व्यवस्था, ठीक प्रकार से लागू करने के लिए हो, ऐसी व्यवस्था करके लाया जाए। हो सकता है कि गलतियां हो रही हों। मैं मना नहीं करता। इर्रेगुलेरिटी हो रही हों, मैं इससे कभी मना नहीं कर रहा। लेकिन जो व्यवस्था इस बिल में बनाई गई है, वह तो मौजूदा परिस्थितियों में अपने इस राजस्थान राज्य में लागू नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती और इससे कई प्रकार के संकट पैदा होंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह कस्वां। (अनुपस्थित) श्री अमराराम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ को सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को जनमत जानने के लिए भेजने का प्रस्ताव करता हूं। उपाध्यक्ष जी, कल ही सदन में चर्चा हो रही थी, जैसलमेर और गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्यों के प्रश्न के जवाब शिक्षा मंत्रीजी दे रहे थे कि वहां से पदोन्नति करके अध्यापकों को चूरू भेज दिया। जब सरकार से यह पूछा गया कि आप उनको वहीं क्यों नहीं लगा देते, वहीं खाली जगह थी, तो सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। कौन काम्पीटैंट आथोरिटी है? सरकार। वह भी वहां पर नियुक्ति नहीं कर सकती। मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने भी यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं उन सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में या एडेड स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम सरकारी स्कूलों के रिक्त पदों को भरते नहीं और जो स्वायत्त संस्थाएं हैं या प्राइवेट

(श्री अमराराम चौधरी)

संस्थाएं हैं उनमें स्टाफ पूरा होता है, गणित का अध्यापक लगा होता है, बायलोजी का अध्यापक लगा है, फिजिक्स का लगा होता है, इसलिए ये लोग सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट संस्थाओं, एडेड स्कूलों के अन्दर ज्यादा पढ़ने जाते हैं। यही कारण है। इसलिए अब इस प्रकार का एक्ट ला रहे हैं, इसमें संशोधन आप कर रहे हैं। इसका प्रभाव है कि इनमें एक काम्पीटैंट आथोरिटी है, कितने महीने में वह करेगी? यदि आज ही नियुक्त करना है तो? सरकार जब जैसलमेर में खाली जगह होते हुए, बाड़मेर में खाली जगह होते हुए भी 6-6, 7-7 महीने में नहीं कर सकती तो जो प्राइवेट, एडेड संस्थाएं हैं उनमें यह आथोरिटी मुकर्रर करेंगे तो वो छह महीने तक नहीं आएगी, 12 महीने तक भी उसको टाइम मिलेगा नहीं। माननीय सदस्यों ने सबने इस प्रकार की अपनी भावना व्यक्त की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिनियम की धारा 2, 4 व 5 में स्थानीय निकाय व लोक सेवा परिभाषित है। इस अधिनियम में स्वायत्तशासी संस्थाएं, जिसमें विश्वविद्यालय, नगरपालिका, पंचायत आदि को भी आपने शामिल किया है। अभी माननीय राजेन्द्र सिंह जी फरमा रहे थे मस्टररोल आपकी काम्पीटैंट आथोरिटी पर है। हम दरख्वास्त देकर मजदूर लगाना चाहें, फिर आपकी काम्पीटैंट आथोरिटी हमको नियुक्ति दे तब नियमानुसार नियुक्ति होगी, मस्टररोल में हमारे नाम होंगे और हमको पेमेंट होगा, वरना तो हो ही नहीं सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है, इसको आप जनमत जानने के लिए भेजें।

धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्तर के पद पर लोक सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति नहीं की जाए। तुरन्त आवश्यक नियुक्ति सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर उन शर्तों पर की जाए जो शर्तें सक्षम अधिकारी निर्धारित करे। अब गौशाला का ही मामला लें। वह एडेड है, वहां गायों का रख-रखाव करने वाला आदमी चला गया कि मैं आज गायों की रखवाली नहीं करूंगा। फिर उनके लिए कौन करेगा? एक दिन भी चारा डालने वाला नहीं होगा तो फिर क्या हालत हो जाएगी? गायें भूखी मरेंगी? इसलिए इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है।

इस प्रकार धारा 5 व 6 में नये पद स्थापित करने, मानदेय, वेतन आदि बढ़ाने के लिए भी सक्षम अधिकारी की अनुमति का प्रावधान किया गया है। यह ठीक है, आपकी जो मंशा है कि विश्वविद्यालय में या और दूसरी प्राइवेट संस्थाओं में संस्था के इंचार्ज मनमानी करते हैं और बैक डोर से एंट्री करते हैं। उसकी रोक के लिए आप यह लाए हैं, भावना आपकी यह है, लेकिन इन सब धाराओं को अपन देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसको आप जनमत जानने के लिए भेजेंगे आर इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा।

आज मान लीजिए, हम किसी अधिकारी, कर्मचारी को लगाना चाहते हैं अर्जेन्ट उस संस्था के अन्दर, लेकिन तत्काल

(श्री अमराराम चौधरी)

लगाने के लिए परमिशन नहीं है तो कैसे लगाएंगे? तीन महीने का, 6 महीने का कोई टाइम दें कि 6 महीने तक उनकी स्वीकृति लेना आवश्यक है, 6 महीने तक स्वीकृति नहीं दे तो स्वतः मान लिया जाए कि उनकी स्वीकृति मिल चुकी है।

दूसरा, इसमें दण्ड की प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है 10 हजार रुपये, 5 हजार रुपये का और 6 महीने से दो वर्ष के कारावास की सजा है। और अबेटर, जो इंस्टीगेट करता है, अबेट करता है उसके लिए भी। आज मान लीजिए, कोई विधायक महोदय ने किसी को चिट्ठी लिख दी कि श्रीमान इसको आप लगा देना। उन्होंने लगा दिया और लगाने के बाद कहा कि मैंने इनके कहने से लगाया तो वह अबेटर की परिभाषा में आ गया। (व्यवधान) इसमें नहीं किया है, लेकिन अबेटर का मतलब यही हुआ। इसीलिए आपने आगे के दरवाजे बंद कर दिए हैं, न्यायालय के दरवाजे बंद कर दिये हैं। यद्यपि न्यायालयों में मुकदमें बहुत ज्यादा हैं उनको टाइम नहीं मिलता है, व्यर्थ में हैं, लेकिन आदमी का यह समानता का राइट है, उसको अधिकार है, फण्डामैंटल राइट है कि अगर कोई नहीं मानता है तो वह अदालत में जाकर, अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपने न्याय के लिए प्रार्थना कर सकता है। उस दरवाजे को आप बंद कर रहे हैं। उसके लिए यह बहुत घातक होगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी पहले भी बहुत सारे काले कानून लाये हैं और कुछ को संशोधित किया है और कुछ को वापस लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, 8 साल से आराम से बैठे थे, गुस्सा भारतीय जनता पार्टी पर या सरकार पर था, लेकिन गुस्सा उतार रहे हैं मजदूरों पर, कर्मचारियों पर और वह भी उन मजदूर, कर्मचारियों पर जो दैनिक वेतनभोगी होंगे या जो किसी तरह से अपना जीवन-यापन करेंगे, दो जून की रोटी खाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय वित्त मंत्रीजी को कुछ गलतफहमी हो गई, गलतफहमी शब्द भी बहुत हल्का रहेगा, शायद वित्त मंत्रालय को समझ का अपच हो गया है। बाल में से खाल, खाल में से बाल, बाल में से जाल और उसमें से भी राल निकाल रहे हैं और राल में से कुछ निकलना नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीपतियों के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन छोटे-छोटे फुटकर दुकानदार, छोटे-छोटे कर्मचारी और दुकानदार, व्यापारी आते हैं। अब डेली वेजेज के कर्मचारियों को भी, मजदूरों को भी इन्होंने बख्शा नहीं है। यह बिल मूल अधिकारो पर बहुत बड़ी चोट है। इन्होंने लिखा है और कहा है कि किसी कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, लेबर कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, लेबर ट्रिब्यूनल में नहीं जा पाएंगे, ये मजदूर किसी मुंसिफ कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, ये मजदूर कर्मचारी किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे तो क्या, श्रीमान, पूजीपतियों के समर्थक वित्त मंत्री जी, हे महामहिम वित्त मंत्री जी, आप क्या

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मूल अधिकारों से, फण्डामैंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं कि कोई मजदूर कहीं अपील नहीं कर पाएगा, कोई कोर्ट में नहीं जा पाएगा? उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह कितना बड़ा काला कानून है, एक-एक माननीय सदस्य कांग्रेस के भी अन्दर मन में रो रहे हैं, मेरी बातचीत हुई है...

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : रोना तो आपको आ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन महिलाएं उदास हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। आप लोक शोर मचाइए। (व्यवधान) सत्ता पक्ष के लोग हैं, + + + आप लोग शोर मचा रहे हैं। (व्यवधान) मर्यादा सीखिए।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : इस उदाहरण के बाद यह लगता है कि + + + माननीय सदस्य, आपकी बात से लगता है कि + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिए, उनकी चिन्ता मत करो। आप अपनी बात कहिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक श्री उदयसिंह जी राठौड़ हैं, मूलतः कर्मचारी नेता हैं, मैं भी मूलतः मजदूर नेता, कर्मचारी नेता हूं। ये बाहर जाकर धरने दिलवाते हैं मजदूरों, कर्मचारियों से। अंदर बोलने की हिम्मत वित्त मंत्री जी के डर से नहीं होती। वित्त मंत्रीजी ऐसे + + + हैं कि उनके भय के मारे उदयसिंह जी राठौड़ बोल नहीं पाते। अभी मुझे बाहर मिले, मैंने कहा मैं बोलूंगा, आप समर्थन करना। मजदूरों के संबंध, कर्मचारियों से संबंध, गरीबों से संबंध, पीड़ितों से संबंध, दलितों से संबंध रखने वाला अत्यन्त मर्मांतक पीड़ा वाला यह बिल है और उससे संबंधित हैं, उदयसिंह जी राठौड़ साहब, आप जरा सुनियेगा कम से कम समर्थन करियेगा। लेकिन उदयसिंह जी राठौड़ उठकर चले गये। वे अंदर नहीं बोलते, वे बाहर बोलते हैं। उन्होंने यह जो काला कानून आया है...

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा 3 या 4 का हवाला तो हमारे बहुत सारे साथी दे चुके हैं। गवर्निंग कौंसिल डी. आर. डी. ए. की 6.3 को मीटिंग हुइ अलवर में, जिला परिषद की 3 मीटिंगें हुई उससे पहले भी जिले की मीटिंग हुई। बिजली की लाइनों की शिफ्टिंग का मामला था, हमारे वाटर वर्क्स की, लाईन का था कहीं टूट गई, फूट गई। पाइप लीक हो गये थे। हमने दोनों एसई. को कहा। अलवर के भी विधायक बैठे हैं इन्होंने भी मांग उठाई जिला गवर्निंग कौंसिल में भी और हमने भी उठाई, लेकिन वे कहते हैं कि नई सरकार ने मस्टर रोल पर लगाने के लिए पाबंद कर दिया, आप मजदूर ले आओ। अब मजदूर हम लेकर आएं और सरकार आप चलाओ, इससे बड़ी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

शर्म की बात क्या हो सकती है ! वहां के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, बिजली और पानी यह कहते हैं। शिफ्टिंग लाइन के लिए भी मजदूर लगा नहीं पाये क्योंकि इनको डर है कि उस एस. ई. को जेल जाना पड़ेगा, एक्स. ईस. को जेल भेजना पड़ेगा, उस सरपंच को सजा देंगे, मैं आधे पौन घण्टे बोलूंगा, बहुत दिनों बाद नम्बर आया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बहुत बाकी हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सरपंच को सजा देंगे प्रधान को, जिला प्रमुख को सजा देंगे, जिला प्रमुख के अलावा विधायकों को, मंत्रियों को सजा देंगे या आप सजा देंगे बिजली बोर्ड के चेयरमैन को या रीको के आर.एफ.सी. के लघु उद्योग निगम के चेयरमैन को, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन को सजा देंगे, इस तरह 56 करापोरेशन के चेयरमैन हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम्पीटैंट आथोरिटी अपाइन्टमैंट देने वाला है जिसको जरूरत महसूस हो रही है नगरपालिका की, जरूरत महसूस हो रही हैं पंचायत की, जरूरत महसूस हो रही है बिजली बोर्ड की, हाउसिंग बोर्ड की। यह ब्यूरोक्रेसी का बिल है, आप किसी चीफ इंजीनियर को हटा नहीं पाएंगे। आप किसी आई.ए.एस. को शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव पद से नहीं हटा पाऐंगे लेकिन आप हज़ारों मज़दूरों की हत्या करना चाहते हैं, आप हजारों मजदूरों का गला घोटना चाहते हैं। यह नहीं चलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी.आर. डी.ए. की एक बात सामने आई है। को-आपरेटिव व्यवस्थापक हैं, आज तक उनके बारे में निर्णय नहीं हुआ कि वे को-आपरेटिव के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं या आर. एस.आर. रूल्स के अन्तर्गत आते हैं। वे किसके कर्मचारी माने जाएंगे? दो-दो, तीन-तीन बार आन्दोलन हुआ है। मैंने भी आंदोलन किया था, अपने राज में भी किया था, इस सरकार ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब डी.आर. डी.ए. के कर्मचारी भी इनके +++ हो गये हैं, +++ सारे राजस्थान के डी.आर. डी.ए. के कर्मचारियों की जिम्मेदारी वहां के कलैक्टर पर होगी और कलेक्टर जो आई.ए.एस. होते हैं, वे तो पूंजीपतियों के समर्थक होते हैं, मजदूरों के समर्थक नहीं होते। वित्त मंत्री क्या कहना चाहते हैं? हत्या करना चाहते हैं। अनुदानित संस्थाएं जो चल रही हैं, आप उनका अनुदान बंद कर दें तो समझ में आता है लेकिन इनको सजा देंगे। आप कंस बन गये हैं, रावण बन गये हैं, हिटलर बन गये हैं, वित्त मंत्री जी आप क्या बन गये हैं? आप दुर्योधन बन गये हैं किसी को सभा में आने नहीं देंगे। आप क्या बन गये हैं, माननीय वित्तमंत्री जी? उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या सरकार है और कैसी सरकार है? ये कानून का हवाला देकर अब सजाएं देंगे 6 महीने, साल भर, दो साल की चुने हुए प्रतिनिधियों को। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : यदि ये रावण बन गये हैं तो मूंछें आपकी लगेंगी। रावण बनने की कोशिश करेंगे तो मूंछें तो आपकी ही लगेंगी, इनके। यह इतना इतना आपका लगेगा और नीचे का रावण इनका चल जाएगा। मूंछे आपके पास हैं, बिना मूछों के रावण कैसे होगा?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो मूंछ मुण्डे हो, आपने तो शर्म रखी नहीं, मैंने तो मूंछें रखी हुई हैं सम्भालकर रखी हुई हैं, भारत की। राजस्थान की महाराणा प्रताप की मूंछें हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, वीर दुर्गादास राठौड़ की मूंछें, शिवाजी महाराणा प्रताप की मूंछें मैंने तो रखी हुई हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है वित्त मंत्री जी 6 बार उठकर गये हैं, यहां पर बैठे हुये सैक्रेटरी फाइनेंस, सक्सैना साहब से बात कर रहे हैं, बार बार उठकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सारे विधायक महोदय मन में यही सोच रहे हैं कि यह काला कानून-वित्त मंत्री जी, लोक सभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है राजस्थान में? हम तो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यह मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। यह बिल जो अनुदानित संस्थाएं हैं, जिनको एड मिल रही है, उन संस्थाओं के खिलाफ है। उनको सजा नहीं मिले, मजदूर हटें नहीं हम इसलिए चिंतित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मजदूर और कर्मचारी को कुचलने वाला कानून है। माननीय भंवरलाल जी बोल रहे थे, वित्त मंत्री जी बार-बार सीट से कह रहे थे इस बारे में आपको गलतफहमी है, हमको गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। जैसे अभी 8 दिन हो गये दिल्ली में रोते रोते, आंसूओं से टब भर दिये, बेशर्म इतने कि आये और नहा कर चल दिये। ऐसी जो पोजीशन हुई है दिल्ली में आप लोगों की, अभी भी शर्म नहीं आ रही। ऐसे काले कानून सेवा नियमों के बारे में (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इतने रोये क्या? इतने रोये बी.जे.पी. वाले कि टब भर गये आंसूओं से? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी हमारे बुर्जुग हैं, मैं भारतीय संस्कृति को मानने वाला हूं।

No Darling, No Dear,
No Egg, No Beer,
No Smoke, No Cheer,

पत्नी के अलावा प्रेमिका नही, चमचा और कुत्ता नहीं, अण्डे, मीट, मछली, पान, सुपारी नहीं, जर्दा नहीं, बीड़ी और सिगरेट नहीं, बीयर और शराब नहीं, पान और गुटका नहीं, शुद्ध शाकाहारी आदमी हूं। बुजुर्ग हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं लेकिन वे मुझे टोक रहे हैं पहली बार आने वाले सदस्य को, यह भी एक संकोच की बात है। भंवरलाल जी कह रहे हैं :–

No Darling, No Dear,
No Egg, No Beer,
No Smoke, No Cheer,

पत्नी के अलावा प्रेमिका नहीं, चमचा और कुत्ता नहीं, अण्डे, मीट, मछली नहीं,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पान, सुपारी जर्दा नहीं, बीड़ी और सिगरेट नहीं, बीयर और शराब नहीं गुटका नहीं, शुद्ध शाकाहारी हूं। मैं आपकी संस्कृति को मानने वाला हूं, माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपका आदर करता हूं, ऐसे काले कानून को मत लाइये, ऐसा मजदूर विरोधी कानून मत लाइये। ऐसा कानून मत लाइये जिससे मजदूरों की हत्या हो जाए। ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं विधान सभा में भी और बाहर भी, लेकिन हम कानून की पालना करेंगे क्योंकि विधान सभा में जीतकर आये हैं, जनता ने हमको चुना है। हम कह सकते हैं, काले कानून को लाने वाली कांग्रेस की सरकार, व्यवसाय कर और बाकी करों को लादने वाली सरकार। परसों आप कर्मचारियों को कोस रहे थे। पानी पी-पीकर बाहर जाकर पानी पी-पीकर कोस रहे थे। कोस रहे थे कि उनकी संख्या ज्यादा है, उनको सुविधाएं ज्यादा हैं। आप विषमता समाप्त करें, माननीय वित्त मंत्री जी, वेतन विषमता समाप्त करें। आप एक पूंजीपति–यहां पर बिड़ला, टाटा, बांगड़, तापड़िया हैं रांका साहब जैसे आपके समर्थक हैं उनकी आय और एक मजदूर की आय का एवरेज निकालें। आप एवरेज निकालें और वेतन विसंगतियोंको समाप्त करें। वेतन विषमताओं की बात करते हैं, मजदूरों को पहले ही बहुत कम वेतन मिलता है। आपने मिनिमम वेज दी नहीं, बेरोजगारों को लगाया नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। आपने कोई काम अच्छा नहीं किया, अंत समय में तो, वित्त मंत्री जी, अच्छा काम कर जाओ। आप बुजुर्ग हैं वित्त मंत्री जी, अंत भला सो भला, कोई तो अच्छा काम कर जाओ मजदूरों के समर्थन में। उस लॉबी की तरफ, ब्यूरोक्रेसी की तरफ मत देखिये, माननीय वित्त मंत्री जी आप उनसे सलाह लीजिए। तो एयर कंडीशनर में बैठने वाले लोग हैं। आप मेरी तरफ देखो, मैं यहां आ तो गया हूं लेकिन बाहर धूप में फिर भी रहता हूं। अंत भला सो भला, आप अंत में कुछ तो मजदूर-कर्मचारी की आय के बारे में चिंता करें, आय विषमता समाप्त करें। आप वेतन विषमता समाप्त करने की बात नहीं करें। कर्मचारी को क्या मिला? विधान सभा कर्मचारी के पैसे बढ़ाये, उस मजदूर के पैसे बढ़ाये जो डेली वेजेज में काम करता है? जो श्रमिक होटल, ढाबे में काम कर रहा है उसके पैसे बढ़ाये? आप अनुदानित संस्थाओं को पाबंद करना चाहते हैं, यह गलत है। यह दोष है, आप दोषी हैं इसलिए कृपा करके इस बिल को पैंडिंग में रखकर जनमत के प्रसार लिए, भेजें या इसे पुनः विचार के लिए रखें, इस कानून को वापस लें। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही अर्ज करूंगा, यही विनती करूंगा, यही निवेदन करूंगा, यही रिक्वैस्ट करूंगा, वित्त मंत्री जी। आप बुजुर्ग हैं, वित्त मंत्री जी, कुछ अच्छा काम कर जाइये। अंत भला सो भला। भारत माता की जय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रवर

(श्री दिग्विजय सिंह)

समिति को देने का प्रस्ताव है, जनमत जानने का नहीं है। मैं मूव कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष : बोलो न आप।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थन (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विधेयक का प्रश्न है, विधेयक की भावना बहुत सराहनीय है। विभिन्न विभागों में जो कैजुअल लेबर की नियुक्ति अपने स्तर पर डिपार्टमैंट कर लेतें हैं, इससे राजकोष पर काफी खर्चा पड़ता है और बाद में कोर्ट से उनको नियमित करने की बात भी हो जाती है। उसको रोकने की दृष्टि से तो यह विधेयक बहुत बढ़िया है, पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान कुछ खास मुद्दों पर दिलाना चाहूंगा। इसको विधेयक के रूप में आप लाये हैं उससे निश्चित रूप से एक बात तो साबित होती है कि सरकार का अधिकारियों पर या विभागों पर अंकुश या नियन्त्रण अपनी दक्षता के हिसाब से नहीं है इसलिए आपको यह विधेयक लाना पड़ा है। अब इस विधेयक के माध्यम से आप कैजुअल लेबर को रोकना चाहते हैं और उसके लिए आप यह विधेयक लाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 4 जैसा कि अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य भंवर लाल जी शर्मा ने कहा है, उसमें लिखा है—"Prohibition of daily wage appointments and regulation of temporary appointments" यह तो आप कर देंगे पर जो कांट्रैक्ट लेबरर्स हैं उनके बारे में क्या होगा जिनको कि 240 दिन हो गये? इसका इसके अन्दर कहीं मैन्शन नहीं है। या तो आप इसको इनकारपोरेट करें। उपाध्यक्ष महोदय, रीसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट हुआ है और यह रिपोर्ट हुआ है। हिन्दुस्तान टाइम्स में दो अप्रैल को। उसमें लिखा है—

"Contract labourers have right to be absorbed in service after 240 days."...

"The Bench favoured giving widest possible meaning and amplitude to the expressions used in the legislation as otherwise the 1970 Act would lose its efficacy and the contract labour would lose its efficacy."...

"The Supreme Court, in a ruling favouring lakhs of contract labourers, has held that they have a right to be absorbed in regular service after working for ever 240 days in a year in a establishment." कांट्रैक्ट लेबरर्स का आपका कोई रीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट कांट्रैक्ट लेबर का भी हो गया। अब आप कैजुअल लेबर की बात कर रहे हैं तो इस जजमैंट के बाद में वह अपने आप ही नलिफाइड हो जाता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सैक्शन 11 और पढ़ लो। सैक्शन 11 में यह बन्द कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा तो भी मानेंगे नहीं। यह कहा है उस सैक्शन में।

श्री चन्दनमल बैद : सुप्रीम कोर्ट लिखा है क्या इसमें?

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो मैं आखिरी में आ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं माननीय वित्त मंत्रीजी से कि थोड़ा आप इसको भी दिखा लें, यह जो कांट्रैक्ट लेबर का हुआ है। कांट्रैक्ट लेबर अगर इसमें कवर नहीं होता है तो आपके एस्टैब्लिशमैंट हैं और दूसरे विभाग अगर कांट्रैक्ट के माध्यम से लेबरर्स लगा देंगे और अगर उनको 240 दिन हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट के आधार पर आपको उनको रैगुलराइज्ड नियुक्ति देनी पड़ेगी। जो कांट्रैक्ट लेबर का अभी जजमेंट हुआ है उसको आप दिखाएं। इस वजह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सैक्शन 4 को और इस एक्ट को आप देखते हुए विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आपका सैक्शन 11 है, सैक्शन 11 के अन्दर आपने लिखा है अबेटमैंट। यह अबेटमैंट ऑफ क्लेम्स के अन्दर आपने कह दिया कि—

(a) no suit or other proceeding shall be instituted or maintained in any court, tribunal or other authority by the daily wage or temporary appointees against the State Government or any other employer of public services specified under sub-clause (b) to (e) of clause (v) of Section 2 for the regularisation of the services;

(b) no court shall enforce any decree or order directing the regularisation of the services of such persons; and

(c) all suits or other proceedings pending in any court or tribunal claiming the regularisation of services shall abate."

कहने का मतलब यह हुआ कि कोर्ट के अन्दर अगर किसी का केस चल रहा है, केस चलते चलते उसकी सारी एविडेंस पूरी हो गयी, एविडेंस पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसका निर्णय सुरक्षित रख लिया। अब उनको निर्देश देना है कि उसका जो कैजुअल लेबर का पीरियड था वह रेगुलराइज किया जाए या नहीं किया जाए। सब एविडेंस लीड हो गयी, जजमैंट होना बाकी है। ऐसी स्थिति में यह कहा गया है कि यह लागू कर दिया है, तो उसका क्या असर रहेगा? वह अबेट हो जाएगा? इसी प्रकार से कोई जजमैंट नीचे के न्यायालय में कर दिया गया और वह प्रार्थी के विपरीत कर दिया, उसकी अपील लेकर के वह हाई कोर्ट में गया हुआ है, हाई कोर्ट में पैण्डिग है। तो आप उस प्रोसीडिंग को ही अबेट मानेंगे? मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो प्रोविजन किया है अबेटमैंट

(श्री दिग्विजय सिंह)

का, this is against natural justice of law. उसका फंडामैंटल राइट है और यह नेचुरल जस्टिस विपरीत होगा, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूं।

इसी प्रकार से सैक्शन 12 है। सैक्शन 12 में क्या किया आपने? इधर तो आपने अबेटमैंट ऑफ क्लेम्स कर दिया सारी प्रोसीडिंग्स का और इधर सैक्शन 12 के तहत आपने एक रिव्यू कमेटी का निर्माण कर दिया कि एक रिव्यू कमेटी बैठेगी। उधर तो सारे क्लेम्स को अबेट कर दिया कि कोर्ट के अन्दर कोई सुनवाई चल भी रही है तो वह सब समाप्त, इसके ऊपर कोई बात नहीं और इधर आपने एक रिव्यू कमेटी बना दी। वह रिव्यू कमेटी बैठेगी और वह क्लेम को देखेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप भी भ्रम क्यों पैदा कर रहे हो?

श्री दिग्विजय सिंह : यह मेरा मतलब है कि एक दूसरे में कंट्राडिक्टरी हैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत कंट्राडिक्टरी हैं और कुछ ऐसा लगता है कि इसके अन्दर अक्ल नहीं लगायी गयी, कहीं से नकल करके वही उतार दिया। अगर अक्ल लगाकर कुछ करते तो यह कंट्राडिक्शन नहीं होता। उधर आप कोर्ट के अन्दर अबेटमैंट करते हो और इधर आप उन्हें केसेज के लिए एक रिव्यू कमेटी बैठा रहे हो। जैसे लिख दिया है—

"After the date of commencement of this Act, the State Government may constitute a Review Committee with an officer not below the rank of a Secretary to the Government as the Chairperson and such number of members of such rank as it may deem fit,......"

जो एग्जस्टिंग स्टाफ पैटर्न है उसको देखने के लिए। तो आपने उधर तो अबेटमैंट कर दिया और इधर रिव्यू कमेटी बना दी। वित्त मंत्रीजी, दोनों को आप एक साथ देखेंगे तो एक-दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं और यह उचित नहीं होगा।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान सैक्शन 13 की ओर भी दिलाऊंगा जिसमें उसे पावर्स वगैरह दिये गये हैं। वे उसी से को-रिलेट करते हैं इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, जैसा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है। उसके अन्दर जो बातें कहीं गयी हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करते हुए सैक्शन 14 के ऊपर आऊंगा।

सैक्शन 14 में आपने पनिशमैंट को बताया है कि उसके अन्दर पनिशमैंट का पावर भी है। पनिशमैंट दिया है—Which may extend from 6 months to 2 years.

वह आप रिकमंड करेंगे, कोई अगर आथोरिटी कर लेती है, करा लेती है तो। यह मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसको रिकमंड करेंगे तो वह किस फार्म में करेंगे, कौनसे सैक्शन के अन्दर जाएगा और...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो इसी सैक्शन में जाऐगा। वह जो सैक्शन है, उसी में जाएगा। पैनल्टी इसी में है, प्रोवाइडेड है, इसी में जाएगा। कम से कम छह महीने की सजा होगी अगर वह उसमें जाएगा तो। इसी सैक्शन में जाएगा अगर जाएगा तो।

श्री दिग्विजय सिंह : "Any person or authority who contravenes the provisions of this Act shall, apart from the penalities otherwise provided for, on conviction by a competent court having jurisdiction be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months and which may extend upto two years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend upto ten thousand rupees." यह आपको प्यूनिटिव क्लाज, डेंजरस है। उस आदमी के लिए आपने अबेट भी कर दिया। अबेट करने के बाद में फिर आपने रिव्यू के अन्दर तो नहीं माना उस आथोरिटी को। उस वक्त जबकि यह एक्ट लागू ही नहीं था, यह प्रावधान ही नहीं था तो उसके खिलाफ भी उपयोग हो सकता है इसलिए वित्त मंत्रीजी, इस क्लाज को भी आप देखें और फिर जब उत्तर दें तो बतलाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से 17 है, 17 के अन्दर आपने ऑफेंसेज बाई कम्पनीज लिखा है और कम्पनीज को एक्सप्लेनेशन के अन्दर आपने डिफाइन किया है—"For the purpose of this section, —

(a) "Company" means a company as defined in the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) and includes a University, a firm, a society or other association of individuals ;..." इसके माध्यम से न केवल आपकी अंडरटेकिंग हैं उनके ऊपर या खुद की संस्था के ऊपर, बल्कि आपने तो इंडिवीजुअल सोसाइटीज, सब पर लागू कर दिया कि कोई भी कैजुअल लेबर नहीं रख सकता। जो आपकी डैफिनिशन है शुरु के अन्दर कम्पनी की, वह कहती है कि कम्पनी क्या होगी—

"'Government Company' means any company incorporated under the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) in which not less than fifty one per cent of the paid up share capital is held by the Stae Government and includes a company which is subsidiary of such a Government Company;...." यह तो डेफिनिशन आफ कम्पनीज वहां है लेकिन "फॉर दी परपज ऑफ एक्सप्लेनेशन" इसके अन्दर आपने सबको इन्क्लूड कर दिया। इसके अन्दर आपने इन्क्लूड कर दिया–"...and includes a University, a firm, a society or other association of

(श्री दिग्विजय सिंह)

individuals;...." फिर (बी) कहता है, डाइरेक्टर...

"(i) in relation to a University established by law for the time being in force; or

(ii) in relation to a society or other association of individuals or bodies, registered, formed, constituted or established, as the case may be, under any law for the time being in force;..." अप्रत्यक्ष रूप से आपने उसको सब पर लागू कर दिया। तो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप थोड़ा समय और दें, इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि क्या प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप यह जो बिल लाये हैं, इसका कंसेप्ट और इसकी थीम निःसंदेह अच्छी है कि कैजुअल लेबर के माध्यम से जो सरकारी कर्मचारी लगा लेते हैं और राज कोष के ऊपर बोझ पड़ता है, उसको रोका जाए। पर यह इतना कट्राडिक्टरी है, विरोधाभास आपस के अन्दर क्लाजेज में हैं कि इसको जल्दबाजी के अन्दर हम नहीं करें। इसको फुलप्रुफ करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि it is against the provisions of the Constitutions. It is against the fundamental rights of a person or a class of persons. And it is against the natural justice alse. उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको गम्भीरता से लें और इसको जल्दबाजी में पास नहीं करें, न कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएं। इसकी सारी चीजो को, सुझावों को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वह इन सब बातों को देख लें। यह कोई फाइनेंस बिल नहीं है। यह कैजुअल लेबर जो लगा रहे हैं, उनको रोकने का है तो वह तो आप यहां सर्कुलर से भी लगा सकते हैं। आप कर ही रहे हैं। सर्कुलर जारी हो रहे हैं, उसके बाद भी लगा लेते हैं और यह तो आप केवल एक विधेयक के माध्यम से उनको और बांधना चाहते हैं कोई इतना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें ताकि इसका थ्रैड-बेयर डिस्कशन करने के बाद अगले सत्र में आ जाए, यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियो का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कुछ बातें तो समझ में आ सकती हैं जैसे यूनिवर्सिटी में इर्रेगुलर नियुक्तियां हुई है, लेकिन इन नियुक्तियों का सबसे ज्यादा, बेजा फायदा उठाने वाले जो लोग हैं,

(श्री अमराराम)

जिनको आना चाहिए वे तो इसमें आ नहीं रहे हैं। उद्योगपति राजस्थान में अपनी मनमर्जी से डेली वेजेज पर रखते हैं और सरप्लस करके चाहे जब निकाल देते हैं, वह तो आप अपने इस एक्ट में लाये नहीं और लोकल बॉडीज हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके लिए आप बाध्यकारी नियम बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं, यह परिपूर्ण नहीं है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से यह होना चाहिए लेकिन उनका उद्देश्य बताकर और संस्थाओं को भी आप इसके परिप्रेक्ष्य में लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं, यह कृत्य उचित नहीं है और इसको विस्तार से देखने की आवश्यकता है। अभी वित्त मंत्री जी ने बीच में, इंटरवीन करते हुए कहा कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में जितने पद हैं, उसके अलावा नियुक्तियां कर लेते हैं और फिर हमसे अनुदान लेते हैं। अनुदान आपका कम्पोटैंट है, आपकी स्वीकृति के बगैर कोई भी पद उन्होंने सृजित किया है तो उसका अनुदान आप मत दीजिये। उसमें कहां कानून की आवश्यकता है? वह तो आप जब अनुदान देंगे, जो भी संस्था है, उसके लिए यह तय है।

दूसरा, आपने इसमें उद्योगों को जो छूट दी है, आज सबसे ज्यादा, बेजा फायदा राजस्थान में उद्योगपति ही उठा रहे हैं, जो रिकार्ड नहीं रखते हैं, डेली वेजेज पर रखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में "आटोपाल" कम्पनी है, 25 साल से कारखाना चल रहा है लेकिन 30 साल से ज्यादा उम्र का एक भी मजदूर उस कारखानें में नहीं है, जिसमें 8000 के करीब मजदूर हैं। दो साल डेली वेजेज पर रखने के बाद में उसकी छुट्टी कर देते हैं, रिकार्ड नहीं रखते हैं, और दूसरे फिर भर लेते हैं। निश्चित रूप से जिनके लिए प्रोविजन आने चाहिए, उनको तो आप छूट दे रहे हैं। वे प्रोविजन्स इसके अन्दर आएं। जो श्रमिकों का शोषण करने में सबसे ज्यादा आगे हैं, उनको तो आप छूट दे रहे हैं। इसलिए मेरा एक तो निवेदन यह है कि यह सलेक्ट कमेटी को जाए जो इसके अन्दर उन्हें भी इन्वाल्व करे। दूसरी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं चाहे वह म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चुने हुए लोगों को मानदेय और वेतन भत्ते तय करने के लिए आप उनको सौंप रहे हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आप और हम भी चुनकर आये हैं, आप हमारे वेतन भत्ते तय करने के लिए उनके पास भेजिये, फिर पता लगेगा। उन्हें तो हम नहीं भेजेंगे, वह तो हमारे पास रखेंगे। आज वेतन और भत्ते बढाने की बात आऐगी तो इस विधान सभा में एक सैकण्ड नहीं लगेगी। सब के सब अभी विरोध कर रहे हैं लेकिन जब बढेंगे तब उस समय एक साथ, सर्वसम्मत होंगे और दूसरों के ऊपर लगाने के लिए हम कानून बना दें। सरकार घोषणा या भाषण में तो यह कहती है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को हम अधिकार सम्पन्न बनाना चाहते हैं लेकिन उनके वेतन और भत्ते बढ़ाने की बात हम नहीं करेंगे। वह जो

(श्री अमराराम)

प्रशासनिक आपकी आथोरिटी बनाएंगे, उसको सौंपना चाहते हैं। इस कानून के उद्देश्यों में जो कारण गिनाये हैं, कुछ कारण तो उनमें हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान के लाखों मजदूरों का शोषण जो कर रहे हैं उनका क्या? आप 10(के) के आदेश निकालते हैं, वित्त मंत्रीजी, मुझे तो एक बार बता दें कि आज तक पचास साल में राजस्थान की सरकार ने जो 10(के) के आदेश निकाले, उद्योगपति ने उसका वायोलेशन किया, एक भी पूंजीपति का उसके अन्दर चालान नहीं हुआ, सजा तो दूर की बात है। वे मजदूरों की मनमर्जी से छंटनी कर दें, उनको रखने के लिए सरकार आदेश निकाले, तो रखें नहीं, वायोलेट करें, उसका इम्पलीमैंटेशन नहीं हो, उनके लिए आप इसमें प्रोवीजन करें। मंत्रीजी कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं, अधिकारियों के भ्रम के जाल में तो वे खुद हैं। उनको तो कोई सजा नहीं होगी, और जो चुने हुए हैं, आपसे नीचे हैं स्वयंसेवी संस्थाओं में, उनकी सजा के लिए आप प्रोवीजन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह बिलकुल नाजायज है और इसको आप प्रवर समिति को सौंपे। निश्चित रूप से लाखों लोग राज्य में जिनका शोषण हो रहा है, उनको रोका जाए। स्वयंसेवी संस्थाओं, नगरपालिका और ग्राम पंचायतों में और दूसरे जो काम हैं चाहे वे अकाल राहत में हों, आपकी मंशा इस कानून से यही झलकती है कि मजदूरी पर लगने वाले दैनिक वेतनभोगी लोगों को आप रोकने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून राजस्थान विधान सभा में माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार का कानून लाया गया है कि डेली वेजेज पर भी आप किसी की नियुक्ति नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्वायत्तता के ऊपर भी आपने अंकुश लगा दिया, निजी शिक्षण संस्थाओं के ऊपर भी आपने अंकुश लगा दिया, कहने का मेरा मतलब यह है कि समस्त प्रकार की संस्थाओं के ऊपर भर्ती नहीं करने का अंकुश लगाने का जो यह कानून लाया गया है, निश्चित रूप से समाज के लिए, जनतंत्र में जनता के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। माननीय वित्त मंत्रीजी, छह महीने पहले जब आप चुनाव में गये थे, लोगों को बड़ी आशा और दिलासा आपने दिलाई कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। पर जनता को यह मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कानून आप विधान सभा में पेश करेंगे। आपने डेली वेजेज पर भर्ती पर अंकुश लगाकर जनता के साथ धोखा किया है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि आपने राज बनते ही पहला जो तोहफा उनको प्रदान किया है, उसको लेकर कम से कम जनता के बीच जाना चाहिए। जनता ने जिस भावना से साथ दिया उसके हिसाब

(श्री सांवर लाल)

से आपने कानून बनाया या नहीं, जनमत को यह जानने का अधिकार है। जनतंत्र में मेरे खयाल से यह उचित भी रहेगा कि इस कानून को व्यापक जनमत में प्रचारित किया जाए। इसके एक-एक क्लाज का अगर अध्ययन किया जाए तो, इसके उद्देश्यों में आपने दिया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह देखा गया है कि भर्ती कर ली जाती है। माननीय मंत्री महोदय, पी. एच. डी. की पाइप लाइन तोड़ दी जाती है, टूट जाती है, पानी बंद हो जाता है तो उनको डेली वेजेज पर मजदूर लगाने का अधिकार नहीं होगा? आप भर्ती करते नहीं हैं तो उसको किस प्रकार दुरुस्त किया जाएगा? असेंशल सर्विसेज लोगों को आप उपलब्ध नहीं करवा सकते। आज बिजली महकमे की भी यही हालत है। अगर कहीं पर तार टूट जाता है, खम्भा गिर जाता है, उनसे बार-बार जाकर हम निवेदन करते हैं कि इसको ठीक करिये, तो उनका साफ जबाब होता है कि हमारे पास तो आदमी नहीं है, हम मस्टररोल पर ले नहीं सकते। यह कानून बन गया, और उसमें कोई भी अगर भर्ती करता है तो उसको छह महीने की सजा कम से कम होगी। तो उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इस जनता का होगा क्या? पानी, बिजली, रोजी-रोटी तो संवैधानिक अधिकार है। एक ओर तो सरकार कहती है कि हम रोजी-रोटी देंगे और दूसरी ओर डेली वेजेल पर मिलता क्या है, चालीस रूपये मिलते हैं आदमी हो, उस चालीस रुपये के ऊपर भी आप अंकुश लगा रहे हैं। संवैधानिक जो अधिकार है कि रोजगार मिलेगा, जीवन यापन का अधिकार होगा उसके ऊपर भी आप अंकुश लगा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार जो आपका यह कदम है उस कदम का मैं विरोध करता हूं, इस प्रकार का कानून पास नहीं किया जाना चाहिए। इसको प्रवर समिति को सौंपें या जनमत हेतु प्रसारित करने के लिए भेजा जाए तो ज्यादा उचित होगा। इसके क्लाज चार को आप देखिये। किसी भी लोक सेवा में...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय, एक सैकण्ड। आप मंत्री भी रहे हैं और प्रोफेसर भी हैं, विद्वान हैं, मैं तो आपसे एक जानकारी जानना चाहता हूं बहुत सारे आफसेज में कर्मचारी मनमर्जी से भर लिये गये हैं और उसमें रिजर्वेशन का कोई खयाल नहीं रखा गया है। इस प्रकार की जो भर्ती की गई है जिससे रिजर्वेशन का हमारा प्रोवीजन डिफीट हो रहा है, अगर उसको सुरक्षा प्रदान करें तो इसमें कहां एतराज है?

श्री सांवर लाल : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपकी भावना से पूरी तरह सहमत हूं। पर इसकी आड़ में आप गरीबों को रोजगार नहीं दें, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। यह सरकार है, सरकार काम्पीटैंट है और इसके लिए सरकार को यह कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की पकड़ नहीं है अधिकारियों और कर्मचारियों पर। आप आइडेंटिफाई करिये। विगत वर्षों में, चाहे आठ वर्षों में, पचास वर्षों में, अगर किसी ने इस प्रकार की

(श्री सांवर लाल)

अनियमितताएं की हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की भर्ती नहीं की है तो उनको दण्डित कीजिये आप। जब तक आप दण्डित नहीं करेंगे, किसी के प्रति जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं करेंगे और कानून बनाकर केवल यह आड़ लेंगे...

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा निवेदन सुनें, एक सैकण्ड। यूनिवर्सिटीज और कालेजेज में जो टैम्परेरी लेक्चरर्स थे, उनको एक आर आपने रैगुलर कर दिया। उसके बाद में साढ़े चार सौ की टीम फिर भर्ती हो गई उसी आड़ में। उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति या बैकवर्ड क्लासेज के रिजर्वेसन को पूर्णतः डिफीट कर दिया गया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप एस.सी., एस.टी. को एक्जेम्प्शन देने के लिए तैयार हैं क्या? आपका मतलब यह है कि एस.सी., एस.टी. के लिए एक्जम्प्शन देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इनको बोलने दीजिये। माननीय वी.पी. सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : चलो, एस.सी., एस.टी. को एक्जम्प्शन दे दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य सचेतकजी देने लगे तो...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : ... परमीशन ली है, आपकी जानकारी के लिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज, कन्टीन्यू।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एस.सी., एस.टी. को एक्जम्प्शन दिला दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, प्लीज।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय और उप मुख्य सचेतक महोदय हमारे विश्वविद्यालय में भी संबंधित रहे हैं, मैं इनसे एक जानकारी चाहता हूं कि कालेजेज और यूनिवर्सिटीज में जो टीचिंग स्टाफ का निर्धारण होता है वह कैसे होता है, आप मुझे बता दीजिये। वर्क लोड के आधार पर होता है। हर साल कितने स्टूडेंट एडमिट होंगे, कितने वर्ग बनेंगे, इसके आधार पर टीचर लगाये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सिर्फ एक चीज निवेदन करना चाहता हूं, इस विधेयक के जरिये हमारा जो उद्देश्य है वह यह है कि निरंकुश होकर सिगरेट के पैकेट पर अपाइंटमैंट लैटर नहीं बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रभारी मंत्रीजी जब जबाव देंगे। आर्डर।

श्री महेश जोशी : जो आपके राज में हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या हुआ है आपके राज में, राजेन्द्र सिंहजी?

श्री सांवर लाल : हमारे राज में तो बहुत कुछ हुआ है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : सिगरेट के पैकेट पर अपाइंटमैंट लैटर निकाल दिया गया, लोगों के हाथ पर लिख दिया गया कि इसका अपाइंटमैंट कर लें। उन कामों को रोकने के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सांवर लाल : आपका वैल्युएशन तो वापस वोट लेने जाओगे तब मालूम पड़ेगा जनता के बीच में। अभी मत इतराओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने बात उठाई यूनिवर्सिटी की। शिक्षण संस्थाओं का मामला अलग है, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं-

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपनी बात कहें। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुवा) : विवाद नहीं कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं इनसे। राय मांग रहे थे।

श्री सांवर लाल : आपने जो पाइंट रेज किया, बता दूं इतना मेरा भी फर्ज बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल जो स्टूडैंट्स एडमिट होते हैं, सैक्शन बढ़ते-घटते हैं उसके आधार पर वर्क लोड क्रीएट होता है और उसके आधार पर टैम्परेरी लैक्चरर्स की नियुक्ति होती है। जरूरी नहीं है कि परमानेंट हो ही। अगली साल अगर सैक्शन कम हो जाते हैं तो वह टैम्परेरी लैक्चरर हट जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। इस आड़ में हर गरीब के जो रोजगार चाहता है, अधिकार के ऊपर अंकुश लगाकर हम यह कहना शुरु करें कि विगत वर्षों में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यह कतई जस्टिफाइड नहीं है। मैं आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि पहले अगर किसी ने गलती की है तो उसको दण्डित कीजिये आप। यह कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर छोटी-छोटी बातों के लिए आप कानून बनाएंगे (व्यवधान) अगर आपके मातहत कर्मचारी इतनी आपकी बात नहीं मानते कि कोई भर्ती नहीं करनी है, वे भर्ती कर लेते हैं और आप देखते रहते हैं, इससे बड़ी तमाशे की कोई बात नहीं है।

मैं अभी क्लाज चार बता रहा था, किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं कर सकते। सफाई नहीं करवा सकते नगरपालिका वाले, अगर कूड़ा-करकट इकट्ठा हो गया तो।

श्री चन्दनमल बैद : लिखा है क्या इसमें? इसमें लिखा है क्या कि सफाई नहीं करवा सकता?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंशा यही है। हरेक चीज लिखी थोड़े ही होती है?

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, आप यहां पर विधान सभा में जो भी बिल ला रहे हैं, हमने कई बार सवाल किया कि आप हर चीज किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के खिलाफ कर रहे हैं। आपसे जानकारी चाहते हैं, आप जानकारी नहीं देते हैं। आपने एंट्री टैक्स लगाया वह भी हर गरीब के-

श्री चन्दनमल बैद : इसके अलावा आपके पास कोई नारा है क्या? इस नारे

(श्री चन्दनमल बैद)

को आप खूब लगाएं, कोई असर नहीं होने वाला है। इसके अलावा कोई नारा है क्या आपके पास?

श्री सांवर लाल : तो आप कर लो...

श्री देवीसिंह भाटी : हम तो सिर्फ, कोई बात का खुलासा करना चाहते हैं, आप खुलासा कीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : इसके अलावा कोई नारा है कि किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, प्रोफेसर अगर गरीब है तो आपकी जैसी गरीबी सबको नसीब हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : सीधी सादी बात है, परसों आपने रिलीफ देने की घोषणा की कि सिंचाई दर में हम कटौती कर रहे हैं...

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किसकी पैरवी कर रहे हैं, यह समझ नहीं आ रहा उनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, विराजिए, इनको बोलने दीजिए। माननीय सांवर लाल जी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उधर से बात आती है तो...

श्री उपाध्यक्ष : उनको भी रोका है।

श्री देवीसिंह भाटी : गोलमाल घोषणा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। इसमें कोई सिंचाई होती नहीं है, नाम मात्र की फसलों में सिंचाई होती है उसमें कम करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्री जी घर पर जाकर आपको बधाई जरूर देते हैं कि आप जो कुछ लाते हो हमारे भले के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात समाप्त हो चुकी है।

श्रीमती कमला : किस जगह में कौनसी लेकर आ रहे हो आप, आपने जो कुछ किया है वह उजागर होगी तब।

श्री उपाध्यक्ष : Please don't distrub.

श्रीमती कमला : नहीं, मैं एक ही सवाल आपसे पूछ रही हूं, कि अधिकारी, कर्मचारी हजारों की तादाद में...(व्यवधान) नहीं, आप पैरवी कर रहे हैं इसलिए पूछ रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, अभी यह इश्यू ही नहीं है हाउस में, अभी क्यों इसको आप उठा रही हैं? उनको भी कह रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन से तो यह अपेक्षा है कि सबको समान दृष्टि से देखें।

श्रीमती कमला : यह जो उल्टी दलीलें दे रहे हैं इनकी दलीलों के स्पष्टीकरण के लिये पूछ रही हूं। हजारों-हजारों की तादाद में अधिकारी, कर्मचारी गैर तरीके से भरते चले जायं तो सरकार का एक ही काम रह गया कि उनको रैगुलराइज कर बजट पर भार बढ़ाती रहे।

श्री देवीसिंह भाटी : किसी भी मंत्री को अधिकार है क्या कि किसी का अपाइंटमैंट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसके लिये सारी व्यवस्था है। अधिकारी के जब तक आदेश नहीं होते, एग्जीक्यूटिव आफिसर के आदेश नहीं होते...

श्रीमती कमला : हां, यही मैं पूछ रही हूं...

श्री देवीसिंह भाटी : तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

श्रीमती कमला : यही मैं पूछ रही हूं कि बिना कायदे के अगर कोई......

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार आपके पास में है, व्यवस्था आपके पास है एक्शन लो

श्रीमती कमला : आप उल्टी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। जो गलत हरकत कर गये उनको बचाने का काम कर रहे हैं और आप वो बहुत सारी हरकतें कर चुके हैं। अधिकारियों के वेतनमान बढ़ाते जाओ, नाजायज तौर पर हजारों की भर्तियां करते चले जाओ और बजट के ऊपर भार पड़े तो सरकार उनको रैगुलराइज करे।

श्री देवीसिंह भाटी : आप एक्शन लो, कौन रोक रहा है आपको?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप नौकरियां तो दे नहीं सकते, नौकरियां छीन लो। आप मजदूरों की हत्याएं कर रहे हो। नौकरियां छीन लो। नौकरियां दे नहीं सकते। अधिकारियों के खिलाफ हो तो काट लो उनका पेमेंट। आप अधिकारियों के खिलाफ हैं तो उनका पेमेंट काटिए, मजदूरों को क्यों मारना चाहते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल चुके, आपको तो खूब मौका दिया है। माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिएं। मैं चेष्टा कर रहा हूं दोनों ही न बोलें।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा, जो अभी माननीय मंत्री महोदया कह रही थीं कि इतनी सारी भर्ती कर जाते हैं, यह भी रिकार्ड शायद कांग्रेस पार्टी के राज में ज्यादा होगा जिसमें वर्क चार्ज के रूप में...

श्रीमती कमला : आपके यहां भी बहुत सारा कर रखा है।

श्री सांवर लाल : आप खुद देख लेना, आप राज में हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कितना हुआ, आपके राज में कितना बर्डन हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल यह कह कर कि बजट पर बर्डन पड़ती है, लोगों को रोजगार नहीं दें, 40-40 रुपये का रोजगार हम नहीं दें, जीवन यापन करने के लिये, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। लोक कल्याणकारी सरकार 153 सीट लाकर सबसे पहला इंतजाम उन गरीबों का करने जा रही है।

मैं आपको क्लाज-4 सुना रहा था। "किसी भी लोक सेवा में, किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में किसी भी पद पर दैनिक मजदूरी कर्मचारी के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी।" उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य चलता है, इसमें मस्टर रोल दैनिक मजदूरी का ही मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इश्यू आ चुका है, इसका जवाब आ जाएगा, रिपीट नहीं।

श्री सांवर लाल : सारी बातें बता दीं, माननीय वित्त मंत्री जी मानने को तैयार नहीं हैं। इनकी जो भी मंशा है, पर भावना प्रकट करने का हमारा अधिकार है। किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के प्रति ध्यान आकर्षित करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम यह ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप इस कानून को बना कर बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हो गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ। बेरोजगारों को रोजगार का झांसा देकर आपने सरकार बनाई है। इसलिए कृपया इसको जनमत जानने के लिये भेज दीजिए। आप पहले गये थे तब क्या यह आश्वासन देकर आये थे कि इस प्रकार का कानून बनाएंगे जो लोगों को बिलकुल सड़कछाप बना देगा? मंत्री महोदय, यह हालत रही तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएेगी चाहे नगर पालिकाओं में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में हो। आपका पैसा नहीं लें, अनुदान नहीं लें पर आपने कह दिया कि कोई नहीं कर सकता। वे न टीचर रखे सकेंगे, न चपरासी रख सकेंगे। सरकारी विद्यालयों में सैंकड़ों अध्यापकों के और इनके पद खाली हैं, आज प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा कर अध्यापकों की भर्ती करते हैं, वह भी रुक जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है यह सब जनहित के विरुद्ध है। अपने अधिकारियों को निरंकुश होने से आप नहीं रोक सकते। इस आड़ में जो इस प्रकार का कानून ला रहे हैं यह जनहित के बिलकुल विपरीत है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है इस बात का कि व्यवस्था को सुधारने का जो कानून लाया जा रहा है उसको गलत तरीके से पेशकर जन भावनाओं को उभारने की कोशिश की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक जो उद्देश्यों और कारणों का कथन है, उसको पढना चाहता हूं : —

"यह अनुभव किया गया है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय सुधार न्यासों, नगरीय स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि में नियमों के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना और कभी-कभी तो पदों की स्वीकृति के बिना भी अनेक नियुक्तियां की गयी हैं।"

"प्रारम्भ में ऐसी नियुक्तियां अल्प अवधि के लिए तदर्थ आधार पर की जाती हैं और बाद में जब ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं तब ऐसे अधिकांश कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिये और पुनः स्थापन के लिये भी न्यायालय में पहुंच जाते हैं। ऐसे मामलों में न्यायालयों के निर्णय बहुधा सरकार/नियोजक के विरुद्ध जाते हैं।"

"इन निर्णयों के परिणामस्वरूप ऐसे कर्मचारियों को सेवा में रखने की अपेक्षा की जाती है जिससे न केवल राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है अपितु

(श्री चन्दनमल बैद)

कुशलता और प्रवीणता की कमी के कारण उन कर्मचारियों की दक्षता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसी अनियमित नियुक्तियों से प्रवीण और कुशल व्यक्ति नियुक्तियां प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। ऐसी अनियमित नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति" ... इसमें पिछड़ी जाती नहीं लिखी हुई है..."पिछड़ी जाति एवं महिला आदि के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण से संबंधित उपबंधों की भी अनदेखी की जाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, जब अनियमित नियुक्तियां की जाती हैं अनियमित नियुक्ति करने के बाद कहते हो कि टैम्परेरी थी। लेकिन उनको छोड़ते हैं तो कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाकर नियमित करा लाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे जो अनियमित नियुक्तियां होती हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, महिलाओं का कोई खयाल ही नहीं रखा जाता। और चूंकि हमको उनको नियमित करना पड़ता है इस वास्ते उनका कोटा हम पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में लगभग 73 हजार कर्मचारी गत वर्षों में दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये जिनकी सेवाएं शनैः, शनैः नियमित करनी पड़ीं। इससे करीब तीन सौ करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ रहा है। भार तो वहन करना पड़ ही रहा है लेकिन 73 हजार कर्मचारियों में जो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं का जो कोटा होना चाहिये, वह कोटा भी नहीं है। हम यह चाहते हैं कि नियमित भर्ती हो जिससे कम से कम जो नियम हैं उन नियमों का तो पालन किया जाऐ। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उन लोगों के लिये हम कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जिससे उन पर अंकुश लग सके। यह नहीं कि हम कोई रोजगार पर पाबंदी लगा रहे हैं। अनियमि लोग भर्ती किये जा रहे हैं जिसमें हमारे जो कानून-कायदे हैं, जो हमारे रिजर्ववेशन के नियम हैं उन नियमों की अवहेलना हो रही है। मेरी मनमर्जी हुई, बी.ए. की बात है, मैंने बी.ए. का टीचर रख लिया। साल भर तक उसने काम किया, 6 महीने तक उसने काम किया उसके बाद हमने कहा कि बी.एड. का टीचर आ गया, तुम जाओ। वह जाता नहीं है। कोर्ट में जाता है कि 6 महीने तक मुझे रख लिया, अब मैं कहां जाऊं। उसको नियमित कर दिया, कोर्ट ने नियमित कर दिय। वह रह गया यहां पर तो बी.एड. का एक आदमी जो नौकरी में आ सकता था, वह नहीं आया, बी.ए. का आ गया। तो ये सारी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ठीक करने के लिये हम यह बना रहे हैं। इसमें हम प्रचार करके यह बताना चाहते है कि यह तो काला कानून बन रहा है, इसमें तो चन्दनमल जी बड़े अधिकार ले रहे हैं, बड़े किसान विरोधी हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी है। आप किसान विरोधी क्यों मुझे आप जो भी विरोधी कहना चाहें कह दीजिये। इसका कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इन्होंने तो गणेश जी को दूध पिला दिया था, उपाध्यक्ष महोदय, तो यहां तो अफवाह फैलाने के तो मास्टर हैं ही।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अफवाह फैलाने में तो आप अन्तरराष्ट्रीय स्तर के मानक संस्थान में टैस्टेड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी, प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाएं और पंचायत समितियां जो सब भारतीय जनता पार्टी की हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आए जब बोलना, आपको बुलाएंगे अभी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की हैं इसलिए कानून बनाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बुलवाएंगे अभी, बिराजिये। आपको बोलना ही नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कि प्रमुखों पर, प्रधानों पर अंकुश लगा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना ही नहीं, आप बोलना नहीं चाहते हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हम तो चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बुलाऐंगे अभी, जल्दी क्यों कर रहे हो?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने किसी से दूध छीना नहीं और हम तो अपने सांपों को भी दूध पिलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री चन्दनमल बैद : आवास विकास संस्थान में सात सौ कर्मचारी नियुक्त किये गये अनियमित, संस्थान बंद होने के कारण सात लाख रुपये महीने का भार पड़ गया हमारे ऊपर। राजस्थान विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक अनियमित नियुक्तियां की गयीं। राजस्थान विश्वविद्यालय का केस तो यहां दिन भर डिस्कस हुआ दसवीं विधान सभा में। आज जो डिस्कस करने वाले हैं, जो चार्ज लगाने वाले हैं वही कह रहे थे अनियमित। अनियमित नियुक्तियां राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई और दूसरे संस्थानों के लिए क्या बात है? चिकित्सा विभाग में 196 अनियमित नियुक्तियां की गयीं जिस पर एकाउंटैंट जनरल ने आपत्ति की है। पंचायत समितियों में दो हजार से अधिक हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की संविदा पर नियुक्ति की गयी थी जिनको नियमित करना पड़ा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर क्या पाइंट आफ आर्डर है? Under which rule?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निकालता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : व्हाट रूल? क्या पाइंट आफ आर्डर है? Under which rule you are raising the point-of-order? Please, quote the rule.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : असैम्बली के अन्दर यूनिवर्सिटी की बात की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : Please, quote the rule.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हां, निकाल रहा हूं, यूनिवर्सिटी की बात कही गयी।

श्री उपाध्यक्ष : Please, quote the rule,. Under which rule you are raising the point-of-order ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उसके अन्दर अगर अपन...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह आक्षेप सीधा गवर्नर पर हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट-डाउन, यह कोई पांइट आफ आर्डर नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कि गवर्नर ने अपाइंटमैंट किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You want to speak. You are not raising a point-of-order. You want to speak. Otherwise there is no point. No, please.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मंत्री जी ने अभी कहा है...

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : गलत अपाइंटमैंट्स हुए हैं यूनिवर्सिटी के अन्दर। यूनिवर्सिटी की जब भी यहां चर्चा होती है...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हो या भाषण दे रहे हो?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या निकालें? माननीय मंत्री जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिये। क्या निकालना है, निकालें। निकालें कह रहे हैं आप, क्या निकालें? प्लीज, आप जो कहना चाहते हैं। आप नोटिस दे दीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब सही गलत का आपका फैसला होगा?

श्री चन्दनमल बैद : संस्थाओं द्वारा मनमाने तरीके से सुविधाएं भत्ते, वेतनमान आदि स्वीकृत कर दिये जाते हैं। कोई

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

नगरपालिका चाहे कि हम तो अपने मैम्बर्स को दो सौ रुपये रोज का भत्ता देंगे। अभी नगर-पालिकाओं की तरफ से जो अनियमित भर्तियां की गयी हैं, हमने उनको 23 करोड़ रुपये दिये हैं सहायता के। उसके बावजूद भी आज ही फाइल आयी है मेरे पास में 75 करोड़ रुपये और दे दीजिये क्योंकि उन्होंने अनियमित भर्तियां कर लीं। वे अनियमित भर्तियां उनकी गरदन में लटक गयीं। उनकी गरदन में क्या लटक गयीं, मेरी गरदन में लटक गयीं, राजस्थान सरकार की गरदन में लटक गयीं। बिना वर्क लोड को देखे हुए मनमर्जी से भर्ती कर ली। तो मैं इन सारी चीजों को रैगुलेट करना चाहता हूं। जो आपका बजट है इस बजट में अगर आप केवल इस तरीके से अनियमित लोगों को भर्ती करके सारा खर्चा बढ़ा देंगे तो फिर जिस जनता का वोट लेकर आप आये हैं उस जनता के लिए क्या बचेगा, उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए क्या बचेगा, उनकी सुविधाओं के लिए क्या बचेगा? आज मैं कह रहा हूं कि 73 हजार वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किया है जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तीन सौ करोड़ रुपये सालाना मैं दे रहा हूं, वह किसका दे रहा हूं? मेरी जब से दे रहा हूं क्या? राजस्थान के राजकोष से दे रहा हूं, जनता का पैसा दे रहा हूं। आगे ऐसा काम नहीं हो, आगे इस तरीके से हमारे धन की बरबादी नहीं हो, राजकोष पर इस तरह के बोझ नहीं आवें, इस वजह से यह पाबंदी लगाना चाहता हूं कि भाई, अनियमित तरीके से आप भर्ती नहीं करेंगे जब तक पोस्ट क्रीएट नहीं हो। मनमाने तरीके से पोस्ट क्रीएट नहीं करेंगे। इसके लिए मैं कानून लाया हूं। अब इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूं? ठहरिये, मैं बता रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो आप कानून ला रहे हैं यह रिट्रोस्पैक्टिव है या प्रोस्पैक्टिव है?

डा. करण सिंह यादव : यह रिट्रोस्पेक्टिव भी होना चाहिए। यह पिछले सालों में हुआ है कि राजस्थान विश्वविद्यालय...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I want reply from the minister.

श्री चन्दनमल बैद : आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I want from the minister.

डा. करण सिंह यादव : रोज सदन में उठाते हैं इस बात को। यह कानून अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सभी वर्गों के लिए बहुत कल्याणकारी कानून होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह बता दो कि रिट्रोस्पैक्टिव है या प्रोस्पैक्टिव है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अनुसूचित जाति, जनजाति अब लगा लो चन्दनमल जी बैद साहब के।

श्री चन्दनमल बैद : पुराने जितने भी इररैगुलर अपाइंटमैंट हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : हमेशा एन्टी रिजर्वेशन बात करते हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एन्टी रिजर्वेशन नहीं करता मैं, मैं तो यह कहता हूं, सभी को अब लगा लेना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : बिलकुल सही है। 73 हजार कर्मचारी को वर्कचार्ज आये हैं, जिनको हमको रैगुलेट करना पड़ा है उनमें एस.टी., एस.सी., बैकवर्ड क्लास और महिलाओं का कोटा नहीं हुआ है। बढ़े कैसे? वे 73 हजार तो आ गये, वे 73 हजार तो मनमाने तरीके से हजारों आ गये, वे तो कोर्ट के आदेश से आ गये, आपने 73 हजार वर्कचार्ज कर्मचारियों को। मान लीजिये, मैं अधिकारी था, 25 ले लिये, 30 ले लिये, 40 ले लिये, 50 ले लिये, किसी दूसरे ने और ले लिये, यों करके ये वर्कचार्ज कर्मचारी 73 हजार आ गये। उन 73 हजार कर्मचारियों में न शिड्यूल्ड कास्ट का कोटा है, न शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा है, न बैकवर्ड का है, न महिलाओं का है।

श्री देवीसिंह भाटी : इससे क्या फायदा होगा?

श्री चन्दनमल बैद : इससे फायदा यह होगा कि अनियमित कर्मचारियों को आप भर्ती नहीं कर सकेंगे, पद सृजन नहीं कर सकेंगे और करेंगे तो आप दण्डित होंगे। यह फायदा है। इस फायदे के लिए मैं कानून बना रहा हूं। आप अब कहते हैं फेमिन लेबर तो फेमिन लेबर इससे कवर ही नहीं होती है, कैजुअल लेबर कवर नहीं होती है। मैं कह रहा हूं, कानून नहीं कह रहा है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस विधान सभा में शासन तो कानून से ही चलेगा, चन्दनमल जी, आपके कहने से तो चलेगा नहीं। आपने तो कल ही कहा था कि मैं कह रहा हूं आर्डिनेंस थे तीन ही अधिसूचनाएं जारी करूंगा। फिर आप खुद ही मुकर गये कि पता नहीं बाद में किस तरह के हालात बनें। कानून जो कह रहा है उसकी बात करो। आप पढ़ लो।

श्री चन्दनमल बैद : कानून में नहीं है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पढ़कर सुना रहा हूं, सैक्शन दो, सब-सैक्शन दो—"daily wage employee, means any person who is employed in any public service on the basis of payment of daily wages and includes a person employed, on the basis of nominal muster roll........"

(14.00 बजे)

श्री चन्दनमल बैद : सुनिये, सैक्शन 4 में डेली वेजेज एम्प्लाई लगाने की मनाही है। रिलीफ या इमरजेंसी वर्क के लिये लगाई गई लेबर जाब बेसिस पर होगी और यह एम्प्लाई की परिभाषा में नहीं आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह इसमें कहां लिखा हुआ है?

श्री चन्दनमल बैद : अब आप उसको लाना चाहते हैं जबरदस्ती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, अब आप बता दो, कहां है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह रहा हूं ना, यही है. He is not a government employee. It is job basis.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कानून क्या कहता है ?

श्री उपाध्यक्ष : तो क्लैरीफाई हो गया ना।

श्री चन्दनमल बैद : जाब बेसिस के लिये नहीं है यह क़ानून।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो काहे के लिये है ?

श्री चन्दनमल बैद : कांट्रैक्ट लेबर के लिये नहीं है, जाब बेसिस के लिये नहीं है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको ये कोई तैयारी नहीं करवाते। फाइनेंस डिपार्टमैंट (व्यवधान) इसके बाद कहना, यह बताते नहीं है आपको।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, मैं तैयारी नहीं करता हूं। " 'Daily wage employee' means any person who is employed in any public service....." जो आपका फेमिन लेबर है, वह पब्लिक सर्विस में नहीं है। He is for relief works.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपको इन्टरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फेमिन का लेबर, पब्लिक सर्विस की परिभाषा में नहीं आता हो तो मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा। पब्लिक सर्विस है किसके लिये ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, नहीं है। अब आप जबरदस्ती जिद् करेंगे तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कानून की किताब जो कहती है, वह मैंने निवेदन किया है। बाकी तो आप कहते हो वह बात सही है। अब तो राज में हो, इसलिये आपकी बात माननी पड़ेगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : असेंशल सर्विस को आप एग्जम्प्ट करने के लिये...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, वह नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : यह एग्जम्प्ट करने का सवाल नहीं है। (व्यवधान) डेली बेजेज का लेबर पब्लिक सर्विस की तारीफ में नहीं आता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्यों नहीं आता है ? यह देखिये।

श्री चन्दनमल बैद : यह कार्य राज के लिये नहीं, राज की आवश्यकता के लिये होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पब्लिक सर्विस का मतलब यह है...

श्री चन्दनमल बैद : " 'Public service' means services in any office or establishment of,—

(a) the State Government;

(b) a local authority;

(c) a Government Company or undertaking wholly owned or controlled by the State Government;

(श्री चन्दनमल बैद)

(b) a body established under any law made by the Legislature of the State whether incorporated or not, including a University; and

(e) any other body established by the State Government or a society registered under any law relating to the registration of societies for the time being in force and receiving funds from the State Government either fully or partly for its maintenance, or any educational institution whether registered or not but receiving aid from the State Government." इसमें कहां है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो यह अकाल राहत स्टेट गवर्नमैंट में नहीं आता क्या?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं आता है। राहत क्या है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, वह राहत कार्य है। यह राहत का कार्य कहलाता है जिसको राहत पहुंचा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सदस्य, राहत कार्य कौन करवाता है? स्टेट गवर्नमैंट में नहीं आता? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राहत कार्य कोई कम्पनी चला रही है या प्राइवेट आदमी चला रहा है? सरकार चला रही हैं ना? तो सरकार के मस्टर रोल पर आपने सैक्शन 2 के 2 में कह दिया... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, हम राहत दे रहे हैं, एक मजदूर को, एक व्यक्ति को, एक परिवार को, वह इसमें कवर नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, राहत कार्य कौन चलाता है? राहत कार्य चलाती है.(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : राहत कार्य इसमें कवर नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन सुनिये, राहत कार्य चलाती है सरकार पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सरकार चलाती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ग्राम पंचायतों को आपने कवर कर रखा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां चलाती है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वापस आदर्श किशोर से पूछो, या उनको बुला लो, वे ही जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : राहत दे रहे हैं अकाल से पीड़ित व्यक्ति को, एक परिवार को राहत दे रहे हैं। वह राहत कार्य इस एक्ट के तहत नहीं आता है। वह कवर नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : किस हेड से पेमेन्ट होगा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने पहले लोकल आथोरिटीज को डिफाइन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने यह कह दिया कि इसमें इन्क्लूड नहीं होता है तो फिर it has come in the proceedings. प्रोसीडिंग में आ गया ना। आर्डर-आर्डर।

श्री अमराराम (धोद) : कहने से नहीं चलेगा। एक्ट में जब प्रोविजन कर दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : आप प्रोविजन कर रहे हैं फिर यहां विधान सभा में खड़े होकर कहने से क्या होगा? (व्यवधान) एक्ट में जो प्रोविजन है.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह क्या कह रहे हैं, यह किताब क्या कह रही है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, एक मिनट, आप बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : कानून की बात तो सर्वोच्च होती है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मंत्रीजी, आप पहले इसका जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकिण्ड, साहब.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप इसमें यह शब्द इन्सर्ट कर सकते हैं this will not be included for famine labours.

श्री चन्दनमल बैद : कर देंगे, कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बात खत्म हो गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, अब यह सिद्ध हो जाएगा। (व्यवधान) संशोधन मूव कर दो, साहब पहले।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, कर दो ना।

श्री उपाध्यक्ष : कर देंगे तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ड्रा कर लेते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, कर देंगे, इंतजार कीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी कई स्टेज हैं, इसमें।

श्रीमती कमला : परिभाषा के अन्दर इसको जोड़ देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कर देंगे, इसमें क्या बात है? बात हो गयी खत्म, आपका परपज साल्व हो गया ना। 'Your purpose is served.

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अपनी गलती को तो मानिये।

श्री उपाध्यक्ष : गलती क्या होती है इसमें, प्लीज सिट डाउन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : That way you are solving our problem.

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना की कद्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, गलती।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, बिलकुल ठीक है, प्राब्लम साल्व कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है। जो भी इमरजेंसी...

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल निश्चित हूं इस बात पर कि यह कानून फेमिन लेबर, कैजुअल लेबर को परव्यू नहीं करता है। मगर अगर इनको जिद्द है तो मैं जोड़ दूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बस खत्म हुई बात।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : It is only for example. अकाल राहत के काम हैं, ऐसे और इमरजैंट काम हैं उन सबको जोड़ देंगे तो ठीक है। आप यह निकाल दीजिए कि ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज में इमरजेंट काम करेंगे उन पर लागू नहीं होगा। Then the purpose will will be served.

श्री उपाध्यक्ष : निकाल दिया ना उन्होंने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अकाल राहत तो एक उदाहरण है। अब यह नहीं कहा, सबके लिये कह दो, एग्रीड।

श्री उपाध्यक्ष : एग्री कर दिया ना।

श्रीमती कमला : फेमिन लेबर एण्ड कैजुअल लेबर (व्यवधान) भी लिख ली इसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां तो करवाएं ना यह।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उनमें मस्टर रोल से काम करती हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। आप चाहेंगे कि सब डिलीट हो जाए, यह तो सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, नहीं, डिलीट नहीं करें, लेकिन...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो बात वाजिब थी, मंत्रीजी ने आपका यह सुझाव मान लिया।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आसन को थोड़ा लिबरल होना चाहिए। डेढ़ महीने का सत्र चलता है, सिर्फ 2 दिन ही तो कानून के बारे में चर्चा होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात मान ली ना, आपका सुझाव भी मान लिया, इससे ज्यादा क्या कहते हैं आप?

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य काम है विधान सभा का यह कानून बनाने का और संशोधन करने का। (व्यवधान) एक खुला डिस्कशन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister has accepted your suggestion, what more do you want?

श्री देवीसिंह भाटी : हम भी समझें, वे भी समझें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो समझ गये ना। समझ गये आपकी बात को।

श्रीमती कमला : कैजुअल लेबर में सब इन्क्लूड हो जाता है, कोई भी नही रहता जिसको आप एंटीसिपेट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : He has accepted your suggestion.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक रास्ता हो सकता है। हमने इसमें अमैंडमेंट दिया है इसी भावना से, वह आप स्वीकार कर लीजिए तो दोनों परपज हल हो जाएंगे।

श्रीमती कमला : खुद ही ला रहे हैं, सरकार खुद ही ला रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक ही बात है, आप ला दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार ला रही है ना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप ला दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले भी किया है। (व्यवधान) पंचायत एक्ट में हम जब प्रतिपक्ष में थे, हमने अमैंडमेंट पेश किये थे। वे स्वीकार किये गये तथा सरकार की तरफ से अमैंडमैंट पेश कर दिये गये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप ला दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ले आएंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार खुले दिल-दिमाग से सोच रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I am making is easier. आलरेडी संशोधन हैं, आप फरदर दे दीजिए। हमें कुछ नहीं है, We will withdraw it. आप ले आइये।

श्रीमती कमला : तैयार कर रहे हैं, हाउस के सामने रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अभी तो क्लॉज बाई क्लॉज आएगा। अभी तो फर्स्ट स्टेज है, सैकिण्ड स्टेज आएगी तब रख लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह विवाद का विषय ही नहीं है ना।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो क्लॉज-बाई-क्लाज डिस्कशन होगा। We are honouring your suggestion.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, साहब, कृपा है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : हम भी प्रदेश के हैं, आप ही थोड़े प्रदेश के हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने ठीक समय पर डाइरेक्शन दिया, अच्छी सलाह दी।

श्री चन्दनमल बैद : जो एगजिस्टिंग हैं उनके लिये मैंने पहले ही कह दिया कि रिव्यू कमेटीज बनेंगी, वह रिव्यू होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, कोई एम्प्लायमैंट पर पाबन्दी के लिये नहीं है। इसलिए है कि गैर कानूनी पोस्टें क्रीएट न हों, और अवांछित भर्ती न हो। हमारे जो कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं

(श्री चन्दनमल बैद)

शिड्यूल्ड कास्ट के लिये, शिड्यूल्ड ट्राइब के लिये, ओ.बी.सी. के लिये, महिलाओं के लिये, कहीं उनका उल्लंघन न हो जाए, इस वास्ते इस कानून को लाये हैं। अब आप यह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिये आपने वाइस-चांसलर, चांसलर साहब की बे-इज्जती कर दी। मैंने कहा कर दी? नहीं हुई है क्या वहां पर? यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है भर्ती?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जांच कर लो।

श्री चन्दनमल बैद : क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बात को (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : वे भर्तियां आज भी हो रही हैं, आज की तारीख में भी हो रही हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब भी होती हैं।

श्री चन्दनमल बैद : वे कह रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं कि आप भी हो रही हैं।

श्री चन्दनमल बैद : वह इसलिये हो रही हैं कि कानून आने के बाद, प्रतिबन्ध होगा। इससे। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कानून तो पहले से बने हुए हैं, सिर्फ कानून की पालना नहीं हो रही है। वह भी कानून था और यह भी नया कानून बनेगा, अगर इसमें संशोधन होगा। जब इसकी भी पालना हो तब है। पूर्व वालों की ही पालना हो जाती तो कोई भर्ती कर सकता था? किसी की हिम्मत नहीं होती। जो आलरेडी नियम बने हुए हैं उसकी पालना किसने नहीं की, उसको आप कटघरे में खड़ा करें। नये नियम की जरूरत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : देखिये, माननीय सदस्य, आप मंत्री रहे हुए हैं, आप जानते हैं कि आप जवाब तलब करेंगे, उसका जबाव आएगा, उससे आप एक्सप्लेनेशन मागेंगे। मान लीजिए उस पर केस करेंगे, वह प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि उसका असर नहीं होने वाला है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब तो आप हो ना पावर में।

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन मैं कहता हूं कि कानून बनाने से कम से कम इन चीजों पर रोक लगेगी। आप एक इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट के मिनिस्टर रहे हुए हैं, आपको मालूम है इस बात का। दूसरे जो मिनिस्टर रहे हुए हैं, जितने भी मेरे पास मिनिस्टर बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट के, सब इस बात को कहते हैं और आज (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपकी बात से सहमत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी वही है कि वही प्रक्रिया फिर अपनानी पड़ेगी। जो इन नियमों की अवहेलना करेगा, उसे फिर वही नोटिस जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन। उसमें क्या करोगे? फांसी चढ़ा दोगे? कोई फांसी चढ़े नहीं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, एक पैनल क्लाज है। उस पेनल क्लाज के कारण ज्यादा असरदार होगा, इस वास्ते यह कानून लाये हैं। हमको कोई शौक नहीं है, लेकिन राजकोष पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है, अनावश्यक भर्ती हो रही है। हमको चाहिए अच्छा आदमी, उससे तीन दर्जे का नीचे आदमी हमको मिल रहा है। चाहिए हमको एक सर्टेन तरीके से, उस तरीके से नहीं मिलकर एक ही तरीके से लोग मिल रहे हैं। इसको रोकने के लिए यह कानून बना है और मैं समझता हूं कि यह जायज कानून है। अगर इसके किसी क्लाज में आप यह समझते हैं कि यह थोड़ा साफ नहीं है तो इसको हम साफ कर सकते हैं। इसमें क्या बात है? आप आपस में बैठकर के बात करें, भ्रम फैलाने की बात नहीं करके सही बात करें तो मैं तैयार हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे क्या दिक्कत है इस बात की? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसको आप...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियें का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड—2, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई यूनिट है तो काम्पीटैंट आथोरिटी बनायी है, आपने कि वे ही इन सब बातों को देखेंगे। उनकी परमिशन से भर्ती होगी और कोई गलती हुई तो वे इसको ठीक करेंगे। मेरा इसमें संशोधन है। आपने एक काम्पीटैंट आथोरिटी को तो तय कर दिया पर काम्पीटैंट औथोरिटी में किस स्तर के अधिकारी होंगे, यह आपने इसमें कहीं लिखा नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इतने बड़े काम को करने के लिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के संगठनों पर भी, चुने हुए

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लोगों पर भी ये अंकुश रखेंगे, उनके कार्य की समीक्षा करेंगे, बहुत बड़े स्तर के व्यक्ति इसमें रहने चाहिये। इसमें इसलिए मैंने कहा है कि उप खण्ड के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा जाए : —

"सक्षम अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रृंखला प्राप्त अधिकारी से नीचे की वेतन श्रृंखला पाने वाला अधिकारी नहीं होगा।" इससे नीचे का व्यक्ति नहीं किया जाए, यह मेरा संशोधन है इसमें। आप किसी को तो बनाएंगे ही, तो मेरा सुझाव यह है कि इसमें आई.ए.एस. या आर.ए.एस. बड़ी श्रृंखला के, सीनियर स्केल के लगाने चाहिए ताकि वे इन सब बातों को ठीक से देख सकें। अगर आपने कोई छोटे स्तर के लोगों को लगाया तो यह ठीक नहीं रहेगा इसलिए मेरा यह छोटा-सा सुझाव है। आप कोई आथोरिटी तो बनाएंगे ही, उसमें जिसकी नियुक्ति करें, वे सीनियर स्केल के आर.ए.एस. अधिकारी से नीचे के नहीं हों, आई.ए.एस. अधिकारी उसमें नियुक्त करें। यह छोटा-सा सुझाव है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम (पचपदरा) : That's all.

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उस संशोधन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इस अधिनियम में आपने कभी कहा था कि हमने कोई नौकरी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, पर यह जिस दिन पारित हो जाएगा, उसके पश्चात् पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी भी दैनिक वेतनभोगी को कैजुअल लेबर को किसी को भी नौकरी पर नहीं रख सकेगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि सब जगह असामान्य परिस्थिति पैदा हो जाती है, कहीं कोई बाढ़ आ गयी, उस समय कोई व्यवस्था हो जाए। खण्ड-2 के अन्दर हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उस खण्ड में आप वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को काम्पीटैंट आथोरिटी तय करें, ताकि वे सारे के सारे जिलों पर जहां आवश्यकता पड़े, वहां तत्काल उनको स्वीकृति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह केवल सरकारी सेवाओं के लिए नहीं है, यह यूनिवर्सिटी में भी है। दूसरे बोर्डस जहां आपके इलैक्टेड मैम्बर्स भी हो सकते हैं, हाउसिंग बोर्ड में भी हो सकता है। यह काम्पीटैंट आथोरिटी दूसरी जगह भी होगी तो केवल यह कहना कि सब जगह आई.ए.एस. आफिसर लगा दें, जरूरी नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले सदस्य सम्माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब ने बताया कि काम्पीटैंट

(श्री हीरासिंह चौहान)

आथोरिटी में या तो आई.ए.एस. अधिकारी हो या सीनियर आर.ए.एस. अधिकारी हो और माननीय वित्त मंत्रीजी बता रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग प्रकार की आथोरिटी हम लगा नहीं सकते। इसको हम सही मान सकते हैं लेकिन प्रश्न यहां पर बहुत गम्भीर है। सैक्शन चार में काम्पीटैंट आथोरिटी के अनुसार सारी स्वीकृतियां दी जाएंगी, जब भी वेकेंसीज होंगी। काम्पीटैंट आथोरिटी जैसा डिफाइन किया गया है, उसके बारे में हमारा निवेदन है, कि आया हर विभाग की अलग-अलग काम्पीटैंट आथोरिटी होगी या डाइरेक्टर होगा या शासन सचिव जो प्रमुख होता है, वह होगा? जब तक व्यवस्था आप नहीं कर सकेंगे तब तक राज्य में अलग-अलग डिपार्टमैंट बहुत सारे हैं और अलग-अलग निकाय भी हैं, तो आपको काम्पीटैंट आथोरिटी के बारे में बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा कि who will be the competent authority? हां, जी, अलग-अलग डिपार्टमैंट की जो होती है। जब तक यह व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तब तक यह जो आप कानून ला रहे हैं, सुसंगत नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि काम्पीटैंट आथोरिटी के बारे में जब बोलें तो स्पष्ट कीजिए कि काम्पीटैंट आथोरिटी, जो आपने डेफिनेशन में दिया है, वह किस स्तर की होगी। सभी जगह काम्पीटैंट आथोरिटी है काम्पीटैंट आथोरिटी एम्प्लायमैंट में भी है, काम्पीटैंट आथोरिटी जो वेकेंट पोस्ट होंगी उसमें लगाने के लिए भी होगी, सभी व्यवस्थाओं के लिए आपने एक काम्पीटैंट आथोरिटी शब्द का वर्णन किया है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि काम्पीटैंट आथोरिटी के बारे में जो शंकाएं पैदा हो रही हैं, उन शंकाओं को आप रिमूव करें और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं कि काम्पीटैंट आथोरिटी कैसी होगी। सरकारी सेवा में आप जो भी प्रतिबन्ध लगाना चाहें लगाइये, हमें कोई रोक नहीं है। आपने तो रिव्यू कमेटी भी बनायी है, पहले वाले में भी वापस जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेरा निवेदन है कि काम्पीटैंट आथोरिटी के बारे में बिलकुल स्पष्ट कीजिए ताकि हमारी शंकाएं दूर हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य आदरणीय भंवरलालजी ने प्रस्ताव रखा है कि आई.ए.एस. या आर.ए.एस. ही सक्षम अधिकारी होना चाहिए। अभी माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि सब जगह सम्भव नहीं है कि आई.ए.एस., आर.ए.एस. सक्षम अधिकारी हम लगा सकें, विभाग अलग-अलग तरह के हैं। जिस तरह नगरपालिका और पंचायत समिति होती है, नगरपालिका में एक्जीक्यूटिव आफिसर होता है, पंचायत समिति में बी.डी.ओ. होता है। इस तरह के अधिकारी को आपने बिलकुल इस कानून में क्लीयर नहीं किया है। जब तक आप क्लीयर नहीं करेंगे तब तक इस स्थिति का खुलासा नहीं होगा कि कौन सक्षम अधिकारी होगा जो अस्थाई नियुक्तियां देगा। मेरा तो इसमें यह निवेदन है कि सक्षम अधिकारी कोई भी हो

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

लेकिन उसके साथ नगरपालिका और पंचायत समितियों में जन-प्रतिनिधि भी बैठे हैं, चाहे वह नगरपालिका का चेयरमैन हो, चाहे पंचायत समिति का प्रधान हो, चाहे जिला-परिषद का जिला प्रमुख हो। जैसे मैं जिला प्रमुख था पहले। जिला परिषद में जिला प्रमुख को मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रखने का अधिकार मिला हुआ था, वह सरकार ने खतम कर दिया। डीईसी. के माध्यम से रखता था उसमें भी सीनियर आर.ए.एस. आफिसर होता था। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार करके, अलग-अलग विभाग वाइज करें। या मंत्रीजी इस बात को बता दें कि कौन सक्षम अधिकारी होगा। वरना हम तो यही मानेंगे कि आप यह जो कानून ला रहे हैं यह इसलिए क्योंकि राजस्थान में अधिकतर नगरपालिकाएं, पंचायत समितियों जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वे इस तरह की अस्थाई नियुक्तियां नहीं कर सकें या जो उन्होंने नियुक्तियां कर दीं उनको हम हटा सकें। इसलिए आप राजनीतिक भेदभाव के आधार पर यह कानून ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम्पीटैन्ट आथारिटी में कोई अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये, इस संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है उसके पीछे भावना यह है कि काम्पीटैन्ट आथोरिटी के जो फंक्शंस हैं, धारा 4(2) के अंदर—

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा आप माइक पर आ जाइये।

श्री रामनारायण विश्नोई : धारा 4(2) के अंदर अगर कोई अर्जेन्ट टैम्परेरी अपाइंटमैंट भी उतना होगा, चाहे कितनी आवश्यकता हो तो भी उसमें काम्पीटैंट आथोरिटी की परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से प्रोहिबिशन आन क्रीएशन आफ पोस्ट विदाउट परमिशन आफ काम्पीटैंट आथोरिटी सैक्शन पांच के अन्तर्गत और प्रोहिबिशन आफ रिवीजन आफ केस, सैक्शन–6 के अन्तर्गत भी काम्पीटैंट आथोरिटी को अधिकार दिये गये हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं इस संबंध में आपका ध्यान सैक्शन-12 की तरफ दिलाना चाहूंगा जहां पर आपने रिव्यू कमेटी का फोरमेशन किया है। "After the date of commencement of this Act, the State Government may consititute a Reveiew Committee with an officer not below the rank of a Secretary to the Government as the Chairperson and such number of members of such rank as it may deem fit to review." यहां पर आपने सैक्रेटरी को, चेयरमैन बनाने की बात की, 'not below the rank of a Secretary,' आपने यहां पर ठीक उपयोग किया है कि सैक्रेटरी से नीचे का नहीं होना चाहिये। और सैक्रेटरी का भी एक्सप्लेनेशन आपने कर दिया For the purpose of this section, Secretary to the Government includes a Principal

(श्री रामनारायण विश्नोई)

Secretary or Special Secretary to the Government. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी का ध्यान सैक्शन-15 पैनल्टीज की ओर दिलाना चाहूंगा। काम्पीटैंट आथोरिटी को जो पैनल अधिकार आपने दिये हैं उसके अंदर है कि : "Where any holder of an elective office or any Officer or functionary or other authority makes any appointments in contravention of the provisions of this Act, in the case of the holder of an elective office, it shall be deemed that he has abused his position or power and accordingly, the competent authority, shall initiate proceedings for his removal." अगर किसी पंचायत में सरपंच ने थोड़ी-सी गलती कर दी तो काम्पीटैंट आथोरिटी को उसे रिमूव करने के लिये आथोराइज किया गया है। आज का जो राजस्थान पंचायत एक्ट है उसके मुताबिक सरपंच को रिमूव करने में State Government is only the competent authority, अगर कोई मिसकंडक्ट सरपंच का होता है तो इन सब धाराओं का ध्यान रखते हुए, माननीय वित्त मंत्रीजी, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, काम्पीटैंट आथोरिटी के अंदर कोई न कोई उच्च अधिकारी, हम नहीं कह रहे कि आई.ए.एस. अधिकारी ही होना चाहिये, परन्तु कम से कम अनुभवी अधिकारी, प्रशासनिक सेवा का उच्च वेतन श्रृंखला का हो। पब्लिक सरवेंट को आपने डिफाइन किया है जिसके अंदर सारी इंस्टीट्यूशंस आ गयी हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर आपकी जो मंशा है इस एक्ट को लागू करने की वह उसमें निम्न स्तर के अधिकारी के लगाने से जो कि अपने कर्तव्य का पालन न करें पूरी नहीं हो। जिस प्रकार से हमारे पहले के अनुभव रहे हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर अनियमितताएं और अनुभवहीन व्यक्तियों को काम्पीटैंट अधिकारी लगाने की वजह से फिर किसी समस्या का समाधान करने के लिये दिक्कतें नहीं हों। इसलिए हमारा यह निवेदन है कि आप काम्पीटैंट आथोरिटी के अंदर यह कर दें कि competent authority shall not be below the rank of such and such officer of an R.A.S. Officer or any other senior officer.

(14.20 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, बहुत-से कानूनों और नियमों में काम्पीटैंट आथोरिटी का जिक्र है, उन्हीं को काम्पीटैंट आथोरिटी माना जाएगा। जिला परिषद् में जिला प्रमुख, वह टीचर का अपाइंटमैंट करने के लिये काम्पीटैंट आथोरिटी है।

श्री रामनारायण विश्नोई : वह अमैंडमैंड आपको इसमें लाना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मेरी बात सुनिये। अलग-अलग विभागों में अलग-अलग नियम हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिये, माननीय सदस्य। बीच में नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उसके लिये कमेटी बना रखी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। आप बोल चुके हैं। मंत्री महोदय जवाब दें रहे हैं, प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : मैं उदाहरण के लिये कह रहा हूं, मान लीजिये कहीं पर जन प्रतिनिधि काम्पीटैंट आथोरिटी है तो उस काम्पीटैंट आथोरिटी से पूछकर ही पद का सृजन किया जाएगा। उसको पूछकर ही, उसके आदेश से ही भर्ती की जाएगी। तो यह कहना कि हर जगह आई.ए.एस. आफिसर हो या आर.ए.एस. आफिसर हो, यह ठीक नहीं होगा। इस वास्ते जहां जिस कानून में, जिस नियम में जो काम्पीटैंट आथोरिटी है, उसको तो हम मानेंगे और किसी जगह अगर काम्पीटैंट आथोरिटी का कोई जिक्र नहीं है तो नियरैस्ट पासीबल, जो रेस्पांसिबल आफिसर होगा, रेस्पांसिबल आदमी होगा, उसको हम काम्पीटैंट आथोरिटी नियुक्त करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ..(व्यवधान) काम्पीटैंट आथोरिटी है उसी की ही भर्ती करनी है तो किससे पूछेगा? वह खुद ही है तो क्या करेगा?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं-नहीं, वह क्यों पूछेगा? काम्पीटैंट आथोरिटी है, उससे पूछकर भर्ती की जाएगी, उसके कहने से भर्ती की जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : या कोई उसने गलत भर्ती कर ली तो कौन एक्शन लेगा? मान लीजिये अगर उसी ने गलती की है तो फिर कौनसी काम्पीटैंट आथोरिटी रहेगी?

श्री चन्दनमल बैद : पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगर गलत भर्ती कर ली तो क्यों एक्शन लेगा? यह क्या..(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काम्पीटैंट आथोरिटी कौन रहेगा?

श्री चन्दनमल बैद : काम्पीटैंट आथोरिटी जिला परिषद है, जिला प्रमुख है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काम्पीटैंट आथोरिटी वही है या कोइ..(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : कोई कम्पनी है तो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर है काम्पीटैंट आथोरिटी। कोई कम्पनी है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। मान लीजिये कहीं चीफ इंजीनियर काम्पीटैंट आथोरिटी है, कहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम्पीटैंट आथोरिटी है, कहीं सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर काम्पीटैंट आथोरिटी है। जहां काम्पीटैंट आथोरिटी है, जो नियमों में बने हुए हैं, एक्ट में बने हुए हैं उनके अनुसार वह भर्ती होगी। उनके अलावा, उनकी इजाजत के बगैर जो भर्ती होगी, वह इररैगुलर मानी जाएगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपने जिला प्रमुख की बात कही, जिला प्रमुख स्वयं अकेला किसी की भर्ती कर सकता है क्या? जिला परिषद का जिला प्रमुख स्वयं भर्ती कर सकता है क्या किसी की?

श्री चन्दनमल बैद : अगर वह काम्पीटैंट है तो भर्ती कर सकता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नहीं, काम्पीटैंट भी है लेकिन आपने इस बात की व्यवस्था कर रखी है.(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मैं तो यह कह रहा हूं कि क़ानून के अनुसार, नियमों के अनुसार जो काम्पीटैंट आथोरिटी है उस काम्पीटैंट आथोरिटी की इजाजत से ही वह भर्ती की जा सकती है। इसमें सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं, सरकारी अधिकारी के अलावा जन-प्रतिनिधि भी हो सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, अभी आपने राजस्थान विश्वविद्यालय का जिक्र किया और आपने यह भी कहा कि तत्कालीन कुलपति, जो काम्पीटैंट आथोरिटी थे, उन्होंने अनियमित नियुक्तियां दे दीं। अब इस कानून की मंशा समाप्त हो जाएगी, वित्त मंत्रीजी, अगर जिन लोगों ने आज तक अमियमित भर्तियां की हैं, उन्हीं के हाथ में वापिस वही ताकत दे देंगे। आपने 76,000 वर्क चार्ज एम्प्लाइज की बात की जिनका भार राज्य सरकार पर पड़ता है। आप उठाकर देख लें हरेक के नियुक्ति पत्र पर जो काम्पीटैंट आदमी उस वक्त था, उसके हस्ताक्षर हैं। फिर इस कानून का कोई मकसद नहीं रहेगा। इसलिए आप अलग से काम्पीटैंट आथोरिटी डिफाइन करवाओ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा.(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि खण्ड-2 में मेरा एक संशोधन आ रहा है।

श्री सभापति : आ रहा है?

श्री चन्दनमल बैद : हां, आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा ही आ रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी इच्छा के मुताबिक खण्ड-2 में मैं एक संशोधन दे रहा हूं।

श्री सभापति : जब तक मंत्री महोदय का सरकारी संशोधन नहीं आ जाता, तब तक क्लाज-2 को हम डैफर करते हैं।

खण्ड-3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 को स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, अभी चर्चा हो रही थी कि कोई आवश्यक सेवाएं या आवश्यक काम खड़ा हो जाए तो उस समय क्या स्थिति बनेगी? इसके लिये माननीय मुख्य सचेतक भी कह रहे थे और मंत्री महोदय ने भी कहा था कि वे स्वयं ऐसी परिस्थिति में समाधान निकालने के लिये कोई न कोई अमैंडमैंट ला रहे हैं। मैंने जो अमैंडमैंट प्रस्तुत किया है वह मैं पढ़कर आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा है खण्ड-4 में, साहब, "परन्तु

(श्री भंवरलाल शर्मा)

शर्त यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब लोक सेवा में आवश्यक अस्थायी नियुक्ति करना जनहित व संस्था हित में आवश्यक हो जाए तो ऐसी नियुक्ति तीन माह की अवधि के लिये की जा सकेगी। ऐसी नियुक्ति की अवधि तीन माह के बाद सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं बढ़ायी जा सकेगी।" यह है मेरा संशोधन इसमें। आपातकालीन सेवाओं के समय या ऐसी परिस्थितियों के समय इसका उपयोग हो जाएगा। उसकी सेवाएं तीन महीने तक रहेंगी, उसके बाद अपने आप खतम हो जाएंगी, अगर काम्पीटेंट अथोरिटी स्वीकृति दे देता है तो आगे बढ़ जाएंगी ताकि आने वाली समस्या का समाधान हो सके।

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय जो ला रहे हैं, वह पर्याप्त है। आप वाला उचित नहीं है।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी। वह दो को डैफर कर (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, चार में ला रहे हैं?

श्री सभापति : चार में ला रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चार में भी जा रहे हैं, दो में भी जा रहे हैं?

श्री सभापति : चार में आप भी ला रहे हैं?

श्री चन्दन मल बैद : चार में मेरा नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, कमला जी कह रही हैं कि ला रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, कमला जी दो के लिये कह रही हैं, खण्ड-2 में आ रहा है। श्री अमराराम चौधरी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्लीयर करें चार में भी ला रहे हैं क्या?

श्री सभापति : नो, नो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : They have said it. पहले कहा है उन्होंने।नहीं क्या? (व्यवधान) चार के लिए भी कहा था कि हम उसमें भी लाएंगे।

श्रीमती कमला : चार की चर्चा हो रही है?

श्री के.सी. चौधरी : दो कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ले आओ तो ले आओ, नहीं लाओ तो मत लाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चार के लिए कहा तो था।

श्री सभापति : अपनी तरफ से विचार कर रहे हैं। (व्यवधान) विचार कर रहे हैं। सरकार ला रही होगी तो फिर इसको डैफर कर देंगे।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपने विचार रखे कि कम से कम तत्काल जिनकी नियुक्ति करनी है, तो इसकी स्वीकृति लेने के लिए काम्पीटेंट आथोरिटी से कम से कम 6 माह या तीन माह की अवधि तो होनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अभी वित मंत्रीजी कह रहे थे कि उनकी मंशा रोजगार को, जितने भी पद सृजित हैं उनको रोकने की नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सैक्शन चार यह कहता है—"Prohibition of daily wage appointments and regulation of temporary appointments :

The appointment of any person in any public service to any post, in any class, category or grade as a daily wage employee shall be prohibited." सभापति महोदय, डेली वेजेज पर एम्प्लाइज कौन हैं? इसकी परिभाषा सैक्शन-दो के सब क्लाज दो में दी गयी है "Daily wage employee means any person who is employed in any public service on the basis of payment of daily wages and includes a person employed on the basis of nominal muster roll." तो मेरा निवेदन यह था कि अगर यह कानून, वित्त मंत्रीजी, यों का यों पास हो गया और इसमें जिस संशोधन की बात स्वीकार की थी वह संशोधन आप लेकर नहीं आएंगे तो अकाल राहत में जो मस्टर रोल पर कर्मचारी रखते हैं, कानून के अन्तर्गत नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप वह संशोधन ले आएं तो ठीक है।

श्री चन्दन मल बैद : कर रहा हूं मैं, ला रहा हूं अमैंडमैंट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है। अकाल राहत काम में मस्टर रोल आने वाले सारे कर्मचारी इस परव्यू से बाहर रहेंगे, यह संशोधन-ला रहे हैं इसके लिए तो आप का स्वागत है। चार में ही लाएंगे। दूसरा, आपके इस कानून की मंशा यह है कि इस कानून के पारित होने के बाद पब्लिक सर्विस के अन्दर किसी पोस्ट पर, किसी कैटेगरी में कोई भी एमलाय नहीं होगा। एक तो आपने आर.पी.एस.सी. बना रखी है जो एक ग्रेड से लेकर कुछ ऊपर तक भर्ती करती है और बाकी अलग-अलग भर्तियों की समितियां, विभाग समितियां भर्ती करती हैं। आप कोई ऐसी नौकरी बता दो जिसके अन्दर शुरू में टैम्परेरी बेसिस पर नहीं रखा जाता हो। कोई ऐसी नौकरी बता दो। अगर इस तरह से ही यह क्लाज निकल गया, तो इसमें भी आपको संशोधन लाना चाहिए कि जो रिक्त पद हैं, जो सृजित पद हैं उनमें टैम्परेरी तौर पर नियुक्ति की जा सकती है।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय Prohibition of daily wage appointments and regulation of temporary appointments, जैसा हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने कहा, आकस्मिक घटनाओं के समय लोगों की सेवाएं लेने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि किसी भी काम्पीटैंट अथोरिटी द्वारा जब तक परमिशन नहीं मिलती है तब तक किसी जगह किसी प्रकार की व्यवस्था करना या किसी काम पर किन्हीं को लगाना बहुत आवश्यक है,

(श्री हीरासिंह चौहान)

उसको रोका नहीं जा सकता। कांट्रैक्ट बेसिस का आप इसमें कीजिये कि कांट्रैक्ट बेसिस पर लगाये जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपका कॉज फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जिस मंशा से आप इस एक्ट को लाये हैं, लेकिन जब तक आप इसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं डालेंगे तब तक जो आप उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं उस उद्देश्य को भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सैक्शंस के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था किया जाना बहुत जरूरी है। अन्यथा होगा क्या? सारे काम रुक जाएंगे। सरकार हुकुम देगी अमुक काम को करो, अधिकारी कहेगा मुझे तो कोई इस प्रकार की पावर नहीं है, जब तक कांम्पीटैंट अथोरिटी मुझे इजाजत नहीं देगी तब तक मैं इस काम को कर नहीं सकता। इस प्रकार की अव्यवस्थाएं आपको सहन करनी पड़ेंगी, हम सब को सहन करनी पड़ेंगी। बड़ी गलत व्यवस्था हो जाऐगी। इसीलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि इसमें आप कुछ व्यवस्थाएं करें जिनके कारण से ये अव्यवस्थाएं नहीं हो। एकदम बाढ़ आ गयी, बाढ़ में एकदम आदमियों को लगाना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है या किसी प्रकार की बीमारी फैल गयी तो काम्पीटैंट अथोरिटी कब तो आर्डर देगी? माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ-पैर बंध गये सारे अधिकारियों के आपके इस एक्ट के आने के बाद में। इसीलिए हम बोल रहे हैं, आपको सावचेत कर रहे हैं कि इस बिल को देखिये आप। जिस प्रकार का आप बिल लाये हैं उस बिल के अनुसर कोई भी आदमी कभी भी कोई काम नहीं कर सकेगा इसलिए इसमें यह व्यवस्था कर दीजिये।

श्री सभापति : श्री श्रीचन्द्र कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, मुझ से पूर्व चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और पूर्व में भी सदस्यों ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में हम क्या व्यवस्था करेंगे, इसका इसमें कुछ भी आपने क्लीयर नहीं किया है। जैसा अभी हीरासिंहजी कह रहे थे, बाढ़ आ जाए, मलेरिया फैल जाए, या जैसे अभी पूरे राजस्थान में पानी की समस्या है। मेरे क्षेत्र की बता दूं आपको, पानी की समस्या है। वाटर वर्क्स वालों को आप अगर फोन करो कि फलाना हैंडपम्प ठीक करना है तो नगरपालिका वालों को रोज पी.एचई.डी. के एईएन. का फोन आता है कि साहब, नगरपालिका से चार अस्थायी कर्मचारी दिला दो ताकि हम शहर के सारे हैंडपम्प ठीक कर आएं। तो अगर लोकल लेबल पर किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं करेंगे, सक्षम अधिकारी उसको नहीं बनाएंगे नगरपालिका स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर तो काफी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसमें यह परिवर्तन आना चाहिए।

श्रीमती कमला : विभागों में, एजेंसीज में, संस्थाओं में जो काम्पीटैंट आथोरिटी है वह तो वहीं पर मौजूद है। कोई दूसरी जगह थोड़े ही जाना है परमिशन के लिए?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मंत्री महोदय, पर ये सक्षम अधिकारी रहेंगे तो न। अब आपको यह कानून आने के बाद नहीं रहेंगे वे।

श्रीमती कमला : हर डिपार्टमैंट में, हर संस्था में अपनी अपनी काम्पीटैंट अथोरिटीज हैं और वो वहीं की वहीं हैं जहां काम है या जहां दिक्कत है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नहीं, मंत्री महोदया, नगरपालिका में भी अगर अस्थायी कर्मचारी रखने होंगे तो उसको यहां से परमिशन लेनी पड़ेगी डाइरेक्टर से।

श्रीमती कमला : वहां भी काम्पीटैंट अथोरिटी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वहां नहीं है न तो।

श्रीमती कमला : कैसे नहीं है, सब जगह है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अभी नहीं कर सकते। अस्थायी नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है आपने। रोक लगी हुई है, आपको पता ही नहीं है। (व्यवधान) काफी समय से।

श्रीमती कमला : एक विशेष समय में रोक लगी हुई बात दूसरी है। निश्चित रूप से हर संस्था में काम्पीटैंट अथोरिटी कायम है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वही काम्पीटैंट अथोरिटी है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बैराठ में कौन है?

श्रीमती कमला : मेरे पास यहां कोई चिट्ठा थोड़े ही रखा है जो मैं आपको बता दूं बैराठ में कौन है, शाहपुरा में कौन है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सब जगह नहीं है फिर।

श्रीमती कमला : आप बताएं हवामहल में कौन है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई नहीं है।

श्रीमती कमला : कैसे नहीं है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नहीं है। काम्पीटैंट अथोरिटी नहीं हैं, मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको मैं फिर कह रहा हूं, आप केवल उन्हीं लोगों को काम्पीटैंट अथोरिटी मानते हो?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : तो हमारे लिए तो बढ़िया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो फिर इस एक्ट की मंशा क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जरूरत ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नगरपालिका का ई.ओ. काम्पीटैंट अथोरिटी है, पंचायत समिति का बी.डी.ओ. काम्पीटैंट अथोरिटी है (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह एक्ट लाने की जरूरत ही नहीं है फिर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर जरूरत क्या है इसकी, फिर काहे को लो रहे हो? उन्हीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लोगों ने भर्ती की है वे ही लोग वापस करेंगे। काम्पीटैंट अथोरिटी वे ही कर देंगे। मैं काम्पीटैंट अथोरिटी हूं इसलिए मैंने भर्ती कर लिया।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी : आपकी शायद जानकारी में नहीं है, किसी भी नगरपालिका में, किसी भी पंचायत समिति में अभी कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं लगा सकते, सरकार की तरफ से रोक लगी हुई हैं। कोई काम्पीटैंट अथोरिटी नहीं है वहां।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप। (अनुपस्थित), श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, धारा चार के सब-क्लाज 2 के अन्दर अरजेंट टैम्परेरी अपाइंटमैंट एक, दो, तीन महीने के निश्चित समय के लिए करने के लिए वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, आज अभावग्रस्त गांव के अन्दर पानी की समस्या है और टैंकर सप्लाई के लिए नहीं जाते पांच, दस, पन्द्रह दिन तक। ड्राइवर बीमार हो गया, दो महीने की छुट्टी चला गया, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए अरजेंट टैम्परेरी अपाइंटमैंट के लिए काम्पीटैंट अथोरिटी की परमिशन में दो-तीन महीने के लिए संशोधन होना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं हो सके। इसके अन्दर कोई उससे अधिकार तो पैदा होते नहीं हैं। सैक्शन 11 वैसे भी डिवार कर रहा है कि अगर बिना दो-तीन महीने की काम्पीटैंट अथोरिटी की परमिशन के अरजेंट टैम्परेरी अपाइंटमैंट होता है तो किसी प्रकार का कोई उसको राइट नहीं होगा। अभी माननीय मंत्रीजी कर रही थीं, कि काम्पीटैंट अथोरिटी हर विभाग में है। हर विभाग में काम्पीटैंट अथोरिटी नहीं है। काम्पीटैंट अथोरिटी की डेफिनिशन के अन्दर स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिला परिषद में काम्पीटैंट अथोरिटी एग्जीक्यूटिव आफिसर है। अलग-अलग विभागों के लिए कहीं काम्पीटैंट अथोरिटी है, कहीं नहीं है। काम्पीटैंट अथोरिटी दूर है, कहां पर है, इमिजिएटली अवेलेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में महीने, दो महीने, तीन महीने के लिए अरजेंट टैम्परेरी अपाइंटमैंट के लिए प्रावधान होना चाहिए, यह संशोधन और करें।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी। (अनुपस्थित), प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इन रास्तों को बन्द करने के लिए ही तो यह बिल लाया गया है। तीन महीने के लिए आपने रख लिया, आपने काम्पीटैंट अथोरिटी से इजाजत मांगी और आपने कह दिया कि इजाजत ली है इसलिए एक दिन छोड़कर तीन महीने के लिए और रख लिया। इस तरह 240 दिन से बढ़ते-बढ़ते मेरे पास 73 हजार आदमी हो गये जिनको तनख्वाह दे रहा हूं मैं। काम्पीटैंट अथोरिटी वहीं होगा उससे पूछकर रख लीजिए। आप यह कहते हैं कि हमको तो टैम्परेरिली तीन महीने के लिए रखने दीजिए, तो तीन महीने की

(श्री चन्दन मल बैद)

करते-करते यह तो नौ महीने हो गये और बारह महीने हो गये और बारह महीने करके उसके बाद वह...

श्री हीरासिंह चौहान : कम कर दो। उसमें कुछ चेंज कर लीजिए। हम नहीं चाहते कि उसको किसी प्रकार का रैगुलर अपाइंटमैंट मिले। हम भी इसके खिलाफ हैं। नाजायज फायदा हम भी नहीं चाहते हैं।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य, यह रैगुलर हो जाता है।

श्री हीरासिंह चौहान : पहले हो गये जो हो गये, अब आप इसमें बैन लगा रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि आप इसको कन्टीन्यू कीजिए।

श्री चन्दन मल बैद : ये 73 हजार वर्क चार्ज के हो गये रैगुलर। जब कान्ट्रैक्ट वाले ही लग रहे हैं, कैसे नहीं हो जाएंगे ये?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी अकाल, कभी पानी की समस्या इसके लिए व्यवस्था करना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।

श्री चन्दन मल बैद : यह तो मैं ला रहा हूं संशोधन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप लाइए, हम विद्ड्रा कर लेंगे।

श्री सभापति : क्लाज दो में है वह तो।

श्री चन्दन मल बैद : प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत कार्यों पर रोस्टर वे पर काम पर लगाये गये व्यक्ति लोक सेवा में नहीं माने जाएंगे यह तो मैं ला रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एग्रीड।

श्री चन्दन मल बैद : इसमें सारे कवर होते हैं। यह तो मैं ला ही रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह हमारे सामने नहीं था न। (व्यवधान) यह हुई बात। (व्यवधान) क्या पास कराओगे? प्रस्तुत तो करो आपका अमैंडमेंट।

श्री चन्दन मल बैद : क्लाज दो में तो अभी आपने क्वेश्चन किया हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चार में है, साहब।

श्री चन्दन मल बैद : चार में थोड़े ही ला रहा हूं, मैं दो में ला रहा हूं। दो में है यह तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह चार में है।

श्री चन्दन मल बैद : चार में नहीं है।

श्री सभापति : चार में नहीं रख रहे हैं, दो में लाएंगे। प्लीज। प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), श्री अमराराम चौधरी, श्री केसाराम चौधरी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान, श्री श्रीचंद कृपलानी, श्री रामप्रताप और श्री रामनारायण विश्नोई ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 2

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदय, खण्ड 2 में करा लीजिए पहले, खण्ड दो में मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : खण्ड 2 में प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मंत्रीजी कुछ देख रहे हैं, तो वैक्यूम नहीं रहना चाहिए हाउस में।

श्री चन्दन मल बैद : मैं वैक्यूम नहीं रख रहा हूं। वैक्यूम कहां आ गया? बिना देखे ही संशोधन कर दूंगा क्या? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : कुछ बाधाएं हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूं। कांट्रैक्ट लेबर की जो बात कही (व्यवधान)

श्री सभापति : House is in action.

श्री चन्दन मल बैद : क्लाज 2 के सब क्लाज 5 में लोक सेवा में मैं यह संशोधन रख रहा हूं कि इस खण्ड के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत कार्यों पर मस्टर रोल पर काम पर लगाये गये व्यक्ति लोक सेवाओं में नहीं माने जाएंगे।

श्री सभापति : यह तो ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्राकृतिक आपदाएं ही जोड़ा है न आपने केवल?

श्री सभापति : यह तो आपके उसके अनुकूल ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, आपने संशोधन तो बड़ा अच्छा मूव किया है स्वागत है परन्तु मैं निवेदन कर रहा था कि प्राकृतिक आपदा सिर्फ यही रहे न, कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई महामारी आ जाए वह भी कवर हो जाते हैं इसमें? (व्यवधान) अकाल राहत है? दोनों हैं न, साहब, इसमें?

श्री सभापति : प्लीज-प्लीज।

श्री चन्दन मल बैद : वे तो चार अपने आप ही कवर हो गये। जब दो कवर हो गये तो चार अपने आप की कवर हो गये। समझते क्यों नहीं हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, साहब, कौमा लगा दें तो हो जाएंगे। मैं समझता हूं, सदन में आने से पहले समझ पाने की कोशिश करता हूं।

श्री चन्दन मल बैद : धन्यवाद आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं कह रहा था कि अगर कौमा और लग जाए, वित मंत्रीजी, तो दोनों काम हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदा, अकाल राहत। यह क्यों नहीं करते हैं आप? मैं दोनों ही संशोधन की कह रहा हूं।

श्री सभापति : बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें अगर कौमा लगा दें तो दोनों ही हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप कौमा लगाने की क्या बात कर रहे हैं?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खण्ड 2 आपने पहले पास करा दिया।

श्री सभापति : नहीं, मैंने पास नहीं कराया। अब आप वाले प्रस्ताव में आप संशोधन वापस ले रहे हो?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ले लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे द्वारा जो संशोधन दिया गया है हम वापस लेते हैं।

श्री सभापति : खण्ड 2 में जिन माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव में संशोधन किये हैं, खण्ड 2 में जो आपने संशोधन प्रस्ताव किया है, वह वापस लेना चाहते हैं? सर्व श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), श्री राजेन्द्र राठौड़ और श्री हीरासिंह चौहान वगैरह ने, इसको आप वापस ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सक्षम अधिकारी कौन है वह था मेरा तो। सक्षम अधिकारी कौन होगा?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सक्षम अधिकारी कौन होगा? क्लीयर नहीं करेंगे तो (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), श्री अमराराम चौधरी, श्री केसाराम चौधरी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान, श्री श्रीचन्द कृपलानी, श्री रामप्रताप और श्री रामनारायण विश्नोई ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 5, श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है कि कई बार कुछ संस्थाएं ऐसी रहती हैं जिनमें सरकार कुछ शर्तें लगाती है; जैसे आप स्कूल को अपग्रेड करेंगे तो आपको दिक्कत आऐगी, आप कहेंगे कि दो साल चलाकर दिखाओगे। उस स्थिति में दो साल चलाने के लिए उनको अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। स्वीकृति होती नहीं है, स्वीकृति दो साल बाद होती है। ऐसी परिस्थिति में यदि वे इसको नहीं कर पाएंगे तो वे संस्थाएं आगे नहीं बढ़ सकतीं उनका विकास रुक जाता है। ऐसी परिस्थिति को मीट आउट करने के लिए हमने यह संशोधन दिया है। ऐसी परिस्थिति में कांन्ट्रैक्ट पर वे रख लें

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और जब तक स्वीकृति नहीं मिले तब तक वे कांट्रेक्ट पर ही रहें, जब स्वीकृति मिल जाए तो हट जाएंगे। जो व्यक्ति नियुक्त होगा वह हो जाऐगा। यह एक संशोधन है। कुछ संस्थाएं हैं जिनका विकास स्वतः ही रुका हुआ है कि जब तक आप दो साल तक स्कूल ठीक नहीं चलाएंगे तब तक आपको नियुक्ति की अनुमति नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में (व्यवधान) वर्क चार्ज के हों कांट्रेक्ट पर हों, जो भी होंगे कोई रास्ता निकाल लें उसका। इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किन्हीं अधिनियमों या नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा तक पदों को सृजन करने की अनुमति दिया जाना निषेध हो लेकिन उन्हीं अधिनियमों व नियमों के अन्तर्गत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवा में नियुक्त करना आवश्यक हो तो ऐसी परिस्थिति में अनुबंधों के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। लेकिन नियमानुसार पद सृजित करने की स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में लोक सेवा में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति या व्यक्तियों की सेवाएं नियमानुसार चयनित व्यक्तियों के नियुक्त होने के बाद समाप्त मानी जाएंगी और ऐसे नियुक्त कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा भी है।

श्री सभापति : आपका 5 नम्बर पर है। नहीं, आपका नहीं है। अमराराम चौधरी।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरे यहां तो सैकिण्ड नाम मेरा दिया है।

श्री सभापति : नहीं, यह मेरे पास सूची है उसमें नहीं है। श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि विधेयक के खंड 5 के उप खंड 1 के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा जाऐ "परन्तु किन्हीं अधिनियमों व नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा तक पदों के सृजन करने की अनुमति दिया जाना निषेध हो लेकिन उन्हीं अधिनियमों व नियमों के अन्तर्गत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवा में नियुक्त करना आवश्यक हो ऐसी परिस्थिति में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।" मेरा निवेदन यह है कि ऐसा कोई व्यवधान हो तो उसमें कांन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति की छूट होनी चाहिए। "लेकिन नियमानुसार पद सृजित करने की स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में लोक सेवा में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्ति व व्यक्तियों की सेवाएं नियमानुसार चयनित व्यक्तियों के नियुक्त होने के साथ ही समाप्त मानी जाएंगी।" जो कांन्ट्रैक्ट पर रखे हैं, ज्यों ही कोई नियुक्ति हो गयी नियमानुसार फिर उसकी नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जाए, यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी। (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैंने पहले ही अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि इस कानून के साथ ही सरकार की मंशा नये पदों के सृजन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की है। सैक्शन 4 कहता है "Prohibition of daily wage appointments and regulation of temporary appointments :

The appointment of any person in my public service to any post, in any class,, category or grade as a daily wage employee shall be prohibited." सभापति महोदय, सैक्शन 2 में परिभाषा के अन्दर पंचायत समिति, नगरपालिका के साथ-साथ वे संस्थाएं भी आ गयीं जिनको सरकार 10 परसेन्ट एड भी दे रही है। आज बहुत-सी संस्थाएं ऐसी हैं, सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जिनको कहीं सरकार 50 परसेन्ट एड देती है, कहीं 40 परसेन्ट देती है कहीं 30 परसेन्ट देती है। अगर यह सैक्शन 4 यूं का यूं पारित हो गया तो शैक्षणिक संस्थाएं कोई भी पोस्ट क्रीएट नहीं कर पाएंगी। प्रतिवर्ष कई शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चे कम हो जाते हैं, कइयों में ज्यादा आ जाते हैं, तो पढ़ाई की और दूसरी व्यवस्था के लिए उनको पोस्टें टैम्परेरी तौर पर क्रीएट करनी पड़ती हैं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय जिस तरह आज ला रहे हैं पहली बार लग रहा है कि मंत्री महोदय विपक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों को गम्भीरता से ले रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की। यह सुझाव भी बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा गम्भीर है। वर्ना पूरे राजस्थान के अन्दर संस्थाओं के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए इसमें कांन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक निश्चित समयावधि के लिए लोगों को अपाइन्टमैंट दें।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले, चूरू से आने वालें और पदचपदरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस धारा 5 में संशोधन प्रस्ताव किया है कि ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं कि काम्पीटैंट अथोरिटी से समय पर परमिशन नहीं मिले। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इनको टैम्परेरी रखो, हम तो कहते हैं कांन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखिये, आप इनकी सर्विसेज रैगुलर मत कीजिए। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा करने से तो हमारी संस्थाओं को बचाइये. जिसके कारण से समय पर परमिशन नहीं मिले और लम्बे समय तक पोस्टें खाली रहें। आपने प्रोहिबिशन लगा रखा है सैक्शन 5 में : "Prohibition of creation of posts :

No post shall be created in any office or establishment relating to a bublic service without the previous sanction of the competent authority." आपने जो व्यवस्था इस एक्ट में कर रखी है उससे

(श्री हीरासिंह चौहान)

स्थिति ऐसी बन जाएगी जिसका आपको आगे जाकर अनुभव होगा। आज हम आपको सुझाव दे रहे हैं, व्यवस्था को चलाने के लिए सुझाव दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां पैदा होंगी और फिर आपको बार बार अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे ही। पास्ट आलरेडी है या किसी की डैथ हो जाती है, किसी का क्या हो जाता है और काम्पीटेंट अथोरिटी से परमिशन लेने में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा रहेगा। वित्त मंत्री महोदय, कहे में तो कोई गुनाह नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी है। यह परमिशन मांगने में लोगों को दुनियाभर की तकलीफ होगी और वह पोस्ट खाली पड़ी रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप टैम्परेरी बेसिस पर, कान्ट्रैक्ट बेसिस पर ठेके पर, जब तक सलैक्शन होकर आदमी नहीं आएगा तब तक के लिए व्यवस्था कर दीजिए। क्वालिफाइड आदमी हो, हम ऐसा नहीं कहते हैं बिलकुल कान्ट्रैक्ट बेसिस पर ठेका दे दीजिए। इसमें समय तीन महीने के लिए रख रहे हैं कि तीन महीने बाद आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। आलरेडी जो सृजित पद हैं उनके लिए जब तक व्यवस्था नहीं होती है, यही हालत होगी पोस्टें लम्बे समय तक खाली रहेंगी, आप और हम विधान सभा में बोलते रहेंगे और व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए हमने जो आपको प्रस्ताव दिया है इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि डिपार्टमैंट की व्यवस्थाएं और स्वायत्तशासी संस्थाएं विधिवत ढंग से चलती रहें और आपको और हमको बार बार शिकायत करने का मौका नहीं मिले। काम्पीटैंट अथोरिटी के कारण से आपको और हमको भारी सुरक्षा मिलेगी।

श्री सभापति : श्री श्रीचन्द कृपलानी। (अनुपस्थित), श्री रामप्रताप। (अनुपस्थित), श्री रामनारायण विश्नोई। (अनुपस्थित), प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सभापति महोदय, यह तो घूम फिर कर वही बात आ गयी। चाहे कांन्ट्रैक्ट पर रख लीजिए, चाहे टैम्परेरी रख लीजिए चाहे, वर्क चार्ज रख लीजिए, बात तो वही की वही है। फिर तो बिल का सारा परपज ही डिफीट हो गया।

श्री सभापति : आप एक वाक्य में दे दो उत्तर।

श्री चन्दन मल बैद : इस वास्ते मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री सभापति : स्वीकार नहीं किया।

प्रश्न यह है कि खंड 5 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), श्री अमराराम चौधरी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खंड–5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड–6

खंड 6, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, यह आपके सबके पढ़ने के काबिल है। सैक्शन 6 है।

"No provision of revision of pay, allowances, perquisites honorarium, compensatory allowances etc. in respect of any employee or elected or nominated member, chair-person or any office bearer etc. of the establishments or officers mentioned under section 3 of this Act, shall be made without the approval of competent authority." मेरा संशोधन इसमें यह है, इलैक्टेड और नान इलैक्टेड मैम्बर्स, चेयर परसन और ऑफिस बियरर को वेतन, आनरेरियम, इनकी सुविधाएं भी काम्पीटैंट अथोरिटी तय करेगी इसको हटा दीजिए। यानी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन साहब को क्या अलाउंस मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेगी, उसको भी काम्पीटैंट अथोरिटी तय करेगी? जिला प्रमुख को क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या अलाउन्स मिलेगा, आनरेरिम क्या मिलेगा, यह काम्पीटैंट अथोरिटी तय करेगी? इसी प्रकार से जो इलेक्टेड लोग हैं उन सबका निर्णय यह करेगी काम्पीटैंट अथोरिटी? हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन के नीचे जो काम करते हैं सैक्रेटरी वे आई.ए.एस. हैं, काम्पीटैंट अथोरिटी कौन बनेगा? वह यह तय करेगा कि उनको क्या-क्या अलाउंसेज मिलने चाहिये और क्या उनकी सुविधाएं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि भी ध्यान में रखे हुए हैं और यह अलाउंसेज हैं सरकार तय करे जो करना है सो। यह उनके हाथ में न छोड़ा जाय, यही मेरा संशोधन है।

(16.00 बजे)

श्री सभापति : श्री अमराराम, बोल रहे हैं?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, खंड 6 में वेतन भत्तों परिलब्धियों मानदेय व प्रतीकारात्मक भत्तों आदि के लिये पुनर्निरीक्षण के प्रतिबंध की बात है। अगर कोआपरेटिव बैंक का चेयरमैन है तो उसके लिये यह है कि सारी रिकवरी उससे होगी, भत्ते वगैरह जो कुछ भी दिये जाते हैं, उनकी। जो व्यक्ति थोड़े दिन भी रहा है उसने काम तो किया है, उसमें उसका एम.डी. भी जिम्मेदार होता है और उससे रिकवरी की जाएगी, इस क्लाज को आप हटा दें। उसको नौकरी से निकाल दें। वह तो ठीक है लेकिन चेयरमैन और फिलहाल जो एम.डी. है या सैक्रेटरी है, उस से सारे मानदेय, भत्ते वगैरह की रिकवरी का नहीं होना चाहिये, यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री केसाराम। (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अगर इस पूरे कानून के अन्दर सैक्शन 6

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को मैं जन प्रतिनिधियों के लिये अपमानसूचक कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कुछ अधिकारी लोग बैठकर कानून बनाएं, कानून को सदन में पेश किया जाए और कानून यह हो कि एक अधिकारी तय करेगा। काम्पीटैंट अथोरिटी जो अधिकारी होगा, वह तय करेगा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के ओनेरेरियम कितने होंने चाहिये, भत्ते क्या होने चाहिये। मेरा निवेदन है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस कानून को पूरा पढ़ें तो इसकी कोई प्रासंगिकता भी नजर नहीं आती। कुछ भी हो यह तो मानसिकता का फर्क है। इस शासन के आने के बाद अधिकारी सोचने लग गये कि जन प्रतिनिधि कहीं हैं ही नहीं, शासन इन्हीं के हाथ में है, इसलिये इन्होंने इस तरह के सैक्शन को इन्सर्ट किया है। उसमें मेरा निवेदन है कि इसको पूरा का पूरा वापस लिया जाए।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, पंचायत समितियों के प्रधान का जो भी आनरेरियम होता है पंचायत समिति तय करती है, पंचायतों में जो भी होता है वह भी राज्य सरकार तय करती है और प्रमुख हैं उनके भी राज्य सरकार तय करती है। जितनी भी ये संस्थाएं हैं उन सबका राज्य सरकार निर्धारित करती है, तो फिर काम्पीटैंट अथोरिटी इसमें और क्या ले रही है? हम तो यह समझ रहे थे that competent authority is the Government. हम तो यह मान रहे थे। अब जैसा माननीय वित्त मंत्रीजी हमें बता रहे हैं, प्रमुख भी काम्पीटैंट अथोरिटी होगा। क्या यह काम्पीटैंट अथोरिटी इस प्रकार के अलाउंसेज वगैरह जो चेयर परसन हैं, उनके करने के लिये सक्षम होंगे? ...(व्यवधान) इसमें जैसी आपने लैंग्वेज लिखी है...

श्री चन्दन मल बैद : हर काम्पीटैंट अथोरिटी हर काम के लिये सक्षम नहीं होगा।

श्री हीरासिंह चौहान : Here it is mentioned—'the competent authority', Why do you mention the 'competent authority'? It is your language.

श्री चन्दन मल बैद : 'Competent authority' but different.... (interruptions)...

श्री हीरासिंह चौहान : No. Not at all. You have mentioned here, "... of the establishment or offices mentioned under section 3 of this Act, shall be made without the approval of competent authority."

Here it is mentioned, 'Competent authority'.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको संशोधित कर दो। आपसे ओवरलुक हो गया।

श्री हीरासिंह चौहान : फ्रेमिंग में कहीं कोई गलती रह जाती है, जल्दबाजी में

(श्री हीरासिंह चौहान)

कर दिया जाता है। बहुत सारे बिल वापस किये हैं, कल भी इस प्रकार का हुआ।

यह काम्पीटैंट अथोरिटी का जो हवाला दिया है चेयर परसंस के लिये, यह मेरी समझ में प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर एक प्रकार का हमला है। आप खुद प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले हैं, फिर भी अधिकार दे रहे हैं? आज दुनिया भर के अधिकार दे रहे हैं। काम्पीटैंट अथोरिटी के नीचे तय होंगे सारे अलाउंसेज, सारे के सारे टी.ए., डी.ए., यह चुने हुए लोगों का सम्मान होगा? वह सम्मान आपके द्वारा किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि या तो इस धारा को वापस ले लीजिये या इसमें आप थोड़ा संशोधन कीजिये। हमने जो संशोधन इसमें दिया है उसमें साफ लिखा है—"विधेयक के खंड 6 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति किसी भी कर्मचारी के बाद में, पश्चात् प्रयुक्त अभिव्यक्ति या निर्वाचित नाम निर्दिष्ट सदस्य अध्यक्ष या किसी भी पदाधिकारी आदि को विलोपित किया जाए।" जो आपने लैंग्वेज लिखी है उसमें से आप इसको हटा दीजिये। कर्मचारी का तो रख दीजिये, पर निर्वाचित अधिकारी का नाम निर्दिष्ट सदस्य वहां पर इसको आप हटा दीजिये। इसमें क्या होगा? जिस मंशा से आप इस एक्ट को लाये हो, बिल को लाये हो उससे हम लोगों पर भी हमला हो रहा है। इसी विधेयक को आप यहां पास कराओ, Hon'ble Finance Minister saheb, मैं जो कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। आप इसको थोड़ा समझिये, कोशिश कीजिये।

श्री सभापति : आपके आर्ग्यूमैंट रिपीट हो रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, रिपीट तो होंगे ही। बात को बार-बार स्ट्रैस करके भी कहना पड़ता है। हाउस में और गहराई में जाना पड़ेगा और माननीय सदस्य बैठे हैं उनके भी ध्यान में लाना पड़ेगा कि यह एक्ट डिफैक्टिव आ रहा है। हम तो टोटली डिफैक्टिव मान रहे हैं। फिर भी आपकी मंशा है कि इररैगुलरटीज होती हैं, हुई हैं, उनको हटाना है तो हमने कभी मना किया नहीं। हटाइये आप लेकिन इस एक्ट को तो ठीक लाइये। कहीं तो आपने पास्ट में जितना भी हुआ उसके लिये भी रिव्यू कमेटी बनायी। सब करिये, इसमें हमारी मनाही नहीं है लेकिन ठीक तरह से लैंग्वेज को ठीक तरह से एमुमरेट कीजिये।

श्री सभापति : श्री श्रीचन्द कृपलानी। (अनुपस्थित), श्री रामप्रताप। (अनुपस्थित), श्री रामनारायण विश्नोई। (अनुपस्थित), प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरी भी एक चिट दी हुई है।

श्री सभापति : फर्माओ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : सभापति महोदय, सैक्शन 6 के तहत I would like to take your attention to the Statement of Objects & Reasons. मेरा, सभापति महोदय, इसमें

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

सुझाव भी है और आब्जेक्शन भी है। यूनिवर्सिटीज, गवर्नमैंट, सेमी गवर्नमैंट एक्स्ट्रा आर्गेनाइजेशन में आपने यह लागू किया है एक्ट, पर आपने चपेट में एन.जी.ओज. को भी ले लिया। आपके रीजंस की तरफ, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। इसमें एनोमली, मंत्री महोदय, यह है कि आपने कहा है कि इन नियुक्तियों के कारण हानि हो रही है स्टेट एक्सचैकर को, "but it also affects adversely the efficiency owing to, lack of skill and proficiency of those employees. Not only this, such irregular appointments tend to deprive the proficient and skilled persons from seeking appint-ments." आपका ध्यान तो ठीक है। जब आप एन.जी.ओज. को परमिशन दे रहे हैं इस कंट्री में और उन आर्गेनाइजेशंस को परमिट कर रहे हैं आपके स्टेट में काम करने के लिये, उसमें मेन प्रिंसीपल मंत्री महोदय, यह है कि Government is not competent to work in some areas, सभापति महोदय, वहां पर आप स्किल्ड टैलेंट्स को थ्रू दी रोल आर्गेनाइजेशन परमिशन दे रहे हैं कि आप करिये। इसके तहत सपोज आप उनकी 5 परसेंट मदद करते हैं और 95 परसेंट बजट उनका खुद का है। एन.जी.ओज. में आपके इतने उदाहरण हैं अरावली इत्यादि, बाहर से जब करोड़ों रुपया आ रहा है तो कौनसा एन.जी.ओ. यह चाहेगा कि एक काम्पीटेंट अथोरिटी ऐसी आकर सर पर बैठ जाए कि उनका जितना भी काम चेरिटैबल है या बिजनस लाइक है उसके तहत काम होता जाए? यानि यह गवर्नमैंट इंटरफियरेंस और आ जाए। अगर गवर्नमैंट खुद इतनी एफीशिएंट होती तो एन.जी.ओज. की मदद क्यों लेती? डवलपमैंट के लिये एन.जी.ओज. को परमिशन क्यों देती? एन.जी.ओज. भी इसीलिये आये हैं। नाट थ्रू दी गवर्नमैंट इंडिपैंडेंटली काम करना चाहते हैं, भले ही पैसा कम हो, किसी के पास में या पैसा ज्यादा हो। वे टैलेंटेड स्किल्ड एडवाइज आपकी स्टेट को दे रहे हैं और उन पर आप यह अंकुश लगा रहे हैं, एनोमली यह है। एक तरफ तो आपने अपने मेन स्टेटमैंट आफ ओब्जेक्शंस एंड रीजंस में यह फरमा दिया कि आप ऐसे बेज वर्कर्स को नियमित नहीं करना चाहते हो और साथ के साथ आप आम उन आर्गेनाइजेशंस को करेंगे और आप देखेंगे उसका लांग टर्म इफैक्ट यह होगा। उदाहरण के रूप में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा अरावली की तरफ। अरावली आर्गेनाइजेशन में आपके संबंधित सैक्रेटरी आठ या दस हैं। अरावली के उसके चेयरमैन भले ही राइटली और रोंगली मीठालालजी मेहता हो गये हों, अरावली का मेन मकसद यही था कि चूंकि गवर्नमैंट उन एरियाज में काम नहीं कर पा रही है, या लोक जुम्बिश उन एरियाज में काम नहीं कर पा रही है इसलिए आपने उनको परमीशन दी। अब उन पर आप बिलकुल

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

भी डाइरेक्टली अंकुश लगा रहे हो। मैं सोचता हूं कि यह स्टेट के हित में नहीं होगा, इसलिए आपको इन प्रिंसिपल इस पर ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, यह कांपीटेंट अथोरिटी का तो नेचुरल है। अब जैसे आप इंजीनियर्स की कटाई-छंटाई करवा रहे हो, मंत्री महोदय ने यहां फरमाया था कि आठ चीफ इंजीनियर्स को हम हटा रहे हैं। तो जब एक ऐसी एजेंसी जो इंडिपडैंटली, सुओ मोटो, चैरिटेबली एफीशिएंटली आपके स्टेट में काम करना चाहती है, उस पर आप अंकुश लगाएंगे तो उसका लांग टर्म नतीजा यह होगा, वर्ल्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी यह होगी कि आगे एन.जी.ओ. आर्गेनाइजेशन आपके यहां कम आने की मंशा रखेंगे। इसलिए पुनर्विचार इस पर खासकर एन.जी.ओ. के लिएं तो आप करवाएं, यह मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : इसी प्रकार वाटर शैड की स्कीमें हैं।

श्री सभापति : नहीं, आप बोल चुके हैं इसी में। प्रभारी मंत्री जी—

श्री हीरासिंह चौहान : वाटर शैड है यह सारा एन.जी.ओ. के जरिये चल रहा है, उनका भी काम रुकेगा। वहां पर एम्प्लायमैंट मिलता है, 4-4, 6-6 महीने तक काम करते हैं।

श्री चन्दन मल बैद : आप बोलने तो दीजिये। काफी बोल चुके हैं आप।

श्री सभापति : बोलने दें।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य जो ओसियां से आने वाले हैं उन्होंने सफाई से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्पष्ट करके सारी बात कह दी है। इससे ज्यादा आप क्या कह सकेंगे?

सभापति महोदय, यह कहा जा रहा है कि वेतन और उनके दूसरे जो भत्ते हैं उनमें अगर बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया जाऐ और काम्पीटैंट अथोरिटी के द्वारा 30 दिन में वह स्वीकार नहीं किया जाऐ तो यह मान लिया जाएगा कि वह स्वीकार हो गया है। यही तो आप कहना चाहते हैं?

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम यह कहते हैं कि इसका निर्णय उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए। चुने हुए व्यक्तियों के जो भत्ते आदि हैं यह उनको मत दीजिये। बाकी का दे दीजिये, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने यह नहीं किया।

श्री चन्दन मल बैद : 30 दिन की अवधि है यही तो दिया है। अगर 30 दिन में नहीं करेंगे तो हो जाऐगा पास।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा पढ़ लिया आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खण्ड 6 में है।

श्री हीरासिंह चौहान : 6 में है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं एक बात आपको निवेदन करता हूं।

"Prohibition of revision of pay, allowances, perquisites, honorarium, compensatory allowances etc." इसमें आपने यह लिख दिया—"...

(श्री भंवरलाल शर्मा)

any employee or elected or nominated member, chairperson or any office bearer etc." हमारा सुझाव यह है कि इलैक्टेड जो लोग हैं या नामिनिटेड मैम्बर हैं, या चेयर पर्सन आपने जो अपाइंट किये हैं उनका निर्णय ये न करें वह सरकार निर्णय करे। इतना संशोधन है इसमें हमारा।

श्री चन्दनमल बैद : आपका संशोधन यह है कि इस अधिनियम की धारा 4(2), 5 और 6 के अन्तर्गत दिये जाने वाले आवेदनों का निपटारा सक्षम अधिकारी उनके प्राप्त होने के दिन से 30 दिन की अवधि में करेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : यह नहीं दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : थोड़ी भूल हो गयी है।

श्री सभापति : भूल हो गयी...

श्री चन्दन मल बैद : उसमें नहीं, यह 6 में है।

श्री हीरासिंह चौहान : 6 का नहीं आया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 6 में यह लिखा है...

श्री चन्दन मल बैद : 6 में ही पढ़ रहा हूं मैं तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, 6 में पढ़ता हूं जो मैंने दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधेयक के खण्ड 2।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त "पब्लिक के किसी भी कर्मचारी या निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष या किसी भी पदाधिकारी आदि को विलोपित किया जाए।" मेरा संशोधन तो यह है।

श्री चन्दन मल बैद : मैं दोनों ही पढ़ दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खण्ड 6 में मेरा संशोधन यह है।

श्री हीरासिंह चौहान : "ख" में तीसरी पंक्ति में पढ़िये आप हिन्दी में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन संशोधन हैं।

श्री चन्दन मल बैद : आपने उप धारा 2 जोड़ने का संशोधन यह किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मेरा तो नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : आपका ही है यह तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खैर, वह किसी का होगा।

श्री चन्दन मल बैद : भंवरलाल शर्मा, हीरासिंह चौहान, रामनारायण विश्नोई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह भी हो सकता है लेकिन यह भी इसमें दिया है। यह हटा दिया जाए।

श्री हीरासिंह चौहान : बाद में यह भी है।

श्री सभापति : अब मंत्री जी का उत्तर सुन लें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैक्शन में दो संशोधन होंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : तीसरी पंक्ति में यह साफ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास दूसरा कागज आ गया।

श्री हीरासिंह चौहान : किसी भी कर्मचारी के पश्चात् प्रयुक्त अभिव्यक्ति उसके बाद में लिखना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कागज गलत आ गया आपके पास में, वापस पूछो।

श्री हीरासिंह चौहान : निर्वाचन का नाम...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जल्दी में आ गया होगा।

श्री चन्दन मल बैद : एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कागज दूसरा आ गया होगा। मैं भेजूं साहब? यह कागज दूसरा आ गया आपके पास।

श्री चन्दन मल बैद : अच्छा, कोई बात नहीं। चलिये, आपकी बात कह दूं। सभापति महोदय, अगर कल जिला परिषद् के सदस्य बैठकर यह तय कर लें कि हमारा दैनिक भत्ता इतने रुपये से बढ़ाकर हम इतना रुपया कर रहे हैं तो क्या इसको कांपीटेंट आथोरिटी से मंजूर कराना जरूरी नहीं है?

श्री सभापति : जरूरी है।

श्री चन्दन मल बैद : कल को नगर पालिका के सदस्य यह बैठकर तय कर लें कि हमारा दैनिक भत्ता इसके बजाय इतना होगा तो क्या कांपीटेंट आथोरिटी से उसकी मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। आप एम.एल.एज. की बात कह रहे हैं, एम.एल.एज. का भत्ता या एम.एल.एज. की तनख्वाह के लिए कांपीटेंट अथोरिटी लैजिस्लेचर खुद है। लैजिस्लेचर से पास कराये बगैर हम तय कर सकते हैं क्या? लैजिस्लेचर पास करेगा तभी तो हमको भत्ता मिलेगा, नहीं तो काहे का भत्ता मिलेगा? हमारी कांपीटेंट आथोरिटी तो लैजिस्लेचर खुद है। इस वास्ते कांपीटेंट अथोरिटी के बगैर जो तय किया जाऐगा उसको कांपीटेंट आथोरिटी के द्वारा तय किया ही जाएगा। बिना कांपीटेंट अथोरिटी के द्वारा जो तय किया जाऐगा उसको कांपीटेंट अथोरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा, यही मेरा कहना है।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मानसिकता यह है कि जन प्रतिनिधियों से बड़े अधिकारी हैं। अगर यह मानसिकता है तो कराओ मंजूर। एतराज हमको इसी पर था। इसके आगे दो संशोधन और थे, उनको स्वीकार कर लें आप।

श्री चन्दन मल बैद : नगर पालिका का बजट यहां से जो लोकल बाडीज तय करती हैं तो फिर वह उससे ऊंची हो गयी कि यहां पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह अलग बजट की बात है।

श्री चन्दन मल बैद : जिला परिषद् का बजट यहां से हम पास करते हैं इसका मतलब तो हम उससे ऊंचे हो गये? यह तो कांपीटेंट आथोरिटी का सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपका आरनेरियम तय करें आदर्श जी, तो देख लें आप। अगर यही भावना है तो ठीक है, चलेगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) श्री अमराराम चौधरी, श्री हीरासिंह चौहान दे दिया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 से 13, कोई संशोधन नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 8 में है।

श्री सभापति : क्या?

श्री चन्दन मल बैद : खण्ड 11 में संशोधन है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बताइये, क्या है?

श्री सभापति : 8 में कोई नहीं है। कितने में हैं आपका, 11 में?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 8 में है।

श्री चन्दन मल बैद : जी हां, 11 में मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : मतलब 7, 8, 9 और 10 में तो कोई संशोधन नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, है, 8 में है।

श्री सभापति : कहा ना, नहीं है मेरे पास।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 8 में दिया है।

श्री सभापति : नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : है।

श्री सभापति : नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : जहां न्यायालय है उससे आगे सिविल न्यायालय कर दिया जाऐ। जहां-जहां न्यायालय है उसको सिविल न्यायालय कर दिया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या कर दिया?

श्री चन्दन मल बैद : सिविल, सिविल।

श्री सभापति : एक मिनट, मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उससे क्या होगा?

श्री सभापति : खण्ड 7 से 10 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 से 10 तक स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड 11

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदय, खण्ड 11 में जहां न्यायालय है उसके आगे सिविल जोड़ दिया जाए।

श्रीमती कमला : जो माननीय सदस्यों की आशंका थी वे हटा दिये हैं।

श्री चन्दन मल बैद : जहां-जहां न्यायालय आया है वहां सिविल कर दिया जाए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 11 (बी) में है ना, सर?

श्री चन्दन मल बैद : 11 में।

श्री सभापति : इसको भी डैफर कर दें अब?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, कर दो। इसको हमें समझना पड़ेगा.(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : न्यायालय में सिविल न्यायालय जोड़ा है

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : समय दो हमको भी। यकायक कोई आप संशोधन ला रहे हैं, समझने दें हमको भी।

श्रीमती कमला : आपने जो आपत्ति की थी कि फलां न्यायालय भी.(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो अब आप क्या लाये हैं उसका अध्ययन भी नहीं करें क्या हम?

श्री चन्दन मल बैद : वह सिविल, दीवानी न्यायालय ला रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सिविल लगाएंगे तो हमको समझने दीजिये कि सिविल का अर्थ क्या निकलने वाला है। हमको भी कहने का मौका चाहिये न फिर।

श्रीमती कमला : आपके सुझाव पर ही तो किया है।

श्री चन्दन मल बैद : आपने कहा उच्च न्यायालय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कर दिया तो मैंने कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने इसमें एनी कोर्ट किया था। एनी कोर्ट इन्क्लूड.(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सिविल कोर्ट से क्या.(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : कोर्ट को सिविल कोर्ट कर दिया, हाई कोर्ट भी छूट गया, सुप्रीम कोर्ट भी छूट गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, उसका उत्तर क्या होगा, देखना पड़ेगा ना।

श्री हीरासिंह चौहान : अब हाई कोर्ट को छोड़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल, हमने यह कहा था कि आपने सारी न्याय पालिका को कोई जा नहीं सके, रास्ता बंद कर दिया। अब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट इनका रास्ता तो है।

श्री चन्दन मल बैद : सिविल कोर्ट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही बात है ना? (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : सिविल कोर्ट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सिविल कोर्ट से मतलब क्या है, किसको सिविल कोर्ट कहते हैं?

श्री चन्दन मल बैद : दीवानी अदालत।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, वह समझ गया दीवानी अदालत।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह किस स्थान पर होती है?

श्री हीरासिंह चौहान : दीवानी अदालत मुंसिफ कोर्ट भी होती है, डी.जे. कोर्ट भी होती है, हाई कोर्ट भी होती है, कौनसे स्तर तक का कह रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहा है क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : डी.जे. भी होता है, हाई कोर्ट भी होता है, क्या वे सिविल कोर्ट नहीं हैं?

श्री चन्दनमल बैद : डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सिविल कोर्ट का मतलब यह है कि जो सिविल मामलों को तय करती है, वह सिविल कोर्ट, उसमें मुंसिफ भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, मैं निवेदन करूं कि यह लेबर कोर्ट का मामला है।

श्री चन्दन मल बैद : लेबर कोर्ट का नहीं है यह मामला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिविल कोर्ट में तो वाद जाते ही बहुत कम हैं, आप दुबारा पूछकर दुबारा करिए।

श्री सभापति : इसको सुलटाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं सुलटाओ तो सही, इसका अर्थ बदल जाएगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सभापतिजी, मैं आपकी इजाजत से पढ़ लेता हूं "Abatement of claims,' – Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority, the claims for regular appointment of all daily wage employees and persons appointed on an urgent temporary basis, shall stand abated and accordingly...." अब यह सिविल कोर्ट में कहां लाना चाहते हैं, सबको अबेट कर दिया। "बी" में भी लिखा है :—

"...... no suit or other proceeding shall be instituted..." 'नो' लिखा है। Word is 'no'.

"(a) no suit or other proceeding shall be instituted or maintained in any court, tribunal or other authority by the daily wage or temporary appointees against the State Government or any other employer of public services...;"

अब आप इसको सिविल कोर्ट में कहां एड करना चाहते हैं? मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि यहां तो कोई बैठ ही नहीं रहा है सिविल कोर्ट में।

श्री चन्दन मल बैद : कोर्ट के आगे सिविल जोड़ना चाहता हूं, एनी कोर्ट के आगे सिविल कोर्ट।

श्री हीरासिंह चौहान : एनी कोर्ट के आगे सिविल कोर्ट ?

श्री चन्दन मल बैद : कोर्ट के आगे सिविल जोड़ना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : समझिए पहले, सिविल कोर्ट का मतलब नहीं है कोई। मुंसिफ भी सिविल कोर्ट है, फिर समझ लीजिए आप।

श्री चन्दन मल बैद : एनी सिविल कोर्ट।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : आप विराजो, एनी सिविल कोर्ट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या विराजें ? आप भी न्याय मंत्री हो, समझो तो सही, सिविल कोर्ट का मतलब क्या है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप बताओ न, साहब, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में क्या अन्तर है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधि मंत्रीजी, आप ही बता दें पूछकर।

एक माननीय सदस्य : न्याय मंत्रीजी ने कह दिया, उसके बाद क्या बचा है ? न्याय मंत्री कह रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वे आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधि मंत्रीजी, आप ही बता दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : एनी सिविल कोर्ट का मतलब क्या है ? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वही कोर्ट सिविल का काम करता है तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल का काम करता है तो क्रिमिनल कोर्ट, फिर लिखने की क्या जरूरत है ?

श्री हीरासिंह चौहान : आपको यह लिखना चाहिए कि एक्सैप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यह कर दीजिए। इसको सुनने का अधिकार होगा और दूसरों को नहीं होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : District & Sessions Judge.

श्री हीरासिंह चौहान : इसका जूरिडिक्शन बाहर करके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान) वन आनरेवल मैम्बर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि वित्त सचिव जी, एक-एक कागज दे रहे हैं, आप या तो यह कह दें कि हम तीनों चारों वहीं चले जाएं और वे जिज्ञासा शांत कर दें। वर्ना सभापतिजी, मैंने गिना है, ये सोलहवीं बार वित्त मंत्रीजी उठे हैं, 16-16 बार अधिकारी गैलरी में जाकर पूछें। कानून है क्या यह ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने गिना तो है ही नहीं, वैसे कोई कम्प्यूटर तो लग नहीं रहा कि आप जो कह रहे हैं वह सही हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने गिना है।

श्रीमती कमला : पूछने की जरूरत है तो पूछने में कोई आपत्ति थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। (व्यवधान) वन और फ्यू (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पांच मंत्री लगे हुए हैं फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सिंचाई मंत्रीजी, अकाल राहत मंत्रीजी, सब वहीं लगे हुए हैं।

श्री सभापति : एतराज क्या है इसमें? वन और फ्यू।

श्री हीरासिंह चौहान : चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको क्या एतराज है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एतराज इसलिए है कि आप कानून बना रहे हैं और इस कानून बनाने में We are also a party to it. एतराज क्यों नहीं होगा? इसलिए कानून बना दो जो ठीक न हो? तो फिर बैठे ही नहीं यहां। सिविल कोर्ट का मतलब यह है कि जहां सिविल वाद तय होते हैं, तय करने का जिसको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है, डी.जे. को भी है और मुंसिफ को भी है।

श्री सभापति : हाई कोर्ट को कौन रोकता है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर क्या मतलब हुआ इसका? एनी कोर्ट और सिविल कोर्ट में कोई फर्क नहीं हुआ।

श्री हीरासिंह चौहान : प्रोपर वर्ड आ जाएगा, आपकी मंशा सही हो जाएगी। यह जो सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिक्रियां देते हैं रोक लगाना चाहते हैं, उस पर, तो एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिख दीजिए, आपका मतलब सिद्ध हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापतिजी, दीवानी वाद और आपराधिक वाद की बात तो हमने सुनी है, यह तो सुना है कि दीवानी मामला है तो दीवानी वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, अलग से स्टाम्प ड्यूटी लगती है परन्तु सिविल कोर्ट का मतलब क्या रहेगा? आप हाई कोर्ट के फैसले को मानना चाहते हैं तो हाई कोर्ट कर दीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : एक्सैप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर दीजिए, आपका मतलब सिद्ध हो जाएगा। ये छोटी वाली अदालतें इसमें इन्टरफियर नहीं करें, ट्रिब्यूनल नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं आए, मुंसिफ नहीं आए, सिविल जज नहीं आए, आप की मंशा तो यही है, इसलिए उनकी डिग्री भी लागू न हो।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : अब तो थोड़ा-सा अलग कर दीजिए, गलत हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हमें बता दो कि इसका अर्थ क्या है?

श्री सभापति : आप बहुत वरिष्ठ हैं, समझते हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विधि मंत्रीजी, एक बार बता दें।

श्री सभापति : विधि मंत्रीजी क्या, इसमें प्रभारी मंत्रीजी ने बता दिया सब कुछ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उनकी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापतिजी, इसको पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा हिन्दुस्तान पढ़ेगा। हमें अर्थ बता दें कि सिविल कोर्ट आने के बाद इसका और अर्थ क्या होता है?

श्री सभापति : आप सब समझ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक दिन तो वकालत की नहीं. (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप लाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहते हैं तो वह लिख दीजिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। खण्ड 12 और 13 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 व 13 स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड 12 व 13 स्वीकार किये गये। खण्ड 14।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बोलो न, शांति रखो। हम मानते तो हैं नहीं फिर क्यों कोशिश करते हैं?

श्री हीरासिंह चौहान : कोशिश तो करें।

श्रीमती कमला : कई बातें मानी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : खण्ड 14 में संशोधन। श्री भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापतिजी, मैं सैक्शन 14 पढ़कर बता देता हूं आपको—

"Any person or authority who contravenes the provisions of this Act shall, apart from the penalties otherwise provided for, on conviction by a competent court having jurisdiction be punishable with imprisenment for a term which shall not be less than six months and which may extend up to two years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend up to ten thousand rupees." आपकी मंशा है, आप चाहते हैं कि जो कानून बना रहे हैं उसकी पालना ठीक से हो, उसका कोई वायोलेशन न करें। अगर कोई वायोलेशन कर भी देता है, मान लो किसी ने भूल से, किसी एक आदमी को मस्टर रोल पर रख

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिया। उसके खिलाफ अगर प्रोसीक्यूशन होगा तो आपने व्यवस्था की है कि कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 2 साल की सजा मिलेगी और जुर्माना 5 हजार से 10 हजार रुपए का होगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे अधिकारियों और व्यक्तियों को दण्डित तो करें लेकिन सजा का प्रावधान घटा दें, क्योंकि उस पर दो पैनल्टी बल्कि तीन पैनल्टी होंगी। एक पैनल्टी तो यह होगी कि वह सजा भोगेगा, दूसरी पैनल्टी यह होगी कि आपने प्रोविजन किया है कि उस व्यक्ति ने इल्लीगल नौकरी से जो तनख्वाह प्राप्त की है, वह उससे वसूल होगी और तीसरी पैनल्टी यह होगी कि यदि किसी पद पर वह है तो उसे हटा दिया जाएगा। इतनी सारी व्यवस्था आपने की है तो जुर्माने का दण्ड भी पर्याप्त होगा, उसको ठीक करने के लिए। मैं समझता हूं कि यह जो आप ला रहे हैं, 6 महीने की सजा कम से कम, यह तो कोई देशद्रोही का अपराध होता है, फूड-एडलटरेशन एक्ट में अपराध करता है, ऐसे जो अपराध हैं उनमें ये सब सजाएं रहती हैं। आपने इसमें यह लगा दिया। अगर भूल से किसी से हो भी गया तो आप यह कहेंगे कि उसको सजा होगी। वह सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है कि 6 महीने से मेरी सजा कम कर दो तो वह 6 महीने से कम नहीं हो सकती। इतना कठोर क्यों बना रहे हैं आप उसको?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नम्बर दो में आपने यह भी कह दिया—

"No court shall take cognizance of offence punishable under this section except on a complaint filed by a competent authority with the previous sanction of the State Government."

तो इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमैंट ही कहे जब दूसरा कोई कह भी नहीं सकता, क्यों नहीं कहेगा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी, कि इसकी परिधि में सरकारी कर्मचारी भी हैं चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, ये सारे जन प्रतिनिधि हैं। ये जो सदस्य इसमें हैं, यदि किसी से जाने-अनजाने भूल हो गई और यदि उसका प्रोसीक्यूशन हुआ तो उसका जुर्माने से पीछा छूट जाना चाहिए यदि उसका कसूर साबित होता है। दूसरा जो तनख्वाह दी है वह वसूल होगी। आप उसको इतना डेटेरेंट बना रहे हैं कि छह महीने से सजा कम नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं यह न्यायपूर्ण नहीं होगा, इसलिए इसको इसमें नहीं रखें, इसको डिलीट करें, यह मेरा संशोधन है इसमें।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी, आप बोलना चाहेंगे? श्री केसाराम चौधरी। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सैक्शन 14 को आप सैक्शन 18 के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साथ पढ़ें। सैक्शन 14 में ऑफेंस और पनिशमैंट की बात कही है जिसका जिक्र अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। इस सैक्शन का, सभापति महोदय, कोई अर्थ नहीं रहता। अब सैक्शन 18 पढ़ें—

"Protection of action taken in good faith—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or the rules made there under."

सभापति महोदय, ये किस तरह का कानून लेकर आये हैं, मेरी समझ में नहीं आया। एक सैक्शन में आप सजा की बात कर रहे हो और दूसरे सैक्शन में आप जिसने गुडफैथ में फैसला कर लिया उसको प्रोटैक्ट करने की बात कर रहे हो। अब यह गुडफैथ की तो कोई डैफिनिशन है नहीं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सैक्शन 14 का कोई अर्थ नहीं। सैक्शन 14(2) के अंदर आपने यह कहा है कि इसमें गवर्नमैंट की प्रायर परमिशन चाहिए। तो आपने फिर पूरी बात को वहीं ले जाकर छोड़ दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, प्रस्तावित किया है उसको सरकार स्वीकार करे।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैक्शन 14 के स्टार्टिंग में "एनी पर्सन ऑर आथोरिटी" ये जो दो वर्ड दिए हैं इसमें राज्य सरकार को तो बिलकुल एक्सक्लूड किया गया है। इसके बाद में जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थाएं, निजी संस्थाएं इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं उन सबके लिए आपने सजा का प्रोविजन किया। जैसा माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा साहब ने, राजेन्द्र जी राठौड़ ने कहा कि यह जो सजा का प्रोविजन किया है —

"On conviction by a competent court having jurisdiction be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months...."

अब इसमें दो प्रकार के प्रोविजन हैं। या तो आप जुर्माना कर दीजिए इसमें। इसमें जब सजा का प्रोविजन हो गया तो मैं सोचता हूं कोई भी आथोरिटी चाहे कितनी ही कांपीटैंट हो, इससे बचने की कोशिश करेगी। आगे गुडफैथ वाली बात जरूर लिखी है, लेकिन सरकार की नजर में कौन गुडफैथ से काम कर रहा है, कौन गुडफैथ से काम नहीं कर रहा है? उसके गुडफैथ में काम करते हुए भी आपकी नजर में उसने गुडफैथ में काम नहीं किया तो उसके

(श्री हीरासिंह चौहान)

ऊपर एक्शन लेने के लिए इस एक्ट के अनुसार अधिकृत है।

'No court shall take cognizance of offence punishable under this section except on a complaint filed by a competent authority with the previous sanction of the State Government.'

स्टेट गवर्नमैंट सैंक्शन नहीं दे रही है तो मामला ही खतम होगा इसलिये यह बिलकुल ही पोलिटिकल धारा है इसलिए इसका मिसयूज किया जाएगा। मिसयूज नहीं करते हैं तो माननीय वित्त मंत्रीजी बताएं कि इसमें किस प्रकार से मिसयूज नहीं होगा। आज इधर बैठे हैं, कल उधर आ सकते हैं, यह तो चलता रहता है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन हमको एक्ट ऐसा बनाना चाहिए जो सब के लिए, जनरल पब्लिक के लिए अच्छा हो। कोई भी आथोरिटी हो, कोई भी आदमी हो, जो अच्छी तरह से काम करे उसको पैनलाइज़ करने का प्रोविजन कम से कम इसमें नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मंशा है इसको कठोर बनाने की तो सजा को निकाल दीजिए, इसमें जुर्माना कर दीजिए। सजा का प्रोविजन बहुत हार्ड रहेगा, आगे जाकर इसका इफैक्ट बहुत गलत पड़ेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्रीजी भी मानते हैं, कांपीटैंट आथोरिटी जो है, जन-प्रतिनिधि जितने भी आज बैठे हैं, चाहे नगर पालिका है, चाहे पंचायत समितियां हैं, जिला परिषदें हैं उनको सीधे-सीधे कर्मचारी रखने का या कार्य करने का अधिकार है। अगर आप यह लागू करेंगे तो निश्चित रूप से मानकर चलें, जनप्रतिनिधियों से कभी न कभी, कोई न कोई गलती हो जाती है। यदि उससे कोई गलती हो गई तो चूंकि आपने दूसरे नम्बर में लिया है बिना राज्य सरकार की अनुमति के यह लागू नहीं होगा। तो फिर पोलिटिकली जिसका भी राज होगा वह चाहेगा कि इसको कानून के अंतर्गत ले। यह पोलिटिकल न हो, यही आपसे निवेदन है कि 14 का सैकण्ड नंबर का क्लाज है उसको इसमें से निकाला जाए।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, मुझे थोड़ा निवेदन करना है।

श्री सभापति : एक मिनट, शिवनाथ सिंहजी कुछ बात कह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, शिवनाथ सिंहजी कुछ कह रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, क्लॉज 14 में काफी कंट्रोवर्सी हुई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बात कही गई कि राजनैतिक रूप में लिया जाएगा सैंक्शन वाली बात को, यह सही नहीं है। आथोरिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए, यह सेफगार्ड है क्योंकि आज भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को प्रोसीक्यूट करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, काई भी आदमी किसी भी

(श्री शिवनाथ सिंह)

रूप में उसको प्रोसीक्यूट नहीं कर दे, यह सैफगार्ड होना चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस संस्थान के द्वारा यह किया गया है वास्तव में उसमें आफेंस किया या नहीं किया, इस सरकार के हाथ में होना जरूरी है। लेकिन मैं इस सैक्शन 14 में जो प्रावधान रखे गये हैं एक लाइन पढ़कर सुनाता हूं —

"Any person or authority who contravenes the provisions of this Act shall apart from the penalties otherwise provided for, on conviction by a competent court having jurisdiction...."

एक तो, माननीय सभापतिजी, कांपीटैंट कोर्ट, द्वारा सजा हो गई, उस ऑफेंस के लिए, कहीं भी प्रोवाइडेड हो। फिर दूसरी सजा आप करेंगे जिसमें 6 महीने से कम की सजा नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, इस पर लीगल एक्सपर्टस से राय ले लें कि क्या एक ऑफेंस के लिए दो सजा कभी हो सकती हैं? दो सजा कभी हो नहीं सकतीं। इस प्रकार के ऑफेंसेज का आप इसमें एंटिसिपेट करते हैं कि हमको जानकारी मिलनी चाहिए क्योंकि कोई भी ऑफेंस इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि किस प्रकार के ऑफेंस में आप दो प्रकार की सजा देना चाहते हो। यह जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, लीगली भी ठीक नहीं बैठता है। एक ऑफेंस के लिए आप सजा भी कर सकते हो, जुर्माना भी कर सकते हो, यह बात तो समझी जा सकती है लेकिन एक कोर्ट ने एक सजा दे दी और दूसरी कोर्ट ने दूसरी सजा दे दी, इस प्रकार का प्रावधान किसी भी कानून में नहीं मिलेगा। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, इस बात का थोड़ा स्पष्टीकरण करें कि इसमें किस प्रकार की बात आप करना चाहते हैं और दो सजा आप किस रूप में देंगे?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, सैक्शन 14 के अंदर "आल्सो" की जगह "ऑर" कर दिया जाए Upto two years or fine which not be less than five thousand rupees. "ऑर" हो जाएगा तो या तो यह होगी या वो होगी।

दूसरा नं. 2 के अंदर पोलिटिकल न होने के लिए 'No court shall take cognizance of offence punishable under this section except on a complint filed by a competent authority with the previous sanction of the State.' तो 'previous sanction of the State' को हटा दीजिए। कोर्ट तो अपने आप ही अच्छा काम करेगा, न्याय संगत काम करेगा पहले परमिशन लेने की क्या जरूरत पड़ रही है?

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अगर भूल से कोई काम कर देगा तो भी उसको सजा हो जाएगी। उसके लिए सैक्शन 18 है जिसका

(श्री चन्दन मल बैद)

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने हवाला दिया है। वो है—"No suit, prosecution or other legal proseedings shall lie against any person for anything which is in good faith done." यह तो हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इसलिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, एक बार सजा हो जाएगी, सजा होती है किसी को तो क्या नौकरी से नहीं निकाल देंगे उसको?

श्री शिवनाथ सिंह : नौकरी से निकालने की बात अलग है। इसमें आप उस कोर्ट में सजा कर दें...(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : किसी को सजा हो जाए तो फिर उसको नौकरी से नहीं निकालते हैं? नौकरी में रख लेते हैं क्या उसको, जिसको सजा हो गई हो?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, मैं इश्यू को डाइल्यूट नहीं करना चाहता, मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं लीगल एक्सपर्टस से राय ली जाए। एक कोर्ट ने 6 माह की सजा दे दी, उसी ऑफिस के लिए दूसरी कोर्ट 6 महीने की सजा कर सकती है क्या, यह मैं जानना चाहता हूं? आप रखिए, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं सजा होने के बाद नौकरी से निकालना, वह तो उसके साथ वाले प्रोसेस में है। आप सजा भी कर सकते हो, जुर्माना भी कर सकते हो, उसकी बात दूसरी है, लेकिन एक ऑफिस के लिए तीन महीने की सजा एक तो उसने कर दी, उसी ऑफिस के लिए 6 महीने की सजा दूसरी कोर्ट ने कर दी, यह कभी हुआ नहीं। अगर आपकी मर्जी हो तो रखो, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : यह प्रोविजन कहां है? इसमें यह प्रोविजन कहां है? नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : यही है इसमें कि पहले किसी कोर्ट से सजा हो गई तो भी यह सजा हो सकती है। यह है इसमें। आप देख लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप अपने एक्सपर्टस से बात कर लीजिए। मैं तो आपका ध्यान दिला रहा हूं कि इस प्रकार की सजा नहीं होती है।

श्री चन्दन मल बैद : दो बार सजा नहीं होगी। ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया था, मुझे माफ करें, उस समय में जल्दबाजी में उसका जवाब नहीं दे सका। कोई भी एनजीओ. जिस पोस्ट के लिए हमसे एड लेगा, उस पोस्ट के लिए ही हम उसकी योग्यता का परीक्षण करेंगे, बाकी चीज के लिए एनजीओ. का परीक्षण नहीं करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने एक्सप्लेन कर दिया। आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके जवाब में कहा, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुडफैथ दिया हुआ है। मैं तो यह जानना चाहता हूं—"Any person or authority who contravenes the provisions of this Act shall, apart from the

(श्री दिग्विजय सिंह)

penalties otherwise provided for, on conviction by a competent court having jurisdiction be punishable with impresonment for a term which shall not be less than 6 months and which may extend upto 2 years and also with fine which shall not be less than Rs. 5,000/- but which may extend upto Rs. 10,000/-"

So all these punishments will go together. This is most ironic. उन्होंने कैसे किया लिंक? बहुत गलत है यह तो All these punishments have been put together ये सब सजाएं एक साथ ही होंगी। आप जो बता रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुडफैथ, यह इसमें कवर नहीं करता। यह गुडफैथ का तो आपका अलग से है, यह कवर नहीं करेगा, मंत्री जी। यह बात सही है कि इसमें सजा एक साथ की है। आथोरिटी रिव्यू करेगा, वो तो एक साथ सजा हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि संख्या 18 पढ़ दी आपने।

श्री सभापति : कितनी बार कहेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जितनी बार मेरा नंबर आएगा। (व्यवधान) संख्या 18 क्या है? सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, सद्भावनापूर्वक कार्यवाही का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के लिए कोई वाद अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन या तदाधीन बनाए गए नियमों के अधीन, सद्भावनापूर्वक काम किया जाएगा। यानि इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी जो काम करेगा, कार्यवाही करेगा। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह नहीं कि इसके कंट्रावेंशन में काम कर दिया उसके खिलाफ नहीं होगी। इस एक्ट के विरोध में किसी ने काम किया है वह इससे नहीं बचता है। इसमें तो वही बचेगा जो इसकी पालना में काम करेगा। वहां कोई गलती उसने कर दी है गुडफैथ में, वो बचेगा। इसमें वो नहीं बचेगा जिसको आप दंडित करना चाहते हो। मेरी समझ में नहीं आया ऐसे कानून की। आपको कौन सलाह देता है। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : इस एक्ट के नीचे ही तो काम करने की बात हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस एक्ट के साथ तो अब काम होगा। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : इस एक्ट के नीचे ही तो काम करने के लिए कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसा नहीं है। जिसने यह काम पहले कर लिया वो इसके अंदर नहीं बचेगा। इस एक्ट के अंदर तो सदभावना से काम करेगा, यह तो इसकी पालना में जो काम करेगा... (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी की तरफ से उत्तर का चुका है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Let me explain मुझे आपत्ति है। I want to understand it.

श्री सभापति : आपत्ति तो आपको तब तक रहेगी जब तक पास नहीं हो जाता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। यह सैक्शन 18 उनको बचाएगा जो इस एक्ट के तहत कार्यवाही करेंगे। जिसने अपराध किया, उसको कैसे बचाएगा? यदि आपका अर्थ यही है (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : इस एक्ट के नीचे कार्यवाही कांपीटैंट आथोरिटी ही तो करेगा? या काम्पीटैंट आथोरिटी की इजाजत के बिना करेगा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काम्पीटैंट आथोरिटी जो करेगा वह बचेगा।

श्री चन्दन मल बैद : या काम्पीटैंट आथोरिटी की इजाजत के बिना करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो सैक्शन 14 में आ जाएगा वो इसमें नहीं बचेगा, साहब। यह बड़ा हास्यास्पद है। आप इसकी दलील दे रहे हैं, यह सैक्शन 14 है उसमें नहीं बचाता है। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आज उसके तहत इसका इंटरप्रिटेशन लें तो उसकी सारी सजाएं एक साथ हो जाएंगी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 18 तो वह क्लाज है, इस एक्ट की पालना में कोई अधिकारी काम करेगा, उसने कोई काम कर दिया उसके खिलाफ सूट नहीं होगा। उसकी बदनियति से काम नहीं चलेगा, सद्भावना से काम किया है तो बचता रहेगा। बट नॉट दैट, जिसने इसके वायोलेशन में काम किया है उसको दंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैं समझता हूं। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : सद्भावना से किसी ने भूल से इस एक्ट के नीचे काम कर दिया, काम्पीटैंट आथोरिटी ने, या काम्पीटैंट आथोरिटी की इजाजत के बगैर, तो उसका प्रोटैक्शन है यह।

श्री सभापति : सुनिये, प्लीज, मंत्री जी बोल रहे हैं, ऐसा सवाल मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह स्पष्ट नहीं किया। आफेंस ऑन पनिशमेंट, इसके अंदर मैंने कहा था कि ये सारी सजाएं आपने एक साथ दे दीं, आज उसके इंटरप्रिटेशन के अन्दर यह स्पष्ट है कि सारी सजाएं एक साथ लगेंगी। इसमें लिखा है कि :—
"Any person or authority who contravenes the provisions of this Act, shall, apart from the penalities otherwise provided for, on conviction by a competent court having jurisdiction be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months and....."

(श्री दिग्विजय सिंह)

एण्ड है और नहीं है

".. and which may extend upto two years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend upto ten thousand rupees."

कहने का मतलब यह है, सभापति महोदय कि एक आदमी को ये सजाएं एक साथ सुनाई जाएंगी, मेरा इंटरप्रिटेशन यह है। और लगाएं तो फिर आपके सामने आप्शन है कि दोनों में से एक चीज हो सकती है। एण्ड में तो It is in कन्टीन्यूटी तो इट इज बैरी हार्श। जो प्रोटेक्ट दिया है तो उससे कोई प्रोटेक्ट नहीं होगा। वह तो आपको जजमैंट है कि आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी सर्विस के हिसाब से कि मैलाफाइड होगी कि नहीं होगी।

That protection provided is a different thing. पर यह जो इंटरप्रिटेशन है, देखें तो काम्पीटैंट आथोरिटी को सारी सजाएं एक साथ दी जाएंगी। यह नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है। वित्त मंत्री जी, कृपया आप इसको देखें। इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाएं। इसको एण्ड की जगह और कर दें तो ज्यादा सुविधाजनक है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, अभी गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, उनियारा से आने वाले सदस्य ने एक शंका जाहिर की है कि धारा 14 में डबल पैनल्टी नहीं होनी चाहिए। जहां तक इसका यह इंटरप्रिटेशन है, वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं कि डबल पनिशमैंट नहीं है, वहां तक वित्त मंत्रीजी बिलकुल सही कह रहे हैं, यह डबल पनिशमैंट नहीं है। पैनल्टी के अन्दर डिसिप्लिनरी एक्शन अण्डर सैक्शन 15 के अन्तर्गत किसी को हटा दिया जाता है गलती करने के लिए, किसी को एक्शन लेकर सजा दी जाती है। इसके अलावा क्रिमिनल आफेंस के लिए सैक्शन 14 बनाया है, पर हमारा इसमें निवेदन करना यह है वित्त मंत्रीजी, कि यह कोई इकोनोमिक आफेंस नहीं है, यह कोई इतना गंभीर आफेंस नहीं हैं, छोटी-मोटी गलतियों वाले मामले हैं। इसके अन्दर किसी को कोई दस दिन के लिये अपाइन्टमेंट दे दिया, कोई परमीशन लेने में गलती हो गई, देरी हो गई, तो पहली मर्तबा यह मत करें कि प्रिसाइडिंग आफिसर चाहते हुए भी 6 महीने से कम सजा नहीं दे सके। जिस तरह से फूड एडल्टरेशन एक्ट है, असेंशल कोमोडिटिज एक्ट है, एन.डी.पी.एस. एक्ट है वहां यह प्रीवेंटिव बनाया गया है कि सजा आपको एक तरह से देनी ही पड़ेगी, भले ही आपका जी दुःख पा रहा है कि यह आदमी बिल्कुल गलत फंस गया है इसके खिलाफ सैक्शन गलत आ चुकी, उसकी कोई मंशा नहीं थी क्योंकि सरकार सैंक्शन देने में इतनी गहराई में नहीं जाया करती। सैक्शन 18 में गुडफेथ में डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटीज के अन्दर कोई छोटी-मोटी गलतियां होती हैं तो वह अलग चीज है। उसके बावजूद भी प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन दी

(श्री रामनारायण बिश्नोई)

जाती है कोर्ट में। तो जो यह पनिशमैंट कम्पलसरी बनाया गया है, आप कृपा करके इसको हटाएं जुर्माना आप चाहे ज्यादा भी कर दें तो कोई बात नहीं है, पर इतना हार्ड पनिशमैंट इसमें नहीं होना चाहिए। यह बड़ा गलत मैसेज जाएगा पब्लिक के अन्दर।

डा. करण सिंह यादव : हार्ड पनिशमैंट क्यों नहीं होना चाहिए, जहां हजारों लोगों को आप सबके हकों को छोड़कर नौकरी दे दें? यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक हजार आदमियों को अपाईटमैंट देकर चला गया बिना प्रोविजन के, वह बिलकुल छूट जाए? उसको तो 10 हजार रुपये की क्या सजा होगी..(व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : आपने की होगी..(व्यवधान) आपने कभी..(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण विश्नोई : कभी देखा नहीं..(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : मैं 8-10 आदमियों को नौकरी दे दूं और 10 हजार रुपये का जुर्माना आप ले लेना मुझसे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : अगर आपने कोई गलती कर दी छोटी-मोटी, फिर हाथ जोड़ते फिरोगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण विश्नोई : और आपको पैनल्टी..(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : Word 'shall' is used. "...shall not be less than six months....." शैल का मतलब है कम्पलसरी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, विराजिये। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति जी, एक मिनट।

श्री हीरासिंह चौहान : जो जुर्माना है इसमें सजा तो बिलकुल हटाएं। आप।

श्री सभापति : बहुत बोल लिये आप।

श्री दिग्विजय सिंह : बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं सहमत हूं कि जिसने गलती की है उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए..(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या फरमा रहे हैं आप?

श्री दिग्विजय सिंह : निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए पर इसका यह अर्थ नहीं है कि सारी सजा एक साथ दे दो। फिर तो यह भी जोड़ दो कि उसे फांसी भी लगा देनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : प्लीज, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : यह कमी रह गयी, इसको भी जोड़ दो आप।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 14 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), श्री अमराराम चौधरी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान, श्री

(श्री सभापति)

श्रीचन्द कृपलानी, श्री रामनारायण विश्नोई ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 14 स्वीकार किया गया।

खण्ड 15, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 15 में मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी आपने जो इलैक्टेड लोग हैं उनको शामिल किया है कि उनको सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा और पद से भी हटाया जाएगा। मेरा इसमें निवेदन है कि जो इलैक्टेड लोग हैं उनको इसमें से निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। बाकी जो अधिकारी हैं, और लोग हैं उनको रहने दीजिये।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी, बोल रहे हैं आप ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, धारा 15 के माध्यम से सभी निर्वाचित प्रमुख या उन्हें पद के अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही जो भी वेतन, भत्ते आदि दिये गये हैं वे प्राप्तकर्ता से वसूल करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान राज्य सरकार राजनीतिक आधार पर बदले की भावना से उपयोग करने के लिए अधिनियम में जोड़ रही है जिससे वाइस चांसलर, प्रधान, सरपंच, नगरपालिकाओं के चेयरमैन को जेल भेजा जाए व उन्हें उनके पदों से हटाया जा सके। इस प्रकार यह सारी स्वायत्तता खतम हो रही है।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सैक्शन 15 में शास्तियों का वर्णन किया गया है। साथ ही सैक्शन 15 के एक में यह भी कहा गया है, कि निर्वाचन पद के धारक के मामले में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी उसको हटाने के लिए कार्यवाही आरम्भ करेगा। सभापति महोदय, इसका अर्थ यह हुआ कि नगरपालिका के किसी चैयरमैन ने या किसी ई.ओ. ने 2-4 सफाई कर्मचारी रख लिये और रखते ही एप्रोप्रिएट आथोरिटी से उसने सैंक्शन ली नहीं क्योंकि बाढ़ आ गयी या इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गयी, तो उसको एक सफाई कर्मचारी रखने के कारण अपने पद से हटाने के लिए शक्ति इस कानून के माध्यम से सरकार ले रही है। मैं समझता हूं कि इसमें जिस तरह की आगे पैनल्टीज दी गयी हैं उनमें तो इसको जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय जो संशोधन लाये हैं न फ्लड का, उसमें फिर आपको मदद मिल जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा था कि हम पचांयत समितियों को, नगर परिषदों को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, स्वायत्त करेंगे, यह किस तरह की स्वायत्तता आप दे रहे हैं? हर मामले के अन्दर दोहरे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मापदण्ड हैं। मैं समझता हूं कि जब से आपने विधि मंत्री जी ने ज्ञान प्राप्त करना प्रारम्भ किया है, हमेशा उल्टी ही उल्टी बात करते हैं। इसलिए इसमें कम से कम इलैक्टेड लोगों को तो आप हटाओ।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, धारा 15 कह रही है : "Where any holder of an elective office or any officer or functionary or other authority makes any appointment in contravention of the provisions of this Act,...." उसको आगे जाकर लिखा है—

"…. the competent authority shall initiate proceedings for his removal,..." उसको हटाने के लिए इस प्रकार करेंगे। इसमें मेरा निवेदन यह है कि टोटल राजनीतिक रूप से इसका प्रयोग किया जाएगा। जितने भी नीचे वाले अधिकारी हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, प्रमुख हैं या दूसरी जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ इस धारा का गलत प्रयोग किया जाएगा। इसलिए हमने यह संशोधन प्रस्ताव लिखा है कि विधेयक के खण्ड-15 के उप-खण्ड-1 की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "किसी निर्वाचन पद का कोई भी धारक या" को विलोपित किया जाए। निर्वाचित सदस्य कोई भी काम करता है, कम से कम उनके लिए तो इस वर्ड को डिलीट करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज इस प्रकार कानून का गलत प्रयोग होगा जिससे कई प्रकार की परेशानियां होंगी। इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अबेटर्स, मैंने चिट्ठी लिख दी, आपने लिख दी, किसको लिखी? प्रमुख को लिख दी कि अमुक आदमी को नौकर रख दिया जाए। अब आप चिट्ठी लिखने वाले भी अबेटर हैं। यह 16 का है। इस परिभाषा के अन्दर जितने भी इलैक्टेड पर्संस हैं, आप भी कोई सिफारिश लिखोगे, फाइलें रखते हैं वहां, तो फाइल रखने के बाद वह भी अबेटर की श्रेणी में आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें कम से कम यह इलैक्टेड (व्यवधान) नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। आप तो साधु बन जाओ, फक्कड़ बन जाओ, जंगल में जाओ। आपके तो माउंट आबू नजदीक है वहां चले जाओ। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें कम से कम इलैक्टेड पर्संस का जो हमने संशोधन प्रस्ताव दिया है उसको इसमें से हटाया जाए।

श्री सभापति : श्री रामनारायण विश्नोई, बोलेंगे आप? मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस प्रोविजन का विरोध कर रहे हैं। आज भी तो पंचों को, सरपंचों को, प्रधानों को और नगरपालिका के अध्यक्षों को सस्पैण्ड और रिव्यू किया जाता है। आपने भी तो बहुत-से किये हैं। अगर आपने

(श्री चन्दन मल बैद)

राजनीतिक कारणों से किये हैं तो हमारे पर दोष क्यों लगाते हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंशा साफ कर दो कि राजनीतिक द्वेषतापूर्ण करने के लिए एक्ट लेकर आये हैं तो कुछ नहीं है। हम तैयार हैं।

श्री चन्दन मल बैद : आपने किया है, हमारे पर दोष क्यों लगा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : किसी को अपांइटमैंट देने के लिए हमने रिमूव नहीं किया है। कोई अदरवाइज दूसरा गबन का मामला होगा तो हमने किया है। हम तो प्रमोशन और अपाइंटमैंट के लिए कह रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्रीजी ने आपकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है, आप भी सुनिये।

श्री चन्दन मल बैद : आप स्वीकार तो करो कि आपने किया है राजनीतिक कारणों से। भंवरलाल जी, बोलो। सरदारशहर के अध्यक्ष को किया था आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसको किया था ?

श्री चन्दन मल बैद : सरदारशहर के अध्यक्ष को किया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसने कह दिया आपको यह ?

श्री चन्दन मल बैद : राजनीतिक कारणों से किया था न ?

श्री भंवरलाल शर्मा : किसने कह दिया आपको यह। मैंने किसी को नहीं किया।

श्री हीरालाल विश्नोई : भंवरलाल जी ने तो कई को किया था। ये तो इस बात में माहिर हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं किया। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : तो यह इन्होंने किया था ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं किया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : नहीं किया तो अदालत जाने की (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिलकुल किया होगा अगर वह (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी वही करोगे, वित्त मंत्रीजी ? जब तो मैं कह रहा हूं कि समय बहुत थोड़ा है।

श्री चन्दन मल बैद : हमको आपकी तरह नहीं होना है। हमें आपकी तरह नहीं होना है। हमें 153 की जगह 175 होना है।

(16.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुनिये, वित्त मंत्रीजी, समय बालू मिट्टी की तरह है, फिसल जाएगा। समय तो रावण का भी नहीं रहा था। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि खण्ड (15) में जो संशोधन सर्वश्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), अमराराम चौधरी, राजेन्द्र राठौड़, हीरासिंह

(श्री सभापति)

चौहान ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (15) स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड (15) स्वीकार किया गया।

खण्ड (16) से (20) में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड (16) से (20) स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड (16) से (20) स्वीकार किये गये।

खण्ड (1), अधिनियम सूत्र, नामादि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

श्री चन्दन मल जी बैद, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया जाए। (व्यवधान)

बहुत बोल लिये, साहब, अब आप कितना बुलवाओगे इनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थर्ड रीडिंग पर नहीं बोलेंगे क्या? यह तो हमारा अधिकार है। आप क्या करते हो? अभी तो तीन घंटे तक चलेगी बहस। आप हमारी बात तो मानोगे नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : थर्ड रीडिंग पर तो हमारा अधिकार है।

श्री सभापति : आपके अधिकार हैं लेकिन आप तो बहुत बोल चुके हैं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और हमारे पास बचा क्या है यह बताओ आप। यह बोलना ही तो बचा है और इस पर भी आप पाबंदी लगा रहे हो।

श्री चन्दन मल बैद : मंशा तो इनकी अच्छी है, कर लो आप जल्दी। इनकी मंशा अच्छी है (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य। आप बहुत बोले हैं। (व्यवधान) बोलिये, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, नया कानून बनाने से

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

वाकई में कोई समाज में सुधार आता हो, यह वित्त मंत्रीजी की बहुत बड़ी भ्रांति है। आई.पी.सी. ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, एग्जास्टिव कानून है, उसके बाद में स्पेशल लॉज आपने इनैक्ट किये हैं, जिनकी वाकई में आवश्यकता नहीं थी। मूल कानून अगर एक भी हो और उसकी धाराओं का सख्ती के साथ पालन किया जाए, क्रियान्वयन सख्ती के साथ किया जाए तो कोई वजह नहीं कि आपको बार-बार बहुत कानून बनाने पड़ें। यह जो, बिल मंत्रीजी, आपने प्रस्तुत किया है, इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स से मैं और यह पूरा सदन पूर्णतया सहमत हैं। यदि आप सहमत नहीं हैं तो आपकी इसमें भावना उचित नहीं है। बिलकुल सही मकसद है। विश्वविद्यालय का जब आप नाम लेते हैं तो जीता-जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से शैक्षणिक स्तर का सत्यानाश करते हुए अनाप-शनाप नियुक्तियां वहां की गई। लेकिन वित्त मंत्रीजी ने गम्भीरता से इस बात पर विचार नहीं किया कि इस विधेयक को पास कराने से वाकई इन सब बीमारियों का अंत हो जाएगा क्या। काम्पीटैंट अथोरिटी के विषय में मैं बहुत ज्यादा, क्लाजवाइज डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता कि सब मेरे मित्रों ने किया, लेकिन मोटी बात आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपने अबेटमैंट करने वाली बात कही हैं। कल भी आप हाई कोर्ट वाली बात पर नाराज हो रहे थे लेकिन क्योंकि आपने रिव्यू कमेटी दे दी है इसलिए वह अबेट होने का आपने प्रोविजन रखा है वहां तक तो ठीक है। लेकिन उससे अलग हटकर डिक्री कोर्ट की है वह भी होगी और जो आर्डर पास हो गया उसको भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा, जो संभवतया सही नहीं है। फिर मूल बात, इस विधेयक के अन्दर इस बात का प्रोविजन नहीं है कि कहीं आपके नियुक्ति अधिकारी और काम्पीटैंट अथोरिटी दोनों मिलकर अगर बदमाशी करेंगे तो फिर आप क्या करोगे, गैरवाजिब नियुक्ति अगर मिलकर करेंगे तो आप क्या करोगे और विश्वविद्यालय का तो संवभतया आप प्रबन्ध कर भी नहीं पाएंगे। यदि काम्पीटैंट अथोरिटी गवर्नमैंट के हिसाब से किसी गवर्नमैंट आफिसर को, विश्वविद्यालय के बाहर से अपाइंट करते हैं तो यह सर्वथा अनियमित होगा, यूनिवर्सिटी की आटोनोमी के ऊपर एग्रेशन होगा, एनक्रोचमैंट होगा। हाई कोर्ट से क्रैश हो जाएगा। अगर युनिवर्सिटी के अन्दर आप काम्पीटैंट अथोरिटी अपांइट करते हैं तो यूनिवर्सिटी में तो सब नियुक्तियां जितनी गलत हुई हैं आज तक, वाइस चांसलर ने की है। एक्स ने, वाई ने, जैड ने, हर आदमी ने अपने कार्यकाल के अन्दर अनाप - शनाप नियुक्तियां की हैं और उसके बाद में आपने नियमितीकरण किया है। मैं, सभापति महोदय, एक बात की ओर पुरजोर शब्दों में वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय डाक्टर करण सिंह जी से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वे बात को ध्यान से समझें कि माननीय रामनारायण जी विश्नोई ने जो बात कही, उस पर आप

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

गम्भीरता से विचार करें। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि जो आदमी नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल नियुक्तियां करता है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों को आब्लाइज करने के लिए नियुक्तियां करता है। जिनके पास में नियमन है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। खास तौर से यदि वह इन नियुक्तियों के अन्दर एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. व अन्य वर्ग के गरीब लोगों के हितों के प्रतिकूल रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है संविधान के अन्तर्गत उसके प्रतिकूल अगर नियुक्तियां करते हैं और उनको रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन, डाक्टर साहब, मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, बाद में टैक्नीकली भी लोग इसमें फंसेंगे। आप खुद अगर कुर्सी पर हैं और यह समझें कि नहीं, इसने गलती की है तो सजा का तो यह हकदार है, लेकिन इस आदमी के लिए सजा एक माह की पर्याप्त है या अदालत उठने तक की सजा पर्याप्त है? वित्त मंत्रीजी, वह गुंजाइश आपने नहीं छोड़ी। मैक्सिमम सजा का प्रावधान आपने दो साल रखा है, वह तो उचित है लेकिन "not less than six months" जो आपने किया है, कृपा कर के इसके दूरगामी परिणामों पर भी विचार करें। आप उसको आगे डैस्क्राइब नहीं करें, यह कोर्ट के डिस्क्रिशन पर छोड़ दें। ग्रेविटी और उसका जो मैलाफाइड है, जिसने गलती की है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसकी कितनी बदनीयती है और कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, उस हिसाब से उसको सजा दे दें। सजा के हम कोई खिलाफ नहीं हैं, सजा का प्रावधान उचित है यदि आप यह कानून बनाते हैं तो। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैंने कुछ सुझाव दिये हैं क्योंकि विधान सभा के अन्दर सबसे इंम्पोर्टेन्ट बिजनस अगर कोई हो रहा है, अगर आप...(व्यवधान) Let me complete ओनली वन मिनट।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : सुनो तो सही। आपने यह कहा कि इसको कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए।

श्री सभापति : दायमा साहब, इनको बोलने दो। दायमा साहब, आपस में नहीं बोलें। Let him finish.

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौनसा?

श्री सभापति : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को अपना कथन समाप्त करने दीजिये, उसके बाद में आप भी कह दें। आप बोल देना उसके बाद में।

श्री जगत सिंह दायमा : उसके लिए सजा होनी चाहिए। छह महीने, तीन साल नहीं, समय बढ़ाना चाहिए इस तरह का काम जो आदमी करता है उसके लिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, कोर्ट के ऊपर तो अभी भी पूरा छोड़ा हुआ है। जगत सिंह जी को ध्यान नहीं है। कोर्ट बरी अभी भी कर सकता है। उसको सिर्फ मिनिमम पनिशमेंट के लिए अर्ज किया है। जो आप हर बात में खड़े हो जाते हैं ना

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जगत सिंह जी, कभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर यहां पर बहस करा लेना, मैं प्रमाणित कर दूंगा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माइंड योरसेल्फ। आप एक-दूसरे से...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...और मैं इस सदन को संतुष्ट कर दूंगा कि एस.सी. के ऊपर इमिजिएट कोई दोषी है तो वह ओ.बी.सी. है। अगर कोई एस.सी. के ऊपर ज्यादती करता है तो ओ.बी.सी. करता है। आप बार-बार इस बात को लेकर, मैं क्षमा चाहता हूं, सभापति महोदय आपसे...

श्री जगत सिंह दायमा : ओ.बी.सी. नहीं करता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एस.सी. के ऊपर, एस.सी. के ऊपर...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ये मनुवादी तो ओ.बी.सी. को बहकाते हैं और उस व्यक्ति को बहकाकर आगे करते हैं, उसको हथियार बनाते हैं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। बेवकूफ बनाते हैं उसको और करवाते हैं, यह क्या बात हुई।

श्री सभापति : आप विराजिये, प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : दिमाग पंडित जी का है उसमें।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, इस विषय पर यदि नियमित चर्चा कोई सदन में रखी जाएगी तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। तब आपको, जगत सिंह जी, बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है तथ्यों के आधार पर। आपसे यह विनम्र प्रार्थना है...

श्री सभापति : ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य नरेन्द्र सिंह जी भाटी।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारी बारी आती है तो 10 खड़े हो जाते हैं आप लोग। हमारा नम्बर आता है तो 10 मनुवादी खड़े हो जाते हैं।

श्री सभापति : आप पहले बोल लिये हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : कभी हमारा समय आएगा, हम आशावादी हैं।

श्री सभापति : अब आप वापस कर रहे हैं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने वापस चालू कर दिया। आपने फिनिश कर दिया, इसलिए अब विराजें आप। कर दिया ना आपने समाप्त।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य मनुवादी नहीं, महिलावादी हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं माननीय वित्त मंत्रीजी से कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार करें। पैनल क्लाज में आप मिनिमम बता रहे हैं "not less than six months" इस पर आप अवश्य विचार करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय नरेन्द्र सिंह जी भाटी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके इस राजस्थान रैगुलेशन ऑफ अपाइंटमैंट्स टू पब्लिक सर्विसेज एण्ड रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ बिल, 1999 से तो एनजीओ के अलावा मैं पूर्णतः सहमत हूं। एक्सप्लेनेशन क्लाज में कहीं उसका आप क्लैरिफिकेशन एड कर दें तो उचित रहेगा। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उठाया है, खास कर इम्प्लीमैंटेशन वाला बिन्दु, मंत्री महोदय, करीब दो-तीन घंटे में यह सैशन समाप्त हो जाएगा, मैं यहां बैठे-बैठे जब आपके आफिसर्स की गैलरी देखता हूं और आप उनसे बार-बार कन्सल्ट करते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितनी बार?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके और चन्दन मल बैदजी के कोई चुरू की लड़ाई हो तो आपस में कहीं और लड़ लें।

श्री सभापति : कृपया भाषण जारी रखें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसको फील्ड मत बनाएं। मंत्री महोदय, आपके जैसे मैंने भी दो-दो, तीन-तीन बार मंत्री पद का लाभ लिया है, इम्प्लीमैंटेशन की वास्तव में बहुत जबरदस्त शिकायत है। उस इश्यू को तो मैं बाद में लाऊंगा नैक्स्ट सैशन में, लेकिन as minister, you are piloting the Bill have. एज सैक्रेटरी आपके फाइनेंस सैक्रेटरी आफिसर्स दीर्घा से उसको पायलट कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह आ रही है, मंत्री महोदय, कि लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट के तहत वे दोषी पाये गये, इस हाउस की कानसिंह कमेटी के तहत और मल्हन कमेटी के तहत उनको दोषी पाया गया, पर न तो आपकी सरकार ने और न इनकी सरकार ने उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, इस चीज का इस डिबेट से क्या लेना-देना?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कृपलानीजी, इम्प्लीमैंटेशन में आपको ही हैल्प कर रहा हूं। यह जो कह रहे थे न काम्पीटैंट आथारिटी की, यह आप पर ही यूज होगा और मैं उसके खिलाफ हूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं, मंत्री महोदय, बहुत ही नम्रता से, कि आप इतने अनुभवी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट में, ब्यूरोक्रेसी बगैर अध्ययन किये हुए कुछ न कुछ सैक्शन और मेरा तो यहां तक आरोप है, मंत्री महोदय, कि कोई गिने-चुने मंत्रियों का मैं नहीं कहता हूं, नहीं तो अमूमन, सभापति महोदय, जो बिल्स बनते हैं न, वह फाइल सैक्शन आफिसर प्रिपेयर करता है। सैक्शन आफिसर से ऊपर चलती है वह फाइल, चिड़ी करते-करते ठेट चीफ सैक्रेटरी तक वह चिड़ी लगती है और उसको कोई वापस हटाने की शक्ति रखता नहीं है।

श्री सभापति : आइडिया सरकार देती है। कानून बनाने का आइडिया सरकार देती है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I agree Sir, कैसे भी हो, आइडिया सरकार देती है, अपनी मंशा सही है लेकिन आप मेरे खिलाफ और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

तो इम्प्लीमैंट कर देंगे एक्शन। मंत्री महोदय, मेरी आपसे यह अर्ज है कि वह एक्शन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ क्यों नहीं होता? अपन सत्ता में बैठे हैं, मैं तो खुद ब्यूरोक्रेसी में रह चुका हूं, मेरे उनसे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं बट यह प्रिंसीपल का सवाल है। मैं यह आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, कि मुझे तो एक्चुअली बहुत ही बुरा लगता है, शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सन् 1976 में क्यों तो लाखों रुपये खर्च किये कानसिंह कमीशन पर और मल्हन कमेटी पर मल्हन साहब कोई जन प्रतिनिधि तो थे नहीं। वही शख्स अगर आपको फाइनेंस पर एडवाइस करता जाए तो यह सब बिल्स की जो मोरेलिटी है, इसके पीछे जो मोरेलिटी है, अगर इम्प्लीमैंटर ही कन्विक्टेड हो तो माफ करना, यह बिल्स में आप जो ला रहे हैं, अंकुश लगाना चाह रहें हैं, या तो आप इस अंकुश को सब पर बराबर लागू रखो। यह बिरादरी ढाई सौ-तीन सौ से ऊपर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या सांप खा जाता है जन प्रतिनिधियों को कि जैसे ही मंत्री बनते हैं या एम.एल.ए. बनते हैं, नहीं-नहीं। दो सब्जैक्ट्स पर तो ऐसे बोलते हैं, एक तो जुडीशियरी पर कि जुडीशियरी का कुछ भी हो तो मंत्री या गवर्नमैंट एकदम नहीं-नहीं, जुडीशियरी की बात ही मत करो। क्यों नहीं करो? अगर एक कोई करप्ट जज है और अगर किसी के पास सबूत है और मैं असेम्बली में लाना चाहूं, क्यों मुझे रोकते हैं? मंत्री महोदय, क्योंकि आप इतने अनुभवी हैं, नये अपने मुख्य मंत्रीजी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली उनका एक्सपीरियंस, काफी एम.एल.ए. शिकायत करते हैं कि, साहब, वह पकड़ नहीं है। भई, पकड़ कैसे नहीं है? अगला आदमी तीन-तीन बार पी.सी.सी. का चीफ बन गया, चीफ मिनिस्टर बना है, भाग्यशाली है। लेकिन आप जो अनुभवी हैं खेतसिंहजी साहब, कमलाजी, चन्दन मलजी साहब, आप 54 से मंत्री बन पधार रहे हो..(व्यवधान) भीखा भाईजी..

श्री रामनारायण विश्नोई : आपकी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहते ये, जल्दी बाहर नहीं होना चाहते। (व्यवधान)

(16.15 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो सिर्फ दो शब्द में, मंत्री महोदय, आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। आपको मालिक उम्र, आप तो उसको डिनाई करते रहते हैं, मैं कहता हूं आप सौ साल और जिओ। फरमाएंगे कि नहीं, मेरे को तो इतनी उम्र नहीं चाहिए। लेकिन आपका जो पचास साल का, चालीस साल का अनुभव है, प्लीज, इस यंग बड़े डायनेमिक मुख्य मंत्रीजी को आप कुछ शिक्षा दें आप सब लोग मिलकर। ब्यूरोक्रेसी पर आप अगर अंकुश नहीं लाये, मंत्री महोदय और अगर क्रिमिनली कन्विक्टेड बाई द हाउस एण्ड कमेटी ऑफ द हाउस एण्ड मल्हन कमेटी का कोई कन्विक्टेड हो और उस पर आपने एक्शन नहीं लिया तो यह ब्यूरोक्रेसी आपको जीने नहीं देगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग पर दो-दो मिनट ही बोलेंगे साहब, मुझे मालुम है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलें, बोलें। आप दोनों में तय कर लें, पहले कौन बोलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये बोलेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह इन्टरनेशनल मसला नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, द राजस्थान (रैगुलेशन आफ अपाइंटमैंट्स टू पब्लिक सर्विसेज एण्ड रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ) बिल, 1999 के आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स यही हैं कि बैक डोर एन्ट्री से जो नौकरी मिल जाती है उसको रोका जाए तो हम भी सहमत हैं। पर यह रुकेगा नहीं। जो पहले कानून बने हुए हैं, उसी से रुक सकता था, इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप लेकर आ गये हैं यह काम्पीटैंट आथोरिटी और यह, इसमें लैकूनाज इतने हैं कि वही होगा जो होता आया है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी यह भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी के अन्दर इतने अपाइंटमैंट्स हो गये। अपने चांसलर हैं गवर्नर साहब और जैसे मध्यप्रदेश के अन्दर इनकी अथारिटीज को कम किया गया है, उनके पावर्स को कम किया गया है, उनके अपाइंटमैंट्स कम कर दिये गये हैं कि वे नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वही रास्ता अपनाना चाह रहे हैं आप लोग यहां राजस्थान में। क्योंकि अपन जानते हैं कि आपकी सरकार उसी पैटर्न पर चलती है जो मध्यप्रदेश में होता है। इसलिए यह भी रास्ता आप खोलना चाह रहे हैं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि अभी कुछ क्षणों पश्चात् ही यह कानून पास हो जाएगा। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान लोक सेवा में नियुक्तियों का विनियमन के स्थान पर इसका राजस्थान लोक सेवा में नियुक्ति पर प्रतिबंध और स्टाफ सुदृढ़ीकरण नाम होता तो शायद ठीक रहता। मेरा तो माननीय वित्त मंत्रीजी से यही निवेदन है कि इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे। धारा 4 के अन्दर तो आपने नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आज राजस्थान के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, हजारों नहीं, दो लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अस्थाई रूप से सरकार में काम कर रहे हैं और ज्यों ही यह कानून पास हो जाएगा, कुछ क्षत्रों के पश्चात् उन पर तलवार लटक जाएगी क्योंकि इसका सैक्शन 9 यह कह रहा है। उसके साथ एक मैं और निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि मैंने पहले भी कहा है, वित्त मंत्रीजी के स्वभाव में बदलाव तो आ रहा है क्योंकि आजकल कुछ-कुछ ये प्रतिपक्ष के सुझावों को भी मानने लगे हैं–

श्री उपाध्यक्ष : आपका असर हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर थोड़ा समय लगेगा। असर मैं समझता हूं, निश्चित तौर पर आप खुद ही महसूस कर लेंगे। आपने जो चुनाव में घोषणा की उसके विपरीत–

श्री चन्दन मल बैद : मैं जीतते-जीतते आपके दादाजी जहां गये हैं, वहीं चला जाऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, कैसे जाओगे आप?

मैं तो एक ही निवेदन करूं कि सैक्शन 9 के अन्दर एक नोटिस देकर आप जिन टैम्परेरी लोगों की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार ले रहे हैं, वित्त मंत्रीजी, अभी भी समय है। इसके अलावा सैक्शन 11 के अन्दर तो कमाल ही है, साहब कि जो व्यक्ति न्यायालय में जीत गया, उस डिक्री की पालना नहीं होगी। वाद न्यायालय में चल रहा है, कई वर्षों से लोग लड़ रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि महीने में, दो महीने में, चार महीनें में फैसला होगा, वे भी सारे सैट-असाइड हो गये और जिसके पक्ष में फैसला हो गया है वह डिक्री भी लागू नहीं होगी। एक रिव्यू कमेटी के नाम पर आप हजारों पोस्टें खतम करेंगे, हमें एतराज की बात नहीं है। परन्तु मेरा निवेदन आपसे यही है कि अभी इसमें जो संशोधन लेकर हम आये हैं इन पर विचार करें। आपने इसके जो उद्देश्य और कारण लिखे हैं उनसे हम। असहमत नहीं हैं लेकिन होगा वही, ढाक के तीन पात। आप विश्वविद्यालय और उनका जो नाम ले रहे हो, यह आपके कानून की पकड़ के दायरे से बाहर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री जगत सिंह दायमा : पिछड़ों के लिये, दलितों के लिये कुछ बोलने की जरूरत समझी हो, एक शब्द भी बोले कभी? यह कर दो, वो कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, करीब पांच घंटे से इस बिल पर बहस हो रही है और एक-एक चीज का कम से कम आधी दर्जन बार मैं उत्तर दे चुका हूं। इस वास्ते, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और समय नहीं लेकर आपसे प्रार्थना करुंगा कि इस बिल को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टॉफ का सुव्यस्थीकरण) विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया जाऐ?

(स्वीकृत)

राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टॉफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक का स्थगन

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री चन्दन मल बैद : कल राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को मैंने आज के लिये स्थगित करवाया था, मैं प्रार्थना करता हूं इसको फिर स्थगित कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को डैफर करने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पर विचार स्थगित किया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। बहुत बोल लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहते हो तो नहीं बोलते।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। श्री रामनारायण चौधरी। श्री अमराराम जी। श्री मदन दिलावर। श्री शिवनाथ सिंह जी। प्रभारी मंत्री जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देते हुए यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए एवं पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया एवं पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री बुलाकीदास कल्ला, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार 1 खंड 2, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 2 (क) में अभिव्यक्ति "निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड - 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बात मैं पूछना चाहता हूं यह एक छोटा-सा बिल है जो आपने दिया है, उसमें भी सरकार को संशोधन देना पड़ता है? यह क्या विचार करके नहीं लाती है? कितने संशोधन लाएंगे? नहीं, यह हो गया पास, मैं आपत्ति नहीं कर रहा, पास नहीं हुआ और पास हो गया तो हो जाये, विरोध थोड़े ही कर रहा हूं पास का।

श्री उपाध्यक्ष : आप ही तो कह रहे हो, पास करो।

श्री भंवरलाल शर्मा : पास का विरोध नहीं कर रहा हूं। आप लाइए, अच्छी बात है, आप सरकार चलाइए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप लोगों के जो ध्यान में नहीं आया वह मेरे ध्यान में आया और मैंने किया है, यह अच्छी बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसका तो धन्यवाद। आप जो बिल पेश करते हो उसके सरकारी अमैंडमैंट इतने आते हैं, यह पहले क्यों नहीं करते आप?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

विधेयक का पारण

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को संशोधित रूप्र में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999

श्रीमती जकिया, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग, विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, यह मेरा संशोधन प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। महिलाओं का उत्पीड़न होता है, वे पीड़ित होती हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। इस महिला आयोग के गठन से हमें यह आस थी कि इस प्रकार के प्रावधान होंगे जिससे कि महिलाओं में एक जो हीन भावना व्याप्त है वह दूर होगी और पुरुष वर्ग की महिलाओं के प्रति उपेक्षा है वह समाप्त होगी। बहुत-सी बातें ऐसी हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मानता हूं, समय की तरफ आप देख रहे हैं इसलिए मेरा यह निवेदन है कि माननीया मंत्री महोदया इस बात को स्वीकार कर लें। हमने तीन मंत्रियों की याचना स्वीकार की है, बिना बहस के बिल पास किये हैं इसलिए सदस्यों की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप सलैक्ट कमेटी में भेज दीजिये। सलैक्ट कमेटी इसको थारोली देखकर जांच करेगी। कोई इसमें...

श्री जकिया : लेकिन उस पर कोई रीजन को तो आप दें कि सलैक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : वह तो आप सुनेंगी तो दिनभर लग जाएगा, इस झगड़े में क्या पड़ना चाहो आप? पहला काम तो यह है।

श्रीमती जकिया : कमाल है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप सलैक्ट कमेटी में यह मान रहे हो कि...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : शिवनाथ सिंह ज़ी सही फरमा रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं चीफ व्हिप साहब से निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ा बिल है, महत्वपूर्ण बिल है, यह सलैक्ट कमेटी में चला जाए, कोई नुकसान नहीं है। आर्ग्युमैंट जानना चाहते हो तो आर्ग्युमैंट मैं दे रहा हूं आपको। माननीय उपाध्यक्ष ज़ी, इस बिल को माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं कि क्यों भेजा जाए। सबसे बड़ा लैकूना इसमें रखा गया है पुरुष वर्ग से...

श्री दिग्विजय सिंह: इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आए जब बोलो न, माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : सबसे बड़ा लैकूना तो इसमें यह है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव जनमत जानने हेतु है?

श्री शिवनाथ सिंह : हां, जनमत जानने हेतु है, दोनों में साथ बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने वाला मैं नहीं चाहता इसके स्तर पर। माननीय मंत्री महोदया, सबसे बड़ा लैकूना इसमें यह है, यह मानकर चला गया है कि इस विधेयक में अत्याचार पुरुषों की तरफ से ही महिलाओं पर होते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं पर महिलाओं का ज्यादा अत्याचार होता है, बहु पर सास का अत्याचार ज्यादा होता है, भाभी पर ननद का अत्याचार ज्यादा होता है। उस पहलू को इस बिल में कहीं टच नहीं किया गया। और भी ऐसे प्रावधान हैं इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप, माननीय चीफ व्हिप महोदय, ऐसी इनको राय दीजिये ताकि समय सदन का नहीं लिया जाए। इसको सलैक्ट कमेटी में भेजने के लिए आप मान लो क्योंकि इसमें आपका भी महत्व बढ़ेगा। सलेक्ट कमेटी बैठेगी, आप उसको प्रिसाइड करेंगे, हम माननीय सदस्य आपको राय देंगे और अच्छा बिल सामने आएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे सलैक्ट कमेटी में भेजा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पांइट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट ऑफ आर्डर है?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइंट ऑफ आर्डर यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने दो-तीन घंटे पहले जो बीना जी ने प्रोग्राम किया था उसके बारे में 6 बजे की सूचना दिलवायी थी। शिवनाथ सिंह जी और कुछ और माननीय सदस्य सजेशन दे रहे हैं उसका तो आप, सरकार और चीफ व्हिप साहब निर्णय ले लें, मेरी सिर्फ यही अर्ज है कि 6 बजे तक यह डिस्कशन नहीं होगा, यह सब्जैक्ट इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए, मंत्री महोदया, आप इसे प्रवर समिति को भेजें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट ऑफ आर्डर क्या है?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट ऑफ आर्डर यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था यह चाहता हूं कि या तो यह डिस्कशन अगर 10 बजे तक चले तो इसको चलने दें, 6 बजे तक कोई मूड नहीं बनेगा सदन का।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा कि 5 बजे समाप्त हो जाएगा। मैंने यह कहा था कि सदन की इच्छा है, यदि सम्भव हो तो आप इसको 5 बजे समाप्त कर दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आप सही फरमा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लेकिन, जिस हिसाब से बिल्स पास हुए हैं, हाउस का मूड यह है कि उस प्रोग्राम में जाना है। मेरा मूड यह है, हम लोगों का मूड यह है। अगर यह बिल भागते-भागते पास हुआ तो, मंत्री महोदया, सही नहीं रहेगा। या तो आप जैसे वित्त मंत्री जी ने पोस्टपोन किया, आप भी पोस्टपोन कर दें नहीं तो फिर इसमें डिस्कशन भरपूर रखें।

श्री उपाध्यक्ष : Let it continue.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां।

श्री के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोग्राम एक्स्ट्रा आर्डिनरी अच्छा हो रहा है, फिर रेअरली देखा जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों बातें साथ नहीं हो सकतीं।

श्री के. सी. चौधरी : नहीं, यह काम तो फिर भी कर लेंगे, वह आज ही है।

श्री उपाध्यक्ष : Business of the House is more important than that programme.

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस का बिजनस समाप्त कर रहे हैं, टाइम भले से ही दे दें, जो ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, It is to your sweet will. If you want to finish it early finish it. If you want to continue it till 10 O'clock, continue it. I have no objection.

श्री दिग्विजय सिंह : But if you just permit me and listen to me, I will be highly obliged.

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम है?

श्री दिग्विजय सिंह : If you just give me a chance to put my view.

श्री उपाध्यक्ष : आगे आपका नाम है इसमें।

श्री दिग्विजय सिंह : That is apart from it. I am supporting to what Hon. Mr. Narendra Singhji.

श्री उपाध्यक्ष : There is no question of supporting it.

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, मैं यह कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I have said it.

श्री दिग्विजय सिंह : यह जो विधेयक है इसको परसों दिया, टाइम तो मिला नहीं पढ़ने का। परसों उन्होंने यह भी प्रस्ताव कर दिया था कि इसको पारित भी करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हो?

श्री दिग्विजय सिंह : उस समय यह कहा था कि जल्दी में नहीं होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट विधेयक है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हो?

श्री दिग्विजय सिंह : हम चाहते हैं कि...

श्री उपाध्यक्ष : We are not in hurry.

श्री दिग्विजय सिंह : आज हाउस एडजोर्न हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : एडजोर्न हो रहा है तो We are not in hurry. आप रात के दो बजे तक बैठें न, कौन रोक रहा है आपको? We are not in hurry. You are in hurry.

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा तो है ही, मैं बोलूंगा, पर वह जो बात कह रहे हैं, मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं उस चीज से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट बिल राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 विधान सभा के अन्दर प्रस्तुत हुआ है। केन्द्र में भी ऐसा आयोग है जो पूरे भारत में लागू है। राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन पहले नहीं आया। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह शुरुआत की है। इस बिल का सम्बन्ध महिलाओं के अधिकारों से है, उनसे सम्बन्धित इसमें व्यवस्थाएं हैं। मान्यवर, हमारे भारतवर्ष में महिलाओं का जो पिछड़ापन है अनेक प्रकार की उनकी तकलीफें हैं, उन पर अत्याचार हैं, यह अपेक्षाकृत राजस्थान में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा है। यहां शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से समाज में पिछड़ापन है, महिलाओं के प्रति अत्याचार ज्यादा है, महिलाओं का ऐसे समाज में सम्मान कम हैं। आप यह जो बिल महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के निवारण में उनकी सुनवाई के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए और समाज में पुरुषों के बराबर लाने के लिए लाये हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, स्वागत योग्य है। राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा भारतवर्ष के अन्दर न्यूनतम है। मान्यवर, पुरुषों में कम है और महिलाओं में उससे और भी कम है। राजस्थान में कितनी ही भ्रांतियां हैं महिलाओं के बारे में, अंधविश्वास है, महिलाओं के बारे में, जिनके निवारण में यह आयोग, यह कानून महत्त्वपूर्ण मदद उनको करेगा। मेरा तात्पर्य यह था, मान्यवर, कि यह बिल लोगों की जानकारी में नहीं है और विधान सभा में भी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से लाया गया है। यह सचिवालय में कल ही छपकर आया है और आज सुबह ही हमें मिला है इसलिए अधिकांश माननीय सदस्यों को इसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला है, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है। इस स्थिति को आपको, सरकार को और माननीय सदस्यों को समझना चाहिए, गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए। हम छोटा काम नहीं करने जा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा काननू बनने जा रहा है। कानून अच्छा प्रस्तावित है लेकिन अपने आप में परफैक्शन दुनिया में कहीं नहीं है। वह परफैक्शन इन्सान में भी नहीं है इसलिये कमी रहना स्वाभाविक है। बहुत कमियां हैं। मेरा यही सुझाव था, मेरे प्रस्ताव के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित

(श्री. रामनारायण चौधरी)

किया जाए। तमाम महिला आर्गेनाइजेशंस में तमाम बालिकाओं की स्कूलों में, कॉलेज में, पुरुषों की और महिलाओं की सब संस्थाओं में इसके बारे में राय ली जानी चाहिए थी। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना सम्भव हो सकता था, लोअर लेवल के ऊपर, ग्राम पंचायत स्तर तक, इसके ऊपर डिस्कशन् किया जाना चाहिए था कि आम लोगों की, ग्रास रूट की, गांव की, शहरों की, इसके बारे में क्या ओपीनियन है, क्या सुधार लाये जा सकते हैं, किस प्रकार से इस कानून को समृद्धशाली बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव दिया था, मैं इसमें कोई बाधक नहीं बनना चाहता था, मान्यवर। चाहे एक ही आवाज के अन्दर इसको पास कर सकते हैं, मैं तो उसमें भी सहयोगी रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. सांवरलाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य महिला आयोग, विधेयक, 1999 सदन में पेश हुआ। इसके लिये तो मैं मंत्री महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पास हो इसके लिये किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यह आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। परन्तु आप जानते हैं कि राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है, और महिलाओं में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, किसानों की महिलाएं कहां हैं। आपको भी मालूम है कि बालिका शिक्षा का स्तर कम है, महिलाएं अनपढ़ हैं। गांवों की महिलाएं तो अंगूठा लगाना और घूंघट निकालना जानती हैं। उनके लिये यह कानून बन रहा है, उनको पता नहीं है कि किस-किस प्रकार के प्रावधान इसमें सम्मिलित किये गये हैं। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। आने वाले समय में राजस्थान में महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिये यह कानून बन रहा है, इसलिये मेरा निवेदन इसमें यह है कि ढाणी में बैठी हुई महिलाओं को भी यह पता होना चाहिए कि उनके लिये क्या कानून बन रहा है, उस कानून में उनकी किसी समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। उनकी रायशुमारी भी इसमें सम्मिलित हो। पंचायत लेवल, पंचायत समिति और ग्राम रुट तक की महिलाओं की जो राय है वह राय इस कानून को बनाने में महत्वपूर्ण हो सकती है इसलिये इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। मेरे ख्याल से इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार यह कानून एज-इट-इज पास हो गया तो फिर कोई नये-नये सुझाव होंगे उनको सम्मिलित करना बड़ा मुश्किल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, एक बार कानून अगर सरकार बना देती है तो बनने के बाद सरकार उस कानून के हिसाब से चलना प्रारम्भ कर देती है। उसमें कोई कमियां हैं कि नहीं हैं, उसको कब ठीक करती, कब नहीं करती। इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन है कि इसमें सुदूर

(श्री सांवर लाल)

देहात की महिलाओं के भी कोई सुझाव हों, उनकी कमियां हों, उनकी परिस्थितियां हों। कई तरह की समस्याएं हैं, यहां शहर की महिलाओं की अलग होती हैं, गांव की महिलाओं की अलग होती हैं। जैसे शहर में महिलाओं को कोई उठाकर नहीं ले जाते हैं, अभी बामनवास से माननीय सदस्य आये हैं, एक महीने से एक ही बात उठा रहे हैं कि काली का अपहरण हो गया। इस प्रकार की समस्याओं को कैसे रोका जाए? ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। इसमें किसी प्रकार से, किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है कि यह विधेयक पास हो, परन्तु जल्दबाजी नहीं हो। इसको जनमत जानने के लिये, बाइडेस्ट स्तर पर, गांव के स्तर पर इसका प्रसारण करें तो मेरे ख्याल से, मंत्री महोदया, आप बहुत उपयोगी अधिनियम महिलाओं के उत्थान के लिये बना सकेंगी। आपसे मेरा यही अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दोनों ही तरफ से दलीलें दे रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है और कुछ चर्चा, स्टडी नहीं की है तथा कुछ और बेहतर इसको बनाया जा सकता है। आयोग के बारे में गांव की दूर-दराज बैंठी महिला भी यह जानती है कि हमारे हकों को दिलाने के लिये, हमारा उत्पीड़न रोकने के लिये यह आयोग बनाया गया है। आप जो अध्ययनकर्ता हैं, उनको आगे भी समय मिलेगा, अगर कोई कमी रह जाए तो आगे विधान सभा आएगी उसके अन्दर आप संशोधन पेश कर दें। आज अगर आप इसको पास नहीं करने देंगे तो..(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइण्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : सारे देश में मेसेज यह जाएगा कि राजस्थान की विधान सभा में महिला आयोग का बिल आया उसको पास नहीं होने दिया और बाकी सारे बिल पास कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। पाइण्ट आफ आर्डर तो आपको लेना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है आपका पाइण्ट आफ आर्डर?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो चेयर को धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान) यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुझे तो रूल बताने के लिये कहा आपने..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यही तो पूछ रहा हूं कि क्या पाइण्ट आफ आर्डर है? (व्यवधान) यही तो पूछ रहा हूं उनको। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह पाइण्ट आफ आर्डर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था यह चाहता हूं, मेरा कमला जी पर कोई..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस रूल पर पाइण्ट आफ आर्डर है आपका?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 294 पर।

श्री उपाध्यक्ष : 294 लाओ, इसमें कोई पाइण्ट आफ आर्डर है ही नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : A matter of..... (Interruption)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप नियम से चलिये। यह क्या पाइण्ट आफ आर्डर है?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, तो बोलने तो दीजिए। मैं बोलूंगा तब आप...

श्री उपाध्यक्ष : Don't say a point of order. You say that you want to say something.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : No, No, It is a point of order.

श्री उपाध्यक्ष : Under what rule?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I am telling you.

श्री उपाध्यक्ष : Now quote your rule.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यस, 294.

श्री उपाध्यक्ष : Read it.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, तो, आप सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : किसलिये हैं? Let him find out. Let him come.

श्री रामनारायण चौधरी : इतनी देर में तो हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हो जाता। उनको भी सीखने को मिल रहा है, मुझे भी सीखने को मिल रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह परम्परा रही है विधान सभा में बरसों से, सन् 1952 से अब तक।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Rule 294(2); A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment.

श्री उपाध्यक्ष : What is the business before the House?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : The business of the House at the moment is..... आप इस पर व्यवस्था दिलवाना, उपाध्यक्ष महोदय। मंत्रिमण्डल बना है, इंडिपैंडैंट चार्ज मिला है, Each Minister is competent to answer regarding his or her own department. ठीक है, अगर मंत्री महोदया यहां प्रजैण्ट नहीं होतीं तो मंत्रिमण्डल के किसी भी सदस्य को...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें रोक कहां है? कोई मंत्री इंटरबीन नहीं कर सकता है। कोई रोक नहीं है।

श्रीमती कमला : मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रही हूं, मैं अपनी हैसियत से बोल रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : No. I don't accept you point of order. Government can intervene. Any Minister can intervene.

श्री सुरेन्द्र व्यास : कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I know collective responsibility. My contention is that is doesn't reflect well on the Minister sitting there.

श्री उपाध्यक्ष : I don't allow your point of order.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मत करिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। डा. किरोड़ीलाल।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं से सम्बन्धित जो विधेयक लाया जा रहा है यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। जैसा कि माननीय सदस्य बोल रहे थे, गांव की महिला तक ग्राम पंचायत स्तर तक इस विधेयक की जानकारी पहुंचनी चाहिए। यह नितान्त आवश्यक है। राजस्थान में जिस ढंग की महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं उससे मैं यह मानकर चलता हूं कि जनमत के लिये, जानकारी के लिये दिया जाना चाहिए। इसमें कुछ पाइण्ट ऐसे हैं, जैसे पेज नम्बर 2 पर पैरा 6 में लिखा है कि सचिव ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगी जो उस पद और संवर्ग पर लागू हैं, जिससे उसे लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह बात क्लीयर करना बहुत जरूरी है कि यह सचिव राजस्थान हायर जुडीशियल सर्विस की होंगी या आई.ए.एस., आर.ए.एस. से होंगी, क्योंकि इस आयोग में कुछ लीगल अधिकार भी दिये हैं। इसमें इस बात को क्लीयर नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी पेज पर यह लिखा है कि 4 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और एक पिछड़ी जाति की महिला होगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अधिकतम महिला उत्पीड़न के मामले अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रकाश में आये हैं। इसलिये एक सदस्य अनुसूचित जाति की, एक अनुसूचित जनजाति की और एक पिछड़ी जाति की होनी चाहिए, यह शब्द इसमें आना चाहिए। अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की जो शब्द है, इसमें करैक्शन होना बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक इसमें लिखा है...(व्यवधान) मैं कारण बता रहा हूं जनमत जानने के लिए,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अभी खण्डवार वापस डिस्कशन होगा, उसमें आएगा, अभी तो आप जनमत जानने वाली बात करिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जनमत जानने के लिए ही मैं कुछ रीजन्स बता रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें खण्डवार आएगा न।

डा. किरोड़ी लाल : रीजन तो बता सकते हैं, इसमें रीजन तो...

श्री उपाध्यक्ष : वापस अभी आएगा न आगे, उसमें बोलना।

डा. किरोड़ी लाल : जनमत जानने के लिए भेजने की दृष्टि से मैं कुछ कारण आपकी नजर में डाल रहा था...

श्री उपाध्यक्ष : आप उसमें रिपीट करोगे वापस।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, साहब, मैं फिर नहीं बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो भारतीय दंड संहिता के कुछ हवाले दिये हैं, उससे ऐसा लगता है कि यह केवल इन्वैस्टिगेटिंग एजेंसी रह जाएगी। इन्वैस्टिगेटिंग एजेन्सी के साथ-साथ ट्रायल एजेंसी जरूर होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अन्वेषण करना और अन्वेषण कराना, इससे मैं यह समझ नहीं पाया कि क्या यह महिला आयोग, एक लीगल अथोरिटी जिसको दी गयी है, यह पुलिस को डाइरेक्शन दे सकेगा क्या? उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कुछ मामले और हैं, जिससे मैं चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए इसको भिजवाया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वागत करना चाहूंगा, जिस उद्देश्य को लेकर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सीट से बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो न, क्यों टाइम खराब करते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से यह बिल सदन के सम्मुख लाया गया है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में यह महती आवश्यकता है। महिलाएं हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और समाज के विकास और प्रगति की भागीदार महिला तब ही होगी जब महिला अपने आपको सुरक्षित महसूस करे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके उद्देश्यों में कहा गया है कि पुरुष और महिला में साक्षरता में जो अन्तर है, उसको बढ़ाएंगे, राजनैतिक और सरकारी संस्थाओं में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व है, इसको दूर करने का काम करेंगे। पूरा यह विधेयक मैंने पढ़ा है, इसमें मुझे यह कहीं नजर नहीं आया। हम उद्देश्य तो अच्छे-अच्छे लिख दें पर उनको अमलीजामा पहनाने के लिए किसी तरह की व्यवस्था इसमें हो, इस तरह का मुझे कोई एहसास हुआ नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस अधिनियम में धारा 3(2) में आयोग के गठन के बारे में चर्चा की गयी है कि आयोग में एक अध्यक्ष और सचिव सहित चार से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की महिला की तो बात की है परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे वर्ग को हम छोड़ रहे हैं, जहां महिलाओं की साक्षरता इस राजस्थान में सबसे कम है, यानि अल्पसंख्यक वर्ग। आज वास्तविक रूप से, सामाजिक रूप से अगर उत्पीड़ित महिला सबसे ज्यादा कहीं है तो अल्पसंख्यक वर्ग के अन्दर, जहां महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई प्रेरित करे, उसको भी बुरा मानते हैं। मंत्री महोदया, आप स्वयं भी उस वर्ग से आती हैं। आपने उस वर्ग को अच्छी तरह से देखा है, उसकी पीड़ा को देखा है। उस वर्ग की महिला

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किस स्थिति में है उसको देखा है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसमें एक अल्पसंख्यक महिला और हो, इसका प्रावधान आप निश्चित तौर पर करें। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्रीमती बीना काक : हमीदाजी को रख दें क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, हमीदाजी को रख दें तो मैं स्वागत करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मगर अश्क अली को हटा देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था कि यह राजस्थान राज्य महिला आयोग एक आयोग की तरह काम करे, एक स्वायत्तशासी संस्था की तरह काम करे। यह आयोग अपने कार्यों में किसी तरह की दखलन्दाजी महसूस नहीं करे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य-सूची की समाप्ति तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है कि सदन का समय आज की कार्य-सूची पूरी होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक को जिस तरह से लाया गया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है, आ रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहो, साहब, कि खेतसिंह जी के बिल तक समय बढ़ाया जाए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं। संशोधन पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष जी, बहुत बढ़िया आदमी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 8 के अन्दर अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, इसका वर्णन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके सैक्शन "च" में कहा है—सरकार की राय में उसमें अध्यक्ष या सदस्य के पद का अन्यथा इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, इस पद पर बना रहना लोकहित में अहितकर हो गया हो, इस बहाने से उसको, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, सदस्य को हटाया जा सकता है। यानि कि एक तरह से यह सरकारीकरण हो गया। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो भी इस विधेयक के अन्दर मनोनीत किये जाएं...

मोहम्मद माहिर आजाद : अब तो बस करो। महिला के लिए है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनको किसी तरह सरकारी दखलन्दाजी नहीं रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मित्रों की बेचैनी को समझता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा परन्तु मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस विधेयक के अधिनियम संख्या दस में इसको सिविल कोर्ट के अधिकार दिये गये हैं और 10(2) में इसको इन्वैस्टिगेशन करने के अधिकार दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी मामला महिला उत्पीड़न का हो, पुलिस में प्रकरण दर्ज हो गया, महिला आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन चला गया। एक तरफ पुलिस ने इन्वैस्टिगेशन करना प्रारम्भ कर दिया, एक तरफ महिला आयोग ने, क्योंकि उसको आपने कोर्ट के अधिकार दिये हैं। सैक्शन 12 के अन्दर आपने पूरा अधिकार दिया है और सैक्शन 13 के अन्दर जो जुडीशियल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने का अधिकार दे दिया। इसके अलावा आई.पी.सी. की धारा 175, 178, 179 और 180, जो कोर्ट के अन्दर दस्तावेज प्रस्तुत करने से लेकर शपथ और लोक सेवक के सम्मुख उठे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं, ये सारे अधिकार भी आपने दे दिये। अब इसके अन्दर कोई भी मामला चला गया, कोई शिकायत चली गयी, महिला आयोग ने उस पर सुनवाई प्रारम्भ कर दी, उस पर इन्वैस्टिगेशन प्रारम्भ कर दिया। उधर वही मामला पुलिस में चला गया। पुलिस के अन्दर उस मामले में एफ.आर. लगती है और महिला आयोग कहता है कि नहीं। महिला आयोग को आपने जो पावर दिये हैं, जुडीशियल पावर एक्सरसाइज करने के, वे सक्षम कोर्ट को भेज देते हैं कि इसके अन्दर कार्यवाही की जाए। सक्षम न्यायालय इसकी सुनवाई प्रारम्भ करें तो दोनों में कोण्ट्राडिक्शन हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी खामी इसके अन्दर है कि पुलिस का इन्वैस्टिगेशन कुछ कहे, महिला आयोग का इन्वैस्टिगेशन कुछ कहे। इसलिए, मंत्री महोदया, जिस भावना से आप लेकर आयी हो, उसका तो मैं स्वागत करूंगा परन्तु उसमें इन्हेरेंट कुछ कमजोरियां, कुछ खामियां रह गयी हैं। इस बार नयी सरकार का विधि विभाग किस तरह काम कर रहा है, हमारी समझ के बाहर की बात है। माननीय विधि मंत्रीजी ने इस सारे मामले को बड़े यूं हल्केपन से ले लिया कि सदन के अन्दर कोई किसी भी तरह का विधेयक, आये, विधि मंत्री चलते-चलते, दौड़ते-दौड़ते दस्तखत करते हैं। उसी का कारण है कि यह कोण्ट्राडिक्शन आ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस आयोग के बारे में जब चर्चाएं उठेंगी तब लोग देखेंगे कि भावनाएं तो अच्छी हैं परन्तु भावनाओं के साथ-साथ इतना बड़ा आपस में कोण्ट्रावेंशन खड़ा कर दिया है कि यह आयोग काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि आप इसको एक बार वापस ले लें, और इसको रीराइट करवाएं रीराइट करवाकर इसको लें। इसका विरोध

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं है। ये रचनात्मक सुझाव आपके सम्मुख उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैंने निवेदन किये हैं, कहीं विरोध नहीं है। परन्तु जिस फुर्ती से, बार-बार घोषणा करने की आदत है सरकार की कि महिला आयोग लेकर आएंगे और जिस तरह से आपकी लगाम से अधिकारी बाहर होते जा रहे हैं मुझे तकलीफ है। मैं, मंत्री महोदय, आपको सावचेत करता हूं कुछ मंत्रियों के बारे में तो पता लगने लग गया है कि अधिकारी उन मंत्रियों से बड़े हैं परन्तु आपके बारे में कहीं यह धारणा समाज में नहीं चली जाए। इसलिए इस कानून को आप पढ़ें और पढ़कर इसमें जो कोण्ट्रावेंशन है, उनको आप दूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप यह जो विधेयक लेकर आये हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : संयम लोढ़ा।

(17.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 के सम्बन्ध में चर्चा को सदन में जिस फौरी तौर पर लिया जा रहा है उससे हमारी मानसिकता का पता चलता है। पिछले सैंकड़ों सालों से मानव जाति की सारी शक्ति का जिस रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिये था, वह मूल्यांकन नहीं किया गया। अगर हम दृष्टिपात करें पिछले सैंकड़ों वर्षों की ओर तो आज हमें महिलाओं में एक भी ऐसी शख्सियत नजर नहीं आती, उसका मूल्यांकन उस रूप में नहीं किया गया कि समाज में उन्होंने कुछ सार्थक योगदान किया हो। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सैंकड़ों वर्षों से घटनाओं का, इतिहास का जो विवेचन किया गया या लिखा गया वह पुरुषों द्वारा लिखा गया और उस मानसिकता से ही लिखा गया जिसमें महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी। अब पिछले कुछ सालों से चेतना का वातावरण बना है। 1990 में राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनने के बाद 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। देश के अनेक राज्यों में उसके बाद इस तरह के आयोगों का गठन हुआ। उनके क्रियाकलाप की ओर देखें तो कोई बहुत सार्थक योगदान इन महिला आयोगों के माध्यम से नहीं मिला। राजस्थान में जिस महिला आयोग को बनाने के लिये विधेयक का प्रस्ताव किया गया है, यह बहुत कमजोर आयोग के गठन का प्रस्ताव है। सबसे जरूरी बात यह है कि समाज में महिलाओं को लेकर जो मानसिकता लोगों की है उस मानसिकता को बदला जाए। पर उस मानसिकता को बदलने के लिये जिन ठोस प्रावधानों की जरूरत है वे इसमें नहीं किये गये हैं। भय बिना प्रीत नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी इस तरह के प्रावधानों का अभाव है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रावधान आपने इसमें किये हैं उनके साथ आप इसमें इस बात का प्रावधान भी करें कि आयोग से संबंधित मामलों में, महिलाओं से संबंधित मामलों में जो अधिकारी उसकी

(श्री संयम लोढ़ा)

भावनाओं के अनुरूप निर्देशों का पालन नहीं करे तो उन्हें दण्डित करने का अधिकार इस आयोग को हो। ऐसा होने पर ही यह आयोग सक्षम और प्रभावी रूप से महिलाओं की उन्नति के लिये काम कर सकेगा।

दूसरा, हम व्यवहार में देखते हैं कि जब महिला उत्पीड़न के कई मामले हमारे सामने आते हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग उन मजलूम महिलाओं के न्याय के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि 498-ए और 306 भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत जो मामले होते हैं (व्यवधान) वह किया हो तो मेरे पर मुकदमा चलवा देना आप।

उन मामलों में सत्ता में बैठे हुए नेता पुलिस पर इस बात का दबाव डालते हैं कि 498-ए के मामले में एफ.आर. दी जाए, 306 के मामले में एफ.आर. दी जाए। जो न्याय का मकसद है, जो इन प्रावधानों का मकसद है, उस मकसद की हत्या हो जाती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आयोग को एक स्वतन्त्र और स्वायत्त रूप में गठित किया जाए और दलगत राजनीति से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको इस आयोग में सदस्य नहीं बनाया जाए, अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। जो स्वतन्त्र महिला संगठन हैं, जो महिलाओं के हित में स्वतन्त्र रूप से काम कर रहे हैं, उन महिलाओं को इसमें नामजद किया जाए जिससे वे ईमानदारी से मजलूम महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस काम कर सकें।

दूसरा प्रावधान आपने यह किया है कि हम एस.सी., एस.टी. में से एक महिला को लेंगे, एक महिला ओ.बी.सी. में से लेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपने अध्यक्ष और सचिव समेत इस आयोग की संख्या पांच रखी है, उसको बढ़ाकर आप आठ करें जिससे वाकई जो हम न्याय देना चाहते हैं महिलाओं को वह लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटी, इन चारों का रिप्रजेंटेशन हो और बाकी की चार आप जैसा उचित समझें, उनमें से रख लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आयोग की अवधि तीन साल करने का इन्होंने प्रस्ताव किया है। उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल की अवधि बेहद कम होती है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी अवधि पांच साल की होनी चाहिये ताकि जो महिला इस आयोग के माध्यम से मूवमेंट में आए, काम करे, उसको पूरा मौका मिले, जो योजनाएं वे बनाएं वे क्रियान्वित की जा सकें और उनका फायदा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक बनाया है इसके अंदर इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया है कि जो शिकायत महिला आयोग को प्राप्त होगी, उसकी जांच कितनी अवधि में सम्पूर्ण कर की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि इस बात की समयावधि तय की जानी चाहिये कि जो शिकायत आयोग को प्राप्त हो, एक निश्चित अवधि में उसकी जांच कर ली जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संयम जी, थोड़ा संयम रखें। शार्ट में।

श्री संयम लोढ़ा : शार्ट एण्ड स्वीट ही कर रहा हूं। ताकि उसमें न्याय दिलाया जा सके। धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, अब सब यही कह रहे हैं तो आप निपटाओ। और क्या कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा यही निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा।...(व्यवधान) ... खण्डशः विचार में आपका नाम है, आप पेशेंस रखिये। इनकी पर्ची है, आसन अलाऊ कर रहा है। महिला हैं, एक दफे बोलने दीजिये। तकलीफ क्या है आपको?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि जिस घर में महिलाओं के आंसू गिरते हैं, आंसू बहते हैं वह घर बरबाद हो जाता है। राजस्थान ही नहीं, हमारे सम्पूर्ण देश पुरुष प्रधान देश है, किन्तु खास तौर से राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है, वह सामन्तवाद प्रधान होने के कारण महिलाओं को प्रताड़ना दी जाती रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी एक के ऊपर नहीं है। यहां कई बैठे हुए हैं जो सामन्तवाद से जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय के लिये यह बात कहना उचित नहीं है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर अत्याचार होते चले आये हैं। राजस्थान की ही नहीं, पूरे देश की बात कर रही हूं। लेकिन राजस्थान में थोड़ा ज्यादा हैं। पर्दा प्रथा, महिला उत्पीड़न, बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियां हमारे यहां हैं। खास तौर से ऐसी कुरीतियां इसलिए हैं कि हम साक्षरता की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। माइनोरिटी समाज में, मुस्लिम समाज में तो साक्षरता निल के बराबर है, है ही नहीं। हमें सबसे पहले तो आयोग के माध्यम से इन बातों पर ध्यान देना चाहिये कि हम किस तरह से महिलाओं को आगे ला सकें। यह जो आयोग गठित किया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एस.सी., एस.टी. को, माइनोरिटी को सभी को लेना चाहिये, मौका देना चाहिये। अगर इनको मौका दिया गया तो सभी समाज में, सभी वर्गों में आत्मविश्वास आएगा। समाज की मानसिकता बदलने के लिये हमें ऐसी महिला को आयोग का अध्यक्ष बनाना चाहिये जिसका अपना विजन हो, पढ़ाई-लिखाई के साथ वह महिलाओं के इश्यूज से जुड़ी हुई हो शुरु से और महिलाओं के प्रति संवदेनशील रहे।

महिला विरोधी जो मानसिकता है वह हमें बदलनी पड़ेगी, खास तौर से पुरुषों को। महिला विरोधी मानसिकता को बदलने के लिये शिक्षित महिलाओं को आगे लाना और महिलाओं की शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देना इस महिला आयोग का काम होगा। इसे सार्थक करने के लिये...

श्री परसादी लाल : दो-चार महिलाओं के नाम बताओ।

श्रीमती ममता शर्मा : मुख्य मंत्रीजी उसके लिये बहुत हैं। माननीय मंत्री

(श्रीमती ममता शर्मा)

महोदया भी यहां बैठी हुई हैं, हम समझते हैं कि वे इतने सक्षम हैं कि हमें नाम देने की जरूरत ही नहीं। इस आयोग को सार्थक करने के लिये जो हमारे वीकर सैक्शंस हैं, उन पर अधिक से अधिक ध्यान देना पड़ेगा। हमारा दायित्व बनता है। वीकर सैक्शंन को आगे लाने के लिये महिला आयोग को खास तौर से अवेयरनैस लानी पड़ेगी। हमारे विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में सरपंचों के जरिये, जिला परिषद के डायरेक्टर्स के जरिये, पंचायत समिति के डैलीगेट के जरिये बताना होगा कि किस तरह से हम महिलाओं के जो उत्पीड़न के इश्यूज हैं, उनको उठाएं और उनको किस तरह से न्याय दिलाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पांच सदस्यीय महिला आयोग बन रहा है इससे हमें सरकार की बहुत साफ-सुथरी और पारदर्शी मंशा का एक उदाहरण मिल रहा है कि महिलाओं के लिए भी सरकार उतनी ही संवेदनशील है। उपाध्यक्ष महोदय, जब आधा भारत नारी है तो नारी क्यों बेचारी? मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हल्ला बहुत हो रहा है, महिला आयोग बन रहा है तो वह हल्ला आपकी सरकार ने ज्यादा किया, हमारी सरकार ने तो कथनी और करनी को पाटा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ममताजी, एक महीने से काली नहीं मिली आपकी सरकार में, गोरी गुमी होती तो कितने महीने लगते?

श्रीमती ममता शर्मा : क्या नहीं मिला?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : काली नहीं मिली खेड़ली वाली एक महीने से। गोरी गुमी होती तो क्या होता?

श्रीमती ममता शर्मा : समझ में ही नहीं आया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : काली, खेड़ली वाली काली नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो, बोलो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : आपकी सरकार के तो पता नहीं कितने केसेज हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्रीमती ममता शर्मा : मुख्य मंत्रीजी एवं हमारी पूरी कैबिनेट और सरकार ने यह जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है इसके लिए पूरा राजस्थान, पूरा प्रदेश उन्हें याद रखेगा। हम उनका स्वागत करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की आयु सीमा तय होनी चाहिए। हमारे यहां अभी जो जीत का रेशो रहा है, 81 परसेंट महिलाएं जीती हैं और 74 परसेंट पुरुष जीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 16 महिलाओं को टिकट दिया, आपने पता नहीं कितनी महिलाओं को टिकट दिया, उसमें से एक भी जीत कर नहीं आ पायी, हमारी 13 महिलाएं आज हाउस को रिप्रजेंट कर रही हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : महिलाओं से इनका, आर.एस.एस. का वास्ता ही नहीं पड़ता है।

श्रीमती ममता शर्मा : अगर महिला आयोग का गठन होता है तो अपराधियों के हौंसले पस्त होंगे, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझेंगी, पीड़ित महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, अत्याचारों में कमी आएगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : कम से कम एक टिकट तो शालिनी शर्मा को दिया होता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : ममताजी, अल्पसंख्यक महिला को तो और बनवाओ।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सदस्य, मैंने तो सबसे पहले यही कहा है कि माइनोरिटी की भी हो और एस.सी., एस.टी. की भी हो। आपने सुना नहीं बाकी सबसे पहले मैंने यही कहा है। और मैंने यह भी कहा है कि माइनोरिटी की महिलाओं को अधिक से अधिक साक्षर किया जाए, उनमें साक्षरता की बहुत ज्यादा कमी है। इसमें आपकी बहुत जबरदस्त भागीदारी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिए, प्लीज। महिला बोल रही हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : इसको जुडीशियल पावर दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसका गठन किसी नियम के तहत होना चाहिए ताकि वे खुद फैसले कर सकें, सजा भी दे सकें। अगर ऐसा नहीं होगा और मामले पुलिस में चले जाएंगे तो पुलिस की हालत कोई मुझे बहुत अच्छी नजर नहीं आती है। महिला जब प्रताड़ित होती है और पुलिस थाने में जाती है तो उसको वहां भी प्रताड़ित होना पड़ता है। महिला आयोग यह डिमांड करे, महिला थाने भी बहुत जरूरी हैं ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके।

सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि है वह यह है कि हमने इसको प्रशासनिक आदेश के द्वारा गठित नहीं किया है, बिल पास करके महिला आयोग बन रहा है, विधायकों के द्वारा हो रहा है, सदन में पारित हो रहा है। हमारे घोषणा पत्र में जो वायदा था उसको हमने निभाया है। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह सब कर रहे हैं। महिलाएं जो इतने सालों से अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए यह सब किया जा रहा है।

मुझे बोलने का मौका मिला है तो आज इसका फायदा उठा कर आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि नारी निकेतन जितने भी चल रहे हैं उनमें स्टाफ चाहे क्लैरिकल हो चाहे आफीसर्स का स्टाफ हो, वह महिला होनी चाहिए। महिलाओं को नारी निकेतन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। महिला एवं बाल विकास में जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे कई प्रोजैक्ट्स हैं जो स्टाफ की कमी से बन्द पड़े हैं, तो स्टाफ बढ़ाकर उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करना चाहिए।

(श्रीमती ममता शर्मा)

अनुदानित संस्थाओं को एक सिंगल रूफ के नीचे लाना चाहिए ताकि अलग-अलग तरह उनकी मानीटरिंग नहीं होकर बहुत अच्छी तरह से उनकी मानीटरिंग हो सके और वह यह बता सके कि वूमैन एंड चाइल्ड वैलफेयर डिपार्टमैंट में कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। यह तभी हो पाएगा जब उनको एक सिंगल अम्ब्रैला के नीचे लाया जाएगा।

इस सरकार ने महिलाओं के आंसू पोछने का जो काम किया है इससे पवित्रतम काम और कोई हो नहीं सकता। पिछली सरकार ने तो रिकार्ड ब्रेक किया था। महिलाओं के लिए बातें बहुत कीं सब किया लेकिन जितनी महिलाओं को प्रताड़ना उस सरकार के वक्त मिली और उनके आंसूओं के जो श्राप मिले उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं यह कहना चाहूंगी कि इस आयोग का गठन जो हो रहा है उसकी दो-तीन बातों को हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जुडीशियल पावर हो, किसी एक्ट के तहत हो तभी यह सफल हो पाएगा।

मैं एक बात और भी निवेदन करूंगी कि जो भी महिला आयोग में चेयरमैन बने वे पूरी काम्पीटैंट हों। अगर वे काम्पीटैंट रहीं तो महिलाओं के प्रति संवेदनशील भी रहेंगी। उनका नजरिया ग्रामीण महिलाओं के प्रति बहुत साफ्ट होना चाहिए तभी ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगी।

सबसे बड़ी दहेज की समस्या आती है। हमारा जो पढ़ा-लिखा समाज है वह भी महिलाओं को, बहुओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। ऐसे मामलों को उठा कर हमारे आयोग को काम करना चाहिए। इसमें जो अच्छी, पढ़ी-लिखी समाज की महिलाएं हैं उन्हें जोड़ना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि जो अशिक्षित हैं वे तो प्रताड़ना देते ही हैं क्योंकि उनमें समझ ही नहीं है, उतना विजन ही नहीं है लेकिन ऐसे-ऐसे परिवार भी देखे गये हैं जो बहुत पढ़े-लिखे हैं और शराब के नशे में महिलाओं को मारते हैं, कूटते हैं। पत्नियों को छोड़ दिया जाता है, नाता प्रथा है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

बाल विवाह की हालत यह है कि परात में बैठा कर फेरे डाल दिये जाते हैं। लड़कियों को यही पता नहीं कि उनकी शादी भी हो गयी। बाद में गौना किया जाता है, उस गौने का मतलब ही बच्चा नहीं समझता है। इन सब बातों पर रोक लगानी चाहिए। कोई भी मंत्री या विधायक हों, उनको यह प्रण करना चाहिए कि वे बाल विवाह में शामिल नहीं होंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : यह पता नहीं लगता है। वह तो जब मालूम पड़ता है जब शादी में चले जाते हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आम प्रथा हो गयी है एक बीबी

(श्रीमती ममता शर्मा)

को छोड़कर दूसरी बीबी कर लेना। हालांकि कई पुरुष भी प्रताड़ित हैं इससे, ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रताड़ित नहीं हैं लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। इसलिए महिलाओं के लिए महिला आयोग का गठन होना एक बहुत ही बड़ी पहल है। (व्यवधान) माननीय दायमाजी, इतना ही रहने दें तो अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब महिषासुर देवताओं से नहीं मर रहे थे तब भी देवी का ही सहारा लिया गया था। तो अब जो देवी बन कर आएं मैं समझती हूं कि हमारी सरकार को उन्हें पूरी खुली छूट देनी चाहिए।

एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जो भी फैसले हों उनको टाइम बाउंड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक केस आया और दो-तीन साल तक उसकी सुनवाई नहीं हुई और वह पैंडिंग पड़ा है। उसको टाइम बाउंड करना चाहिए कि बीस दिन के अन्दर-अन्दर या महीने भर के अन्दर-अन्दर हम इसका फैसला जरूर सुनाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो महिला आयोग बन रहा है इसमें सारे पाइंट्स हमारी सरकार ने बहुत सोच-समझकर रखे हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कर रही हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी और कैबिनेट का दुबारा धन्यवाद कर रही हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंहजी। इन्तजार कीजिये। Have patience.

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बुलाएंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए हमारी सरकार को और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, सबको धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस मैनिफैस्टो में हमने महिला आयोग गठन की बात कही थी और आज महिला आयोग बिल इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाकर इस पर चर्चा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ध्यान से चर्चा सुन रहा था। महिला सदस्या जो बूंदी से आती हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार राजस्थान के अन्दर हो रहे हैं या हुए हैं उनके ऊपर अपनी व्यथा बतायी। मुझे इस बात का दुःख हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य इस महिला आयोग को और इस महिला आयोग के विधेयक को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसको आप सीरियसली लें। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके माध्यम से हम राजस्थान का नक्शा बदलने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से भी कहूंगा और पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर महोदय से भी कहूंगा कि हम जल्दबाजी के अन्दर इस तरह से पारित नहीं कर दें कि इसमें जो खामियां हैं वे खामियां ज्यों की त्यों रह जाएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खामियां क्या हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं बताऊंगा, साहब, अभी बताता हूं।

श्री परसादी लाल : आपको क्या जरूरत है महिलाओं के ऊपर बोलने की?

श्री दिग्विजय सिंह : वे खामियां वही हैं जो मालपुरा से आने वाले माननीय विधायक नें मुझे बतायी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा विस्तार से अच्छी तरह से देखें। उसके बाद, मंत्री महोदया, इसके अन्दर जो कुछ मेरे आब्जेक्शंस हैं या मेरी शंकाएं हैं उनका आप निराकरण करते हुए बताएंगी या स्पष्ट करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो...

श्री परसादी लाल : टौंक का ही मामला है। उनको बता देना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप खण्डशः विचार पर भी अपने विचार प्रकट करेंगे। अभी तो आपका प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है उसके बाद खण्डशः है उसमें आप भी...

श्री दिग्विजय सिंह : आप जो फरमा रहे हैं वह ठीक है लेकिन मैंने सारे खण्डों पर संशोधन नहीं दिया है। जो कुछ मुझे कहना है मैं और भी कहूंगा। जिस दिन मुझे संशोधन देना था खण्डशः, वह मैंने दिया है, उस दिन मैं उस पर चर्चा कर लूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कर सकते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : खामी तो बताओ पहले आप।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रवर समिति को भेजने के लिए कहा, उसके लिए निवेदन कर रहा हूं। आपके सैक्शन तीन में जो कमी है उस ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है। खण्डशः विचार होगा तब मैं बता भी दूंगा। जैसाकि माननीय किरोड़ीलालजी ने कहा, अनुसूचित जाति और जनजाति में से एक-एक और एक दूसरे में से, कुल मिलाकर चार सदस्य, उसमें आप एक अल्पसंख्यक को जरूर रखें। वह प्रस्ताव मेरा खण्ड में भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, सैक्शन 8 में जो आपने दिया है, रिमूवल आफ चेयर परसन और मैम्बर फ्रोम आफिस, इस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने लिखा है कि—

"Chairperson or any member of the Commission may be removed from office by an order of the State Government, if she....." "डी" का है,

"refuses to act or becomes incapable of acting." 'रिफ्यूजेज टू एक्ट' का मतलब यह है कि अगर सरकार डायरेक्शन दे या कोई बात कहे और वह नहीं माने तो आपके पास आ सकता है। अगर आपकी महिला अध्यक्षा कोई इन्डिपैंडैंट है और वह सही तरीके से काम करना चाहती है तो वह नहीं कर पाएगी। वह हमेशा इस बात की रहेगी। जो हम पारदर्शिता की बात करते हैं कि हम पारदर्शिता रखना चाहते हैं वह नहीं हो

(श्री दिग्विजय सिंह)

पाएगा। इसमें आगे लिखा है कि 'रिफ्यूजेज टू एक्ट' एक्ट किसको मान लें? गवर्नमैंट अगर कहे, इसके अनुसार नहीं करे तो। इसको आप देखें कि वह नहीं करें। उसको आप इन्डिपेंडेंस दें। जब आयोग के अध्यक्ष को आप स्वतन्त्रता देने जा रहे हैं तो उसके अध्यक्ष को स्वतन्त्र रखें, उसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) वह आप स्पष्ट कर देना नहीं, वह तो आप कहेंगे, अभी है। टू-साइडेड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के सैक्शन 10 में आपने कमीशन को पावर दिये हैं और उसके पावर आपने दिए हैं नम्बर 2 में। मैं इसमें यही जानना चाहूंगा कि वह जो आप रिकमण्ड करेंगे क्या वह काम्पीटैंट आथोरिटी को लिखकर भेजेंगे? तो कमीशन रिकमण्ड करेगा या कम्प्लेनेंट होगा? वह कम्प्लेनेंट होगा या रिकमण्डेशन के आधार पर रिकमण्ड ही करेगा, क्योंकि रिकमण्ड करने में और कम्प्लेंट करने में फर्क है। अगर वह कम्प्लेंट करता है तो वह भी एक पार्टी बनता है और कमीशन के सामने या आथोरिटी के सामने कमीशन के मैम्बर को भी जाना पड़ेगा।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो उनको जुडीशियल पावर भी दिये हैं उसके अन्दर रेस्ट्रेन आपने दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 11 के अन्दर नवां, उसके अन्दर आपने लिखा है–"recommend to Government to initiate legislation for removal of discrimination in the case of inheritance, guardianship, adoption and divorce or for matters relating to the safeguarding of the dignity of women and the honour of motherhood;"

इसके अन्दर आप उनके पर्सनल ला को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? वह पर्सनल लॉ अपनी जगह रहेगा। इसलिए इसको स्पष्ट किया जाए कि इसके अन्दर यह होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लॉ अलग है और क्रिश्चन लॉ अलग है। यह आज इसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सैक्शन 13 भी बहुत साफ नहीं है। 'ए इन्टीमेशन आफ प्रोसीक्यूशन', आप करेंगे तो क्या आथोरिटी के थ्रू करेंगे? कौन आथोरिटी होगी? आज आप इसको शुरु करेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा? 13 वाला भी स्पष्ट नहीं है, इसको भी आप स्पष्ट करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, और जो खण्डशः आएगा उनके ऊपर अपने विचार मैं आपके समक्ष रखूंगा। जो यह विधेयक लाया गया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसको विस्तार से चर्चा के लिए प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें तो ज्यादा उत्तम होगा ताकि इसके ऊपर थ्रैडवेयर डिसकशन होकर एक अच्छा, पक्का कानून बनकर राज्य के अन्दर लागू हो। कहीं इसमें लैकूनाज रहे जाएंगे तो हमारे जो आब्जेक्टिव हैं वे आब्जेक्टिव

(श्री दिग्विजय सिंह)

डिफीट हो जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन। (अनुपस्थित), श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी के घोषणा पत्र की इतनी जल्दी क्रियान्विति करने के लिए मंत्री महोदया को मुबारकबाद। इस बिल के अन्दर...

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी के ऊपर केवल दो ने ही ताली बजायी और किसी ने नहीं बजायी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई बात नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपकी मानसिकता बताती है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बिल सही बिल है। कई जगहों पर आलरेडी ऐसे कमीशन बने हुए हैं। उनके आधार पर मेरे खयाल से प्रारूप मंगाकर बिल बनाया गया है इसलिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अन्दर वर्किंग की कोई डिफिकल्टी आती हो। संख्या वाली बात मुख्यतः यहां कही गयी है, माइनोरिटी के रिप्रेजैन्टेशन की बात भी कही गयी है। उसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय जो कल्पना आप लेकर चलते हैं कि किस प्रकार का वीमैंस कमीशन होगा और किस प्रकार कार्य करेगा यह उस पर निर्भर करता है। यदि आप कमीशन को पावरफुल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कमीशन का चेयरमैन इफैक्टिवली काम करे, तो यह जरूरी है कि पोलिटिकल बैकग्राउण्ड का वह न हो वह जुडीशियरी के बैकग्राउण्ड का भी हो सकता है, समाजसेवी हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है, उसको रखें। मैंम्बर्स की संख्या आप बढ़ा दें। मैम्बर्स की संख्या आप 8 कर दें, 10 कर दें, 11 भी कर सकते हैं। आपने कंसल्टिंग चार रखे हैं, उसको 11 भी कर सकते हैं। जब मैम्बर्स की संख्या ज्यादा होती है तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो व्यावहारिक रूप से जानते हैं कि उनका फंक्शन एडवाइजरी होता है और चेयरमैन इफैक्टिव होता है। चेयरमैन को इम्प्लीमैंट करना पड़ता है कुछ। और जब मैम्बरशिप बहुत लिमिटेड होती है तो फिर पूरा कमीशन काम करता है। डे-टू-डे काम में आपको डिफिकल्टी आएगी जितना आप कम रखोगे। आपने संख्या चार रखी है, अगर तीन रखोगे तो तीनों ही चेयरमैन हो जाएंगे पूरे, इसलिए मेरा यह अनुरोध है। फिर समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यह सुझाव बिलकुल सही है कि इसको बढ़ा दिया जाए और इसमें माइनोरिटी से भी लिया जाए।

इसमें और कोई सुझाव देने वाली बात नहीं है। यह जरूरी है कि कुछ पावर ज्यादा मिलनी चाहिए। राजेन्द्रजी, आपको जो भ्रान्ति थी ना कि इन्वैस्टिगेशन पुलिस भी करेगी, इन्वैस्टिगेशन लफ्ज जो है इससे आप थोड़ा मिसगाइड हो गये। आप इन्वैस्टिगेशन का मतलब यह समझ रहे थे

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कि पुलिस जो करती है एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद वही इन्वैस्टिगेशन है। बिलकुल है। क्रिमिनल... नहीं, नहीं, किसी भी चीज का...(व्यवधान) वह अलग बात है। इन्वैस्टिगेशन बहुत व्यापक टर्म है, इसका मतलब समझिये। इन्वैस्टिगेशन जर्नलिज्म होती है कि नहीं होती है? वह केस थोड़े ही रजिस्टर करता है? इन्वैस्टिगेशन का मतलब तो चीज की डैफ्थ में जाना है। यह सिविल कोर्ट की तरह फंक्शन करेगी तो यह और भी ज्यादा डैफ्थ में जा सकती है, क्योंकि सिविल इन्क्वायरी में और क्रिमिनल इन्क्वायरी में बहुत फर्क है। क्रिमिनल इन्क्वायरी में तो अगले आदमी का दोष संदेह से परे प्रमाणित होना चाहिए और सिविल लॉ के अन्दर प्रिपोण्डरेंस आफ प्रोबेबिलिटी देखा जाता है बैटर एवीडेंस के बाद। आप क्या समझते हो, जितने आदमी बरी होते हैं सब बेगुनाह होते हैं? फार बांट आफ एवीडेंस बरी होते हैं ज्यादातर लोग तो। लैजिस्लेचर में पहुंचते हैं और पार्लियामेंट में भी पहुंचते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, this is a welcome bill, इसको इमिजियेटली पास करना चाहिए। कोई अगर सुझाव है तो हम और प्रभावी बनाने की बातकर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी। आप सब सन्तोष रखिये, सबको बुलाऊंगा। प्लीज वेट। यह कोई तरीका है? सिट डाउन। सबको बुलाऊंगा, बैठिये। थर्ड रीडिंग आएगी, आपको सबको बुलाऊंगा। पहले यह खण्डशः विचार हो जाने दीजिए, जिनके हैं उनको निपट लेने दीजिए उसके बाद आपका नम्बर आएगा। खंडशः विचार जान लीजिए।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जितने भी विचार माननीय सदस्यों ने रखे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने महिला आयोग के गठन में इतनी दिलचस्पी ली है। मगर मैं यह देख रही हूं कि आप लोग महिला आयोग के कार्यों को क्रिमिनल आफेन्सेज तक ही सीमित कर रहे हैं। महिला आयोग के बहुत सारे कार्य हैं, इनको भी थोड़ा देखने की कोशिश करें। महिला आयोग को जो अधिकार दिये गये हैं उनमें क्रिमिनल आफेन्सेज के ट्रायल के हैं। बाकी वे सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, किसी को सजा देने का उनके पास अधिकार नहीं है। इसलिए यह कहना कि पुलिस थानों पर और यहां साइमलटेनियसली इन्वैस्टिगेशन के कोई कांप्लीकेशंस होंगे, ऐसा नहीं है। पुलिस थानों पर जो काम हो रहा है वह होगा, कोर्ट में जो काम हो रहा है वह भी होगा, मगर कुछ केसेज में औरतें सैटिसफाईड नहीं होती हैं कि उनको जजमैंट मिलेगा भी या नहीं या और मिला भी है या नहीं। वहीं औरतें जाएगी और न्याय पाने में सक्षम लोगों से मुलाकात करके खुद को भी संतुष्ट करेंगी। इसमें ज्यादा परेशानी कहीं भी नहीं है।

मुस्लिम महिला को इसमें स्थान देने के लिए सारे माननीय सदस्यों की सिफारिश है, मैं आपसे अर्ज करना चाहती

(श्रीमती जकिया)

हूं कि किसी भी जगह ऐसा कोई नहीं है कि जिसने माइनोरिटी को आरक्षण दिया हो। अगर आपकी भावना यह है तो इसकी कद्र की जाएगी, यह मेरा वायदा रहा। और रह गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में से लिया जाए तो इतना वर्गीकृत क्यों करना चाहते हैं आप? महिला अध्यक्ष बैठेगी, उसके साथ मैम्बर बैठेंगे तो क्या वे सिर्फ उन्हीं जाति का काम करेंगी जिस जात से वे आयी हैं? ऐसा नहीं होगा।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सिफारिश की है कि सदस्य बढ़ा दिये जाएं, मेरी भी यह ख्वाहिश थी कि सदस्य बढ़ा दिए जाएं मगर राज्य सरकार की पिछले आठ सालों में जो वित्तीय स्थिति हुई है वह विपक्ष के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमको चार सदस्यों का ही आयोग बनाने में बहुत मुश्किल है। सत्तर लाख का कुल प्रोविजन किया गया है। इसमें आठ सदस्य का चौदह सदस्य सिर्फ इसलिए कि वे जातिवादी तरीके से प्ली कर सकें, कोई मायने नहीं रखते। अगर वक्त आएगा और वित्तीय स्थिति सरकार की अलाउ करेगी तो वह भी सोचेंगे।

उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य इसे प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या दूसरे पर्सनल लॉ में इनका इन्टरफियरेंस होगा। महिला आयोग का कार्य सिर्फ सिफारिश करना है सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो डिसीजन लेगी वही फैसला होगा। जब शाहबानो के केस में पर्सनल लॉ का उल्लघंन नहीं हो सकता तो यह महिला आयोग क्या करेगा? इसलिए उनियारा से आने वाले सदस्य की चिन्ता करना कोई उचित नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इन्टरवीन कर रहा हूं मंत्री महोदया को।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, अभी आप और बोलेंगे न।

श्रीमती जकिया : अब आप बोलेंगे, पीछे मैं बोलूंगी, अच्छा लगेगा क्या? आपको वैसे भी समझा दूंगी बाद में। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब नौकरियों में आरक्षण है और पंचायतों में आरक्षण है, महिलाओं को चुनावों में आरक्षण दे रहे हैं तो इस आयोग में क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्रीमती जकिया : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का कहना था कि इन्वैस्टिगेशन कैसा होगा, तो 13 देखिए। अभियोजन के कारण यदि धारा 12 के अधीन किसी परिवार के अन्वेषण के पश्चात् आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दण्डित अपराध किया हो और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अभियोजन किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का उद्देश्य पारित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति के लिए अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा। यदि पूर्व में मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो और यदि ऐसे अभियोजन के लिए किसी प्राधिकारी की

(श्रीमती जकिया)

पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो तो उस प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त कर ली जाएगी। मेरा खयाल है, यह पढ़ने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारे जवाब तो मैं आखिरी में दे जाऊंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रवर समिति और जनमत जानने का है तो मेरी राय है कि इसको न भेजा जाए। इसको पास करके महिला आयोग को वजूद में तो आने दें, नहीं तो बिलकुल वही किस्सा हो जाएगा जो 33 प्रतिशत आरक्षण का हो रहा है। बी.जे.पी. भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है परन्तु पास अभी भी नहीं हो पाया है। यहां पर 153 माननीय सदस्य कांग्रेस के हैं मगर सब महिलाएं नहीं हैं, प्लीज इसको बहस के लिए लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान महिला आयोग विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड 2 में कोई संशोधन। (व्यवधान) दोनों बात मत करो आप। ये तो कहते हैं कि बोलना चाहते हैं, आप कहते हैं कि बोलना चाहते हैं ...(व्यवधान) आर्डर प्लीज, सिट डाउन। बैठिये आप...(व्यवधान) बैठिये आप।

खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड–3। मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सृष्टि का निर्माण जब किया गया तो चाहे वह आदम और हव्वा से किया गया हो, चाहे शंकर और पार्वती से किया गया हो...(व्यवधान) सुन लीजिये, दो ही मिनट में कह दूंगा। मेरी स्पीड तेज है, सुन लीजिये। परेशानी मत महसूस कीजिये।

चाहे आदम और हव्वा के नाम से किया गया हो, चाहे शंकर और पार्वती से हो, चाहे मरियम और ईसा से हो, भगवान

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ने जिसने सृष्टि बनायी, खुदा ने, उसने महिला और पुरुष को बराबर माना। इस्लाम धर्म में भी जब किसी के लड़की पैदा होती है तो मानते हैं मालिक की रहमत आयी। हिन्दू के यहां भी लड़की जनमती हैं तो सोचते हैं कि उसके यहां लक्ष्मी आयी। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग महिला को काम करने की मशीन समझते हैं, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। लैंगिक आधार पर उसके साथ अत्याचार और अनाचार किया जाता है। उन सबसे छुटकारा दिलाने के लिये (व्यवधान) आप सुन तो लीजिये। धैर्य तो रखिये। व्हाई आर यू (व्यवधान) आपको क्या दिक्कत हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका संशोधन क्या है, वह बताइये ना आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका है?

श्री राजेन्द्र पारीक : यही तरीका है इसमें–

मोहम्मद माहिर आजाद : आप महिलाओं की बात सुनने नहीं देना चाहते हैं। इसमें परेशानी क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये-बैठिये आप, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : टाइम लम्बा कर रहे हो, उससे क्या फायदा है?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके क्या परेशानी हो रही है? + + +

श्री राजेन्द्र पारीक : संशोधन तो दे नहीं रहे हैं और बोले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप और टाइम लम्बा कर रहे हो, क्या फायदा उससे?

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप मुझे रोक नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। आसन से परमिशन लेकर बोल रहा हूं। आसन के जरिये अपनी बात कह रहा हूं। नहीं, नहीं, आप कुछ नहीं हैं इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय माहिर आजादजी, आप जो विचार कर रहे हो सब भूल जाओगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर बहुत शार्ट में मेरी बात आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जो लोग गैर बराबरी का दर्जा देते हैं या महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं उन लोगों पर अंकुश रखने और महिलाओं को इस तरीके के अत्याचार और अनाचार से छुटकारा दिलाने के लिये, उनको नौकरियों में सही तरीके से भागीदारी मिले, कारागृहों, थानों में भी उनके साथ प्रताड़ना नहीं हो इसके लिए यह राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 सदन में लाया गया है। मैं उसके लिये माननीय प्रभारी मंत्रीजी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा संशोधन क्लाज 3 के

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सब क्लाज 2 में इतना-सा ही है। "The Commission shall consist of a Chairperson and not more than four members including the Member Secretary to be appointed by the State Government and out of the four members one shall be a woman either belonging to the Scheduled Castes or to the Scheduled Tribes and one shall be from other backward classes."

आज अशिक्षा सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों में है, आज पिछड़ापन सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों में है। आप फैमिली कोर्ट में जाकर देख लीजिये, वहां जो मुकदमों की पैंडिंग आपको लिस्ट मिलेगी उसमें अल्पसंख्यक महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। माननीय प्रभारी मंत्रीजी भी स्वयं इस बात को जानती हैं। आज जब 13 महिला सदस्य जीतकर आयी हैं तो पहली बार इस राजस्थान की विधान सभा में अल्पसंख्यक समुदाय से भी 13 सदस्य जीतकर आये हैं। अल्पसंख्यकों ने भारी मत और समर्थन के साथ कांग्रेस को विजयी बनाने में सहयोग दिया है। इसमें आरक्षण का सवाल नहीं है, माननीय प्रभारी मंत्रीजी आप नौकरी नहीं दे रही हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य जब यह है कि समाज की शोषित, पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, या सही कानूनी सलाह मिले तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इसमें आपने एस.सी. और एस. टी. के दोनों में से एक को रखा है उसकी जगह आप one member from Scheduled Castes, one other from Scheduled Tribes, one from O.B.C. and one women member from minorities, एक मुस्लिम महिला को इस आयोग में सदस्य बनाइये, इतना ही संशोधन है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस भावना के साथ राजस्थान के अल्पसंख्यकों ने आपको वोट दिया है, आप इसमें चाहेंगी कि आरक्षण का तो नहीं हो हम वैसे ही एक मैम्बर ले लेंगे, इसमें बिल में नहीं लाएं यह अच्छा नहीं होगा। आज तो आप मंत्री हैं, कल कोई दूसरा मंत्री बन जाए उसकी संकीर्ण मानसिकता हो या दूसरे ऐसे जहनियत के लोग आ जाएं तो वे हटा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें निश्चित रूप से आपको लीगली प्रावधान करके एक अल्पसंख्यक महिला को सदस्य बनाना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खां। (अनुपस्थित), श्री दिग्विजय सिंह

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मंत्री महोदय से अल्पसंख्यकों की बात आपने बता ही दी, महिलाओं को दूर रखा गया है। खण्ड 10 में मैं इतना ही चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान) आप तसल्ली रखो न। घबरा क्यों रहे हो? सदन समाप्त थोड़े ही हो गया है। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्रीमती जकिया : नगर से आये हुए माननीय सदस्य की जो चिंता है वह वाजिब है, मगर माइनोरिटी के लिए कहीं भी तो रिजर्वेशन नहीं है। (व्यवधान) एक मिनट, अब आप सुन तो लें, आपकी तो मैंने सुन ली न। आपकी और सदन की जो भावना है उसकी पूरी तरह से कद्र की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मगर कानून से तो कहीं मैं भी बंधी हुई हूं न। संशोधन के लिए भी इसमें प्रयास किये जा सकते हैं। एक बार आयोग को वजूद में तो आ जाने दो, इतनी अड़चन तो ना डालो कि इसका वजूद ही खतम हो जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : सदन के सब लोग चाह रहे हैं, ठीक है लोकप्रिय है तो..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती जकिया : आप तो जातिवाद..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आप किस तरीके से लाएगी, क्या भावनाएं हैं, यह तो पता चल जाए। मेरा तो इतना सा ही अनुरोध है कि पूरा हाउस कह रहा है, आप क्यों नहीं मुस्लिम महिला को सदस्य बना लेतीं?

श्रीमती जकिया : आप अपना जातिवाद क्यों फैलाना चाहते हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह जातिवाद का आरोप लगा रही हैं, बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : माना कि इसमें धार्मिक..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कहना चाहती हैं? इतनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक महिलाएं प्रताड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहा हूं।

श्रीमती जकिया : आप मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आपने अपनी बात कह दी, अब उनको बोलने दो न जिससे वे अपनी बात कह दें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन मोहम्मद माहिर आजाद, श्री रमजान खां, श्री दिग्विजय सिंह ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : (व्यवधान) इसका कोई जवाब तो दिलाओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) अभी बहुत लम्बा काम है, आप विराजो तो सही।

खण्ड चार में नौ में कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड चार से नौ स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड चार से नौ स्वीकार किये गये।

खण्ड-10, श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूं, आपने यह लिखा है शपथ पत्रों पर साक्ष्य में लेना, इसके आगे अगर आप यह जोड़ें बशर्ते ऐसे शपथ पत्र लेने वाले का परीक्षण किया जा सकेगा। क्योंकि आज जो एफीडेविट देने के बाद फाइनल हो गया तो उसको कोई क्रास एग्जामिन ही नहीं कर सकता, भले ही उसने एफीडेविट गलत दिया हो, सही दिया हो उस पर कार्यवाही शुरु कर देंगे। ये शब्द जोड़े जाएं, यह मेरी विनती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्रीमती जकिया : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पहले भी एपीडेविट दिये जाते हैं वहां कोई परीक्षण तो नहीं होता, फिर महिला आयोग के द्वारा ले लिया जाए तो उसके परीक्षण की कहां जरूरत आ गयी है? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आर्ग्युमैंट क्या है? आपने पढ़ लिया है इन्होंने जवाब दे दिया।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब खतम हो गया। Your amendment is not accepted by the Government. बात तो खतम हो गयी है।

श्री दिग्विजय सिंह : After all it is a Commission.

श्री उपाध्यक्ष : She has replied to your question. You cannot force her to accept your amendment.

श्री दिग्विजय सिंह : यह क्या बात कर रहे हो आप?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया न उन्होंने।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में जो संशोधन श्री दिग्विजय सिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आपको निर्देश ही ऐसा है कि वापस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री दिग्विजय सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको वापस लिये जाने की अनुमति दी जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लिये जाने की अनुमति दी गयी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-11, श्री दिग्विजय सिंह। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : पास तो कराओ इसको।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

खण्ड 11, श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लिखा है कि परन्तु पर्सनल लॉ को प्रभावित नहीं करेगा। आपने कहा कि वह गवर्नमैंट को देगी, और प्रभावित नहीं करेगा। मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि आप रिकमंडेशन कर देंगे गवर्नमैंट को और गवर्नमैंट को रिकमंडेशन करने बाद आपने कह दिया कि पर्सनल लॉ में यह चेंज होना चाहिए, क्या गवर्नमैंट उस पर्सनल लॉ को, चाहे किसी का भी हो चेंज करने में सक्षम है?

श्रीमती जकिया : आपके सामने शाह बानो का केस मौजूद है, आपको क्यों यह शंका सता रही है कि पर्सनल लॉ को छेड़ा जाएगा? पहले तो ऐसी सिफारिश क्यों की जाएगी और अगर सिफारिश भी की गयी तो क्या राज्य सरकार सक्षम है किसी के पर्सनल लॉ को छेड़ने में? जब नहीं है तो फिर चिंता क्यों करते हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : सेन्ट्रल गवर्नमैंट भी नहीं कर सकती है। पर्सनल लॉ चेंज ही नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्रीमती जकिया : जब नहीं चेंज हो सकता तो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन वापस ले रहे हैं (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : समझते नहीं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री दिग्विजय सिंह जी ने जो संशोधन वापस लिया है उसे वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया।

खण्ड 12 से 22, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 से 22 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 12 से 22 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्रीमती जकिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्रीमती जकिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य बोलना चाहेगा ? आर्डर, आर्डर, सबको बुलाएंगे, आप विराजिये...(व्यवधान) एक ही तो बोलेगा। आप तसल्ली रखो ना, आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान महिला आयोग ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोल चुके।

श्री अमराराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो विधेयक है...

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये। तसल्ली तो रखो।

श्री अमराराम : वह राजस्थान ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान) सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह बिल नहीं आया तो...

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय सम्पूर्ण कार्यवाही होने तक बढ़ा दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कार्य सूची में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए सम्पूर्ण कार्यवाही कह रहा हूं ना...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कार्य सूची में तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए सम्पूर्ण कह रहा हूं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हो गया ना। पहले प्रस्ताव हो गया यह तो। (व्यवधान) यह तो पहले कर लिया ना प्रस्ताव।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पर सामंतवाद का बहुत बड़ा असर आज 50 साल की आजादी के बाद भी है। महिलाओं के साथ सामंती व्यवहार और उत्पीड़न होता है। निश्चित रूप से जो उद्देश्य रखे गये हैं ये आजादी से लेकर कल तक थे। महिलाओं के

(श्री अमराराम)

आंदोलन के कारण महिला आयोग गठन का आज बिल लेकर आये हैं। महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लगातार राजस्थान में और पूरे देश में जो आंदोलन चलाया उसके कारण राजस्थान की सरकार महिला विधेयक लेकर आयी है। वर्ना यही उत्पीड़न ज्यादा भयंकर रूप से पहले था। अभी जिस सोच के साथ विधेयक लाये हैं, मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह जो विधेयक लेकर आये हैं यह आयोग केवल एडवाइजरी है, इसको कोई अधिकार नहीं है। आप अगर सही रूप से महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है तो निश्चित रूप से इस आयोग को और अधिकार आप देंगे जिससे महिलाएं बराबर आने की कोशिश में सफल हो सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह जी।

श्री रामस्वरूप : हमें तो बुलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बुलाते हैं, घबराते क्यों हो?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो महिला आयोग बिल आ रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि हमने आज ही पास कर दिया या करने वाले हैं। जितनी जल्दी आये, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक ही सुझाव है कि यह जो आप आयोग लाये हैं, दूसरे स्टेट्स से अच्छी बातें उसमें आयी हैं, जो कमियां रह गयी हैं एक तो आपको (व्यवधान) आप बाद में ले आना। मेरा सुझाव ले लें। आज नहीं लें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलनें दें ना।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : चेयरमैन और जो मेम्बर्स हैं वे ज्यादा पोलिटिकल नहीं हों। ज्यादातर जितने भी कमीशन होते हैं अंदर सलैक्शन कमेटी होती है और वह सलैक्शन कमेटी एक पैनल तैयार करके गवर्नमैंट के पास भेजती हैं। उसके अंदर जो ममता जी कह रही थीं बिलकुल सही कह रही थीं कि एजुकेटेड होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो उसके लिए पैनल बनाने के लिए, एक सलैक्ट कमेटी हो। थोड़े दिन पहले आपने स्टेट रैगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के लिए भी पैनल तय करने के लिए एक सलैक्ट कमेटी, पूछ लें, आज हैं नहीं मंत्री जी, बनायी है। इसलिए आपकी सलैक्शन कमेटी होनी चाहिए थी। बाद में प्रस्ताव ले आएं, अमैंडमैंट ले आएं।

दूसरा, ममता जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था उसका समर्थन करते हुए मैं एक बात और कहूंगा नम्बर 6 के अंदर सैक्रेटरी की बात की है। सैक्रेटरी आप लाएंगे तो एक लेडी पुलिस आफिसर को भी लगा सकते हैं। क्या जरूरी है कि आई.ए.एस. हो? लेडी पुलिस आफिसर को लगाएं, यह सुझाव देते हुए मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। आर्डर, आर्डर।

श्री जर्नादन गहलोत (करौली) : आर.पी.एस.सी. की मैरिट बनती है क्या? आप कह रहे हैं कि यहां कोई सलैक्शन

(श्री जर्नादन गहलोत)

कमेटी होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मैम्बर जाते हैं उसकी कोई सलैक्शन कमेटी बनी हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

श्री जनार्दन गहलोत : पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे में कोई सलैक्शन कमेटी नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा सुझाव है, आपको नहीं पसंद आये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मामले के ऊपर विचार हो रहा है, बहुत बड़ा आयोग बनने जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जब-जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, शास्त्रों का प्रमाण है "यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता" जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जब-जब भी नारी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तब वहां विनाश हुआ है। सीता के ऊपर विपत्ति आयी तो रावण का विनाश हुआ। इसी प्रकार द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आयी तो कौरवों का विनाश हुआ। इसी प्रकार अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मायावती पर प्रहार किया तो मायावती ने इनका विनाश कर दिया। जब-जब भी नारी पर इस प्रकार का हुआ, ऐसा कानून बनना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें क्या पेश कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप : मेरा वही निवेदन है इसमें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पास होने से भी ज्यादा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : बिल पास होगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी। (व्यवधान) अब माननीय सदस्य दूसरे बिल में इंट्रैस्टेड हैं, आपके भाषण में इंट्रैस्टेड नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप : मेरे तीन सुझाव हैं। इस महिला आयोग में आप जिसको भी लेंगे तो वह कम से कम + + + योग्य हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। दूसरा मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : इसकी अवधि तीन साल की बजाय पांच साल की जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : + + +.... (व्यवधान) + + + ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी।

श्री रामस्वरूप : एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. ...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उनके अधिकारियों को लिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगतसिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा : + + + (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, .. (व्यवधान) कहना चाहती हूं कि + + + ...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + + ... (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : + + + ... (व्यवधान) + + +...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या मतलब है? (व्यवधान) फालतू बात करने का ..(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ये इस तरह की बात कर रहे हैं..(व्यवधान) + + +

श्रीमती जकिया : इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन..(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + + ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगतसिंह जी, माननीय रामस्वरूप जी।

श्रीमती जकिया : + + + ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि तीन साल की बजाय पांच साल किया जाए..(व्यवधान)

श्रीमती जकिया : माननीय सदस्य क्या करना चाहेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय मंत्री जी।

श्री रामस्वरूप : इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या वास्तव में कम रखी गयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रामस्वरूप : इनके सदस्यों की संख्या भी बढ़ायी जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं प्रस्ताव करता हूं..(व्यवधान) यह जो + + + इसको निकाला जाए सदन की कार्यवाही से। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, don't take it seriously.

श्रीमती जकिया : यह सारा महिलाओं के लिये क्यों? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं बैठ सकती..(व्यवधान) मंत्री महोदया, बैठना नहीं है..(व्यवधान) क्या व्यवस्था है..(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती जकिया : यह महिला आयोग गठित किया जा रहा है और महिला आयोग के गठन में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे लगता है कि आप लोग सीरियस नहीं हैं इसलिए इसको पास करना ही ज्यादा लाभकारी है। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : महिलाओं की जरूरत नहीं हो, यह कहां तक न्यायसंगत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया, आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर दें, मंत्री जी।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदया।

श्री रामस्वरूप : उनको आप लागू करें और इसमें एस.टी. की महिला को जरूर लिया जाए क्योंकि हमारे यहां एस.टी. के साथ भी कई बार इस प्रकार के अत्याचार होते आये हैं, एस.टी. की महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामस्वरूप : कोई भी सरकार रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें एस.टी. की महिला को भी रखा जाए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदया यह + + + जो बात कही गयी है वह तो निकलवा दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री रामस्वरूप : + + + ...(व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(18.00 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री जगत सिंह दायमा : + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : महिलाओं के साथ दुराचार होते हैं इसलिए आयोग की जरूरत पड़ रही है।

श्री जगत सिंह दायमा : इस आयोग की जरूरत ही नहीं है।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है महिलाओं का, भला इसमें क्यों टाइम बरबाद कर रहे हैं? + + +

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्रीमती कमला बृजलाल : + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : और कोई दूसरा कारण नहीं है।

श्रीमती कमला बृजलाल : + + +

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्रीमती कमला बृजलाल : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री श्रवण लाल (पिलानी) : + + +

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामस्वरूपजी ने अपने प्रथम सुझाव के संदर्भ में चर्चा छेड़ी है और उस पर माननीय अन्य सदस्यों ने चर्चा की, वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाता है, जो भी बात कही गई है वह अनपार्लियामैंट्री है।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पारित करने के प्रस्ताव से पहले मैं सिर्फ दो लाइनें कहना चाहती हूं। माननीय सदस्य, इस महिला आयोग का गठन आप लोगों से आगे बढ़ने में करें या आप लोगों की बराबरी करने में, ऐसी कोई मंशा महिलाओं की नहीं है। महिलाएं तो सिर्फ आपके साथ चलना चाहती हैं, आपका सहयोग चाहती हैं। वे अपना अधिकार चाहती हैं। कितने ताज्जुब की बात है कि, 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है पर 33 प्रतिशत रिजर्वेशन मांगते-मांगते सालों गुजर गए और वह भी प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपकी तहेदिल से शुक्रगुजार हूं और बेइन्तहा फख्र महसूस कर रही हूं कि महिला आयोग के लिए आपकी राय जानने के लिए, आपकी सहमति जानने के लिए मैंने बिल पेश किया है। मगर महिला आयोग बन जाने से ही कुछ नहीं होगा, आप लोगों को अपने विचार और सोच बदलनी ही होगी। अगर सोच नहीं बदलेगी तो आप क्या मानकर चलते हैं कि महिला आयोग का कोई रिजल्ट सामने आ सकेगा? आज कोई भी अपराध होता है एक लड़की के साथ, चाहे उसमें उसकी सहमति हो या नहीं हो, जो लड़का होता है, उसका तो कुछ हफ्तों बाद ही नाम भूल जाया जाता है, उसकी शादी में घोड़े को छोड़ो, हाथी पर भी बारात निकलती है, मगर जो लड़की उस कृत्य में शामिल ही नहीं थी, उस बच्ची को दण्ड दिया जाता है, ताउम्र सदियों तक उस घर को इंगित किया जाता है कि यहां ऐसा हुआ था। इसमें जुर्म उस बच्ची का क्या है? अगर यही मानसिकता रही तो आप जानिए कि महिला आयोग बने या कोई और आयोग बने, कुछ भी नहीं होना है। यह आप लोगों का दायित्व है, आप लोग इस समाज में हैं। बहुत पुरानी परिपाटी के तहत ,अगर यह कहा जाए कि समाज की हुकूमत आपके हाथ में है तो वह भी ज्यादती नही होगी। इस मानसिकता को दूर करने के लिए बहुत

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सम्माननीय प्रभारी मंत्री राजस्थान विधान सभा अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक पर विचार

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री जी पारित करने का प्रस्ताव रखिए।

विधेयक का पारण

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर में एक.(व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : एक बिल और है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। इसके बाद कहना।

श्री जगत सिंह दायमा : उसके बाद आप खतम कर देंगे। एक इनोसैंट व्यक्ति की हत्या कर दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसके बाद। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इस चीज को एस.पी. खुद मान रहा है कि निर्दोष आदमी मारा गया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, ये तीन-चार बार इस मामले को सदन में उठा चुके हैं। यही मामला .(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : तो फिर विधान सभा क्यों बुलाते हो, अगर किसी की रक्षा नहीं कर सकते आप? एस.पी. यह कह रहा है कि निर्दोष व्यक्ति मारा गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह सदन किसलिए बुलाया जा रहा है जान-माल की रक्षा नहीं हो सकती तो फिर? हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं आपसे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसलिए वापस इस मामले को उठा रहे हैं..

श्री जगत सिंह दायमा : एक निर्दोष व्यक्ति मार दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, विराजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मामला वापस आया कि गृह मंत्रीजी ने यह कह दिया था कि उसकी डैड बॉडी दे दी गई। आज उसके परिजन इस विधान सभा परिसर में रोते-रोते घूम रहे हैं। गोली मारकर हत्या हो गई, वह तो अलग बात है, उसकी डैड बॉडी नहीं दी जा रही है। इसलिए आज वापस माननीय सदस्य इस बात को उठा रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : डैड बॉडी नहीं दी जा रही है अभी तक सर। घर वालों को कितना ही बड़े से बड़ा अपराधी हो उसकी डैड बॉडी वापस दी जाती है। वह नहीं दी गई अभी तक।

श्री अध्यक्ष : श्री बी.डी. कल्ला प्रभारी मंत्री राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री श्री बी.डी. कल्ला प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री श्री बी.डी. कल्ला प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने गलती से मार दिया या कैसे मार दिया, जान-बूझकर मार दिया, पर उसकी अभी तक डैड बॉडी वापस पुलिस ने नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुन रहे हैं इस संबंध में और कैबिनेट की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है उस संबंध में। माननीय सदस्य कह रहे हैं उस ओर गौर करके उस संबंध में कोई आदेश दें।

श्री जगत सिंह दायमा : डैड बॉडी तो दे दी जाए। रंगा-बिल्ला मरे तो भी उनके फ़ादर और मदर को बुलाकर कहा गया था कि उनकी डैड बॉडी ले जाएं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है और जो चिन्ता व्यक्त की है उस संदर्भ में अविलम्ब कार्यवाही की जाकर आपको जो तकलीफ है और जो वास्तव में बहुत अनहोनी बात हुई है उसको संपादित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। राष्ट्रगान।

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा
जन मण मंगल दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.18 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)